जिला आपदा प्रबंधन योजना–कटिहार

(District Disaster Management Plan- Katihar)

(खण्ड–1)

बहु–आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना

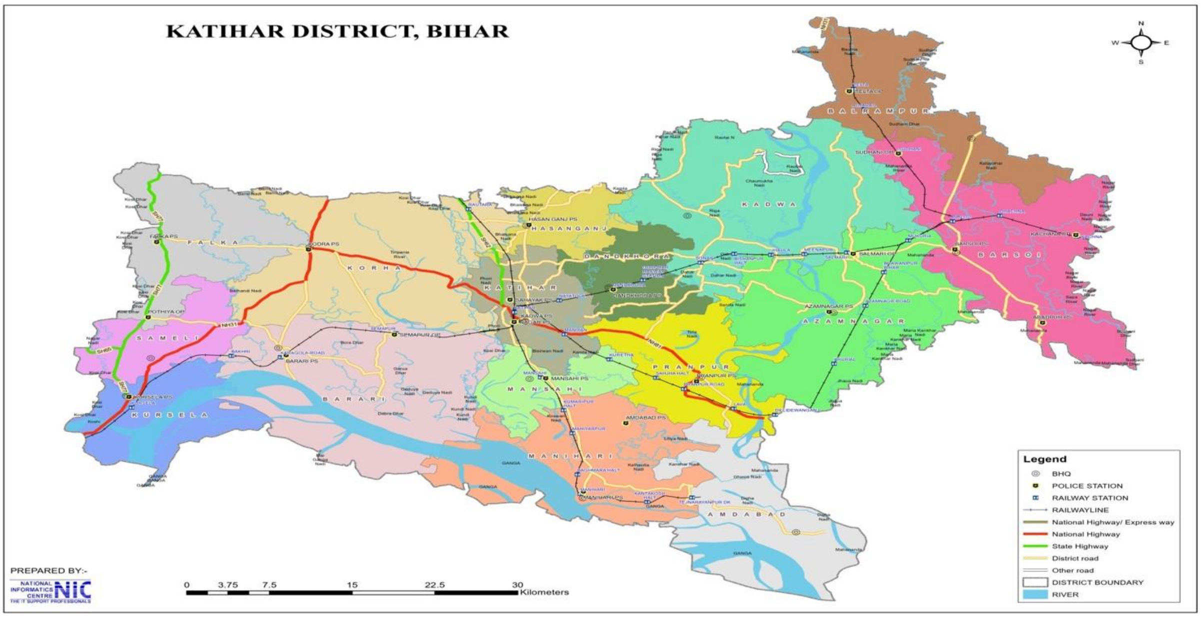

वर्ष 2022–23

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कटिहार

उदयन मिश्रा
(भा०प्र०से०)
जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
कटिहार, बिहार

बिहार सरकार

सन्देश

जिला आपदा प्रबंधन योजना (District Disaster Management Plan) को सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें अपार हर्ष हो रही है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिला कटिहार को **'डिजास्टर रेजिलिएन्ट'** बनाना है। यह योजना निश्चित रूप से जिला प्रशासन को आपदा प्रबंधन नियोजन तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन में मजबूती प्रदान करेगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना (District Disaster Management Plan) के तहत खण्ड एक में **बहु–आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रत्युत्तर योजना** एवं खण्ड दो में **बहु–आपदाओं से सम्बन्धित आंकड़ों की सारणी, सुरक्षात्मक सुझाव, दिशा–निर्देश, संसाधन सूची** का समावेश किया गया है।

जिला कटिहार में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं का प्रभाव निरन्तर बना रहता है। इस योजना में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित/मानवकृत् आपदाओं के उत्पन्न होने की दशा में बचाव के सुव्यस्थित उपायों का उल्लेख किया गया है। योजना में आपदा पूर्व रोकथाम एवं शमन के उपायों को आपदाओं के पूर्व के अनुभवों के आधार पर संज्ञान में लिया गया है। इस योजना में जो भी विवरण व तथ्य दर्ज किए गए हैं, उन सभी का संग्रह विभिन्न श्रोतों से किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना विकसित करते हुए यह ध्यान रखा गया है, कि जिला प्रशासन को इसके माध्यम से आपदाओं की चुनौतियों का सामना करने में आसानी हो और जिला प्रशासन त्वरित गति से प्रत्युत्तर कार्रवाई क्रियान्वित करते हुए आपदा प्रभावित लोगों का सहयोग किया जा सके ।

इस योजना में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सेन्डई फ्रेमवर्क 2015–2030, बिहार डी०आर०आर० रोड मैप 2015–2030 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009, सतत विकास लक्ष्य 2015–2030, आदि के प्रमुख सुझावों का निगमन किया गया है।

इसके प्रकाशन हेतु जिला स्तरीय पदाधिकारी, पुलिस प्रशासन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा/जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के हितभागियों द्वारा किया गया प्रयास काफी सराहनीय रहा है।

उदयन मिश्रा
(भा०प्र०से०)
जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
कटिहार, बिहार

बिहार सरकार

जिला आपदा प्रबंधन योजना–कटिहार

(District Disaster Management Plan- Katihar)

सन्देश

जिला आपदा प्रबंधन योजना एक समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना है। इस योजना में समुदाय की सहभागिता से आपदा प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए जिला स्तरीय विभागों तथा अन्य हितभागियों द्वारा कार्रवाईयाँ/गतिविधियाँ बनायी गई हैं। जिला आपदा प्रबंधन योजना जिला को आपदा प्रबंधन में मजबूती प्रदान करेगा।

आशा है, कि यह योजना जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत आपदा से निपटने तथा उससे होने वाले क्षति को कम करने एवं विभिन्न विभागों के कार्यो तथा गतिविधियों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तत्वों के समावेशन में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा। भविष्य में आपदा प्रबंधन योजना के संबंध में उसके बेहतर प्रभाव व उपयोग के दृष्टिगत समस्त हितभागियों के तरफ से दिये जाने वाले सुझावों को योजना में समाविष्ट किया जायेगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कन्सल्टेन्ट/डी०एम० प्रोफेशनल, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रोग्रामर, डाटा इन्टी ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक एवं आपदा प्रबंधन प्रशाखा के प्रधान सहायक सहित सभी कर्मी का सहयोग सराहनीय रहा है।

विजय कुमार,
(बि०प्र०से०)
अपर समाहर्त्ता,
(आपदा प्रबंधन) कटिहार।

प्राक्कथन

जिला आपदा प्रबंधन योजना (डी०डी०एम०पी०) विकास गतिविधियों का अविभाज्य एवं अनिवार्य अंग है, और बहु आपदाओं से ग्रस्त कटिहार जिले में इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।

यह योजना वर्ष 1987 की बाढ़ तथा अन्य आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए तैयार की जा रही है, यह प्रशासनिक संरचना सिर्फ बाढ़ ही नहीं बल्कि सूखाड़, अगलगी/अग्नि सुरक्षा, वज्रपात/आकाशीय बिजली, सड़क दुर्घटना, शीतलहर/लू, कोविड–19, चक्रवात, नाव दुर्घटना, नदियों के कटाव/मुसलाधार बारिश/ भूकंप, सर्पदंश एवं ओलावृष्टि के लिए भी प्रभावी समझा जायेगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के खतरों का न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के साथ–साथ आपदा प्रत्युत्तर एवं पुनर्वास की विभागवार उत्कृष्ट कार्रवाई तथा प्रत्येक आपदाओं के विशिष्ट संचालन मानक प्रक्रिया को समाहित करते हुए ठोस प्रयोगिक गतिविधियों को समाहित किया गया है। उपर्युक्त योजना जिला कटिहार को 'डिजास्टर रेजिलिएन्स' बनाने में उत्कृष्ट सहयोग प्रदान करेगा।

जिला आपदा प्रबंधन योजना को विकसित करने में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (बी०एस०डी०एम०ए०) के दिशा–निर्देश तथा जिला स्तरीय विभागों के पदाधिकारी, अनुमंडल, अंचल एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी के सुझावों का पूर्ण समावेश किया गया है।

यह योजना इस आशय के साथ सभी स्तर पर अपेक्षित है, कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कटिहार के द्वारा जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी जो विभिन्न स्थलों पर वरीय पदाधिकारी के रूप में तैनात हैं, वे ध्यान से जिला आपदा प्रबंधन योजना का अध्ययन एवं मनन करेंगे। इस योजना में सुझाये गये कार्रवाई के अनुसार अगर कोई आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसके प्रत्युत्तर हेतु सतत रूप से सजग एवं क्रियाशील बने रहेंगे। जिला आपदा प्रबंधन योजना एक उपयोगी हैंड बुक तथा मार्गदर्शिका की तरह प्रत्येक स्तर पर तैनात अधिकारियों के लिए उपलब्ध रहेगी।

पिछले कई वर्षो में आपदा प्रबंधन के मुद्दे को वैश्विक स्तर से जमीनी स्तर तक ले जाने की महत्वपूर्ण समझ विकसित हुई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बाद आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में राहत पहुँचाने के दृष्टिकोण की प्रत्युत्तरवादी कार्रवाई की सोच से बदलकर अब सक्रिय आपदा जोखिम न्यूनीकरण की कार्रवाई की सोच विकसित हो रही है। बिहार राज्य ने सेन्डई फ्रेम वर्क फॉर एक्शन 2015–2030 के आधार पर राज्य के लिए डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप 2015–2030 विकसित किया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना बिहार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप 2015–2030 का प्रमुख हिस्सा है।

***

विषय–सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	कार्यकारी सारांश **(Executive Summary)**	09–12
1	**परिचय** **(Introduction)** 1.1 उद्देश्य 1.2 योजना का कार्यक्षेत्र 1.3 योजना निर्माण पद्धति 1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व 1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण	13–18
2	**जिले का परिचय** **District Profile** 2.1 भौगोलिक विवरण 2.2 जलवायु तथा मौसम 2.3 सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक परिचय 2.4 जनसंख्या 2.5 प्रशासनिक ढाँचा 2.6 जिले का आर्थिक संसाधन	19–24
3	**खतरा, जोखिम, सवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण** **(Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis)** 3.1 जिला में संभावित खतरों का विश्लेषण 32 संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण 3.3 क्षमता विश्लेषण	25–42
4	**संस्थागत ढाँचा** **(Institutional Arrangement)** 4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 4.2 पंचायतें 4.3 समुदाय आधारित संगठन 4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र 4.5 समन्वय तंत्र	43–51
5	**आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय** **(Prevention, Mitigation and Preparedness Measures)** 5.1 विभाग/एजेंसी का विशिष्ट कार्य 5.2 सभी विभाग/एजेंसी के लिए कार्य 5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य	52–72

6	**क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण** **(Capacity Building and Training)** 61 संस्थागत क्षमता निर्माण 6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित 6.3 पेशेवर विशेषज्ञ 6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा 6.5 जागरूकता	73—77
7	**प्रत्युत्तर योजना** **(Response Planning)** 7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया 7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य 7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक 74 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र	78—94
8	**पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति** **(Reconstruction, Rehabilitation and Recovery)** 8.1 क्षति आकलन 8.2 पीड़ितो को राहत 8.3 आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन 8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण	99—102
9	**बजट एवं वित्तीय संसाधन** **(Budget and Financial Resources)** 9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम 9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम 9.3 अन्य स्त्रोत	107—110
10	**अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण** **(Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP)** 10.1 योजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन	103—104
11	**अंग्रेजी संकेत शब्दों के अर्थ**	105—106

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

परिभाषाएँ :

धारा–2 (घ) ''आपदा'' से किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट, विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सारवान् (भारी) हानि या मानवीय पीड़ाएँ या संपति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकसान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण (व्यापक) का है, जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

धारा–2 (ड.) ''आपदा प्रबंधन'' से योजना, संगठन, समन्वयन और कार्यान्वयन की निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया अभिप्रेत है जो निम्नलिखित के लिए आवश्यक है :–

- **i.** किसी आपदा के खतरे या उसकी आशंका का निवारण,
- **ii.** किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिणामों के जोखिम का शमन या उनमें कोई कमी,
- **iii.** क्षमता निर्माण,
- **iv.** किसी आपदा से निपटने के लिए तैयारियाँ,
- **v.** किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा से तुरंत बचाव
- **vi.** किसी आपदा के प्रभाव की गंभीरता या परिमाण का निर्धारण,
- **vii.** निष्क्रमण, बचाव और राहत,
- **viii.** पुनर्वास और पुनर्निर्माण,

आपदा (Disaster) : कोई भी समुदाय या समाज की संवेदनशीलता तथा आपदा से मुकाबला करने की क्षमता किसी खतरे के सम्मुख अनावृत (Exposure) होने की स्थिति में इनके बीच अंतक्रिया के फलस्वरूप मानव जीवन या संपत्ति अथवा आर्थिक या पर्यावरणीय क्षति या संघात (Injury) होने से सामान्य क्रिया कलापों पर गंभीर व्यवधान उत्पन्न हो जाय उसे आपदा कहते है।

खतरा (Hazard) : कोई ऐसी दुर्घटनायें, प्रक्रियायें या मानवीय गतिविधियाँ जो मानव जीवन, मानव स्वास्थ्य के लिए संघातिक हो अथवा जिनसे संपत्ति या पर्यावरण को नुकसान हो एवं दैन्दिनी समाजिक–आर्थिक क्रिया कलापों में अकस्मात व्यवधान उत्पन्न हो जाय तो इसे खतरा (Hazard) कहा जायेगा। खतरे के प्रकार :–

- जैविक
- पर्यावरणीय
- भू–गर्भीय या भू–भौतिकी
- जलवायु संबंधी
- तकनीकी

आपदा जोखिम (Disaster Risk) : किसी व्यवस्था, समाज अथवा समुदाय एवं स्थानिक पर्यावरण की संवेदनशीलता, आपदा से मुकाबला करने की क्षमता तथा प्रभावकता के बावजूद होने वाली मृत्यु, शारीरिक संघात, अथवा संपति विनाश/क्षति की संभावना को आपदा जोखिम कहा जायेगा।

स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk) : तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, तकनीकी तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों में जिस सीमा तक जोखिम को नजर अंदाज किया जा सकता है उसे ही स्वीकार्य जोखिम (Acceptable Risk) कहेगें।

अवशेष जोखिम (Residual Risk) : जोखिम न्यूनीकरण के लिए यथा संभव जरूरी उपाय करने के बावजूद यदि आपदा जोखिम अवशेष रहे, जिसके लिए आकस्मिक आपदा मोचन अथवा पुर्नप्राप्ति की क्षमता अनिवार्य रूप से हासिल कर ली गई हो तो ऐसे जोखिम को अवशेष जोखिम कहा जायेगा।

आपदा जोखिम शासन (Disaster Risk Governance) : जिन संस्थानों, प्रक्रियाओं, नीतियों, नियम–कानून तथा अन्य व्यवस्थाओं के बीच एक प्रभावी सामंजस्य के साथ आपदा जोखिम का सफलता पूर्वक निषेधीकरण अथवा न्यूनीकरण को तत्पर व्यवस्था को आपदा जोखिम शासन कहेंगे।

आपदा जोखिम सूचना (Disaster Risk Information) : आपदा जोखिम के सभी आयामों सहित किसी खतरे के दायरे में अवस्थित संवेदनशील समूह संपत्ति या प्रभावित होने वाले व्यक्ति, समूह, संस्थान या राज्य एवं उनकी परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारियों को आपदा जोखिम सूचना कहा जायेगा।

आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management) : नये आपदा जोखिम का निषेधीकरण, वर्तमान जोखिम का न्यूनीकरण तथा अवशेष आपदा जोखिम का प्रभावी प्रबंधन के लिए सभी आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों तथा रणनीतियों का प्रयोग करते हुये आपदा क्षति में कमी लाना तथा आपदा से मुकाबला करने की शक्ति में अभिवृद्धि करना ही आपदा जोखिम प्रबंधन है।

संवेदनशीलता (Vulnerability) : किसी व्यक्ति समुदाय संपत्ति या व्यवस्था को परिस्थिति विशेष में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय कारणों अथवा प्रक्रियाओं के चलते उत्पन्न खतरों की विभिषिका से मुकाबला करने को विवश होना पड़े तो इसे संवेदनशीलता कहते है।

क्षमता (Capacity) : किसी संस्था, समुदाय या समाज के पास उपलब्ध संसाधन, शक्ति तथा अन्य विशेषताओं (Attributes) जिसका उपयोग कर आपदा जोखिम का प्रबंधन किया जा सके। उसे क्षमता कहते हैं।

आपदा से मुकबला करना (Coping Capacity) : किसी व्यक्ति, संस्था या व्यवस्था के द्वारा उनके पास उपलब्ध कौशल एवं संसाधन का उपयोग करते हुये विपरीत परिस्थितियों में आपदा जोखिम से मुकबला करने की क्षमता आयाम लेती है

***

कार्यकारी सारांश

(Executive Summary)

1. जिला कटिहार सीमाचंल क्षेत्र के अन्य जिलों की अपेक्षा बाढ़ से अधिक प्रभावित होता है। जिला में बाढ़ की आवृत्ति (पिछले कुछ वर्ष से) प्रत्येक दो वर्ष में रही है। लेकिन 2021 जिले के लिए चुनौती पूर्ण वर्ष रहा है जिससे 16 प्रखण्डों में से 08 प्रखण्ड तथा 75 ग्राम पंचायते (पूर्ण एवं आंशिक) बाढ़ से प्रभावित हुई। सन् 2021 के बाढ़ से जिला के 7.3 लाख जनसंख्या एवं 90 हजार 872 पशु प्रभावित हुए। जिले में सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा बाढ़ है तत्पश्चात् आगजनी, सड़क दुर्घटना एवं चक्रवाती तूफान।
2. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद–31(1) के अनुसार कटिहार जिले के लिए आपदा प्रबंधन हेतु योजना का निर्माण किया गया है। इस योजना का निर्माण राज्य आपदा प्रबंधन योजना को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्राधिकारियों अन्य हितभागियों से परामर्श करने के पश्चात् किया गया है।
3. विभिन्न स्तरों पर बढ़ते हुए बहुआयामी खतरे/जोखिम एवं उनका न्यूनीकरण एवं टिकाउ विकास की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना की आवश्यकता महसूस की गयी है जिसमें पंचायतें और प्रखंडों की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ऐसा इसलिए ताकि स्थानीय प्रशासन संभावित आपदाओं से लड़ने हेतु पूर्व से तैयार हो, साथ हीं आपदा पश्चात् उसका प्रत्युत्तर (रिस्पॉन्स) बेहतर हो।
4. जिला आपदा प्रबंधन योजना दो खंडों में है। पहले खंड में, जिले में व्याप्त जोखिम, खतरा, संवेदनशीलता आकलन तथा उससे प्रभावित होने वाले संभावित जन समूह की पहचान की गयी है। साथ ही न्यूनीकरण, शमनीकरण तथा रिस्पॉन्स में किये जाने वाली कार्यों को चिह्नित किया गया है। दूसरे खंड में विभिन्न आपदाओं में लागू होने वाली राज्यादेश, मानक संचालन प्रक्रिया, जागरूकता से संबंधित एडवाइजिरी, 5 प्रतिशत पंचायतों से संपर्क में प्राप्त उत्तर, संसाधन–मानव एंव मशीनरी तथा मानदर एक जगह संग्रहित किये गये है।
5. आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन, सेंडई, जापान की विश्व स्तरीय कार्यशाला के बाद राज्य सरकार ने 10.05.2016 को बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप, (2015–30) से संबंधित राज्यादेश अधिसूचित किया है। इसी के अनुरूप जिला आपदा प्रबंधन योजना को तैयार किया गया है।
6. बिहार डी०आर०आर० रोड 2015–2030 के आधार पर (District Group as per hazards profile– जिला की प्रमुख आपदा बाढ़ की आवृत्ति, तीव्रता एवं क्षति को दृष्टिगत रखते हुए एच०आर०वी०सी० के उपरान्त जिला के अंचलों को तीन जोन में विभक्त किया गया है, जिसका विवरण निम्न है :–

ग्रुप	प्रोफाइल	सम्बन्धित अनुमण्डल	सम्बन्धित अंचल
ए जोन–1 (07 अंचल)	वर्ष 2007 से वर्ष 2022 के मध्य 8 से 10 बार बाढ़ से प्रभावित अंचल।	कटिहार	प्राणपुर, समेली, कुर्सेला एवं बरारी
		मनिहारी	मनिहारी एवं अमदाबाद
		बारसोई	कदवा
बी जोन–2 (04 अंचल)	वर्ष 2007 से वर्ष 2022 के मध्य 4 से 6 बार बाढ़ से प्रभावित अंचल।	कटिहार	फलका एवं मनसाही
		बारसोई	आजमनगर एवं बलरामपुर
सी जोन–3 (04 अंचल)	वर्ष 2007 से वर्ष 2022 के मध्य 3 से 4 बार बाढ़ से प्रभावित अंचल।	कटिहार	कोढ़ा, डण्डखोरा, हसनगंज एवं कटिहार
		बारसोई	बारसोई

7. एच०आर०वी०सी०ए० के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदा बाढ़ रही है। सन् 2009, 2010, 2011, 2015 एवं 2020 में बाढ़ का प्रभाव कम रहा है लेकिन सन् 2007, 2008, 2013, 2014, 2016 एवं 2019 में जिला इस प्राकृतिक आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है।
8. वर्ष 2021 के दौरान गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण सर्वप्रथम कुर्सेला, बरारी, मनिहारी अंचल प्रभावित हुए थे। जिससे मनिहारी के दक्षिणी कॉंटाकोष, धुरीयाही एवं कुर्सेला के पूर्वी मुरादपुर, पश्चिमी मुरादपुर एवं शाहपुर धर्मी तथा बरारी के 11 पंचायत आशिंक रूप से प्रभावित हुए। परन्तु नदी में जल स्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण उपरोक्त प्रखण्ड के कई पंचायत के साथ–साथ कई अन्य प्रखण्ड तथा निचले ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ के पानी का फैलाव हुआ और कई गाँव पूर्ण रूप से प्रभावित हुए। गंगा नदी का पानी बढ़ जाने के कारण गाँव की आबादी के साथ–साथ पशु को सुरक्षित एवं ऊँचे स्थल पर पहुँचाने हेतु 333 नावों का प्रयोग किया गया तथा विभागीय निर्देशानुसार निष्क्रमित आबादी को शरण स्थल पर भोजन, नास्ता, रहने का प्रबंध एवं बच्चों हेतु दुध, पेयजल, मैडिकल कैम्प, एवं अन्य सुविधाएँ कोविड–19 महामारी संबंधित बचाव को ध्यान मे रख कर उपलब्ध कराई गई। जिसमे 368 गाँव प्रभावित हुए जिसमे लगभग 7 लाख लोग प्रभावित हुए जिसके लिए 284 सामुदायिक किचेन संचालित किया गया तथा जिसमे बाढ पीड़ित व्यक्तियों को जिसमें दिन एवं रात का भोजन उपलब्ध कराया गया। 144496 प्रभावित परिवारों को जी.आर. की राशि प्रति परिवार 6 हजार रूपया आपदा संपुर्ति पोर्टल के माध्यम से विभागीय निर्देशानुसार उपलब्ध कराया गया। बाढ से प्रभावित कृषि योग्य भूमि हेतु किसानों को कृषि विभाग के निर्देशानुसार डी०बी०टी० के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।
9. जिले में व्याप्त विभिन्न खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता को देखते हुए विभिन्न आपदाओं का चिह्निकरण किया गया है जिससे उसकी उच्च, मध्य एवं निम्न तीव्रता को सहज जाना जा सके तथा इससे निपटने हेतु पूर्व तैयारी एवं न्यूनीकरण के प्रयास किये जा सकें।
10. जिला आपदा प्रबंधन योजना बनाने के क्रम में ''बॉटम अप'' योजना की प्रक्रिया अपनाई गयी है, जिसमें जिला के नीचले स्तर तक वास्तविकता से परिचय कराया गया है तथा उसके उपरांत नीचे से उपर की ओर (पंचायत– प्रखंड–अनुमंडल–जिला) जोखिम, खतरों एवं सवेदनशीलता की पहचान की गयी है। इस क्रम में जिला स्तर, अनुमंडल स्तर, प्रखंड स्तर तथा जिले के 5 प्रतिशत पंचायतों का भ्रमण किया गया।
11. जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए जिले के जिलाधिकारी, आपदाओं के कुप्रभावों को कम करने हेतु एकीकृत प्रत्युत्तर रणनीति तैयार कर सकते हैं या किसी वरीय अधिकारी को इसकी जबावदेही सौंप सकते हैं। एकीकृत प्रत्युत्तर इसलिए आवश्यक है ताकि प्रत्युत्तर कार्य का दोहरीकरण न हो।
12. जिला मुख्यालय में स्थापित जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (डी०इ०ओ०सी०) सक्रिय रूप से 24 घंटे कार्यरत है। क्षेत्रीय आपातकालीन परिचालन केन्द्र अनुमण्डल स्तर पर या आवश्यकतावश प्रखण्ड स्तर पर भी स्थापित किया जा सकता है। सभी लाईन डिपार्टमेंट में से कुछ नोडल एजेन्सी तथा अधिकांश सहयोगी एजेन्सी के रूप में कार्य करेगें।
13. बाढ़ के दौरान क्षति ग्रस्त हुए सड़कों एवं पुलों का तत्काल मरम्मति कराकर परिचालन योग्य बना दिया गया एवं एन०डी०आर०एफ०/एस०डी०आर०एफ० बटालियन के द्वारा राहत एवं बचाव कार्य उपलब्ध कराया गया। बाढ़ ग्रसित लोगों को कोविड–19 के नियमों का पालन करते हुए सामुदायिक किचन के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की गई एवं सूखे राशन का वितरण किया गया तथा मेडिकल टीम के द्वारा बाढ़ से प्रभावित लोगों को चिकित्सीय सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई तथा बाढ़ से प्रभावित पशुओं के लिए चारे एवं चिकित्सा की व्यवस्था की गई। माननीय मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के द्वारा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण एवं बरारी में आपदा राहत शिविर का निरीक्षण किया गया।

14. वर्ष 2017 में अपस्ट्रीम क्षेत्र नेपाल में सर्वाधिक वर्षापात होने से महानंदा एवं कोशी नदी का जलस्तर में वृद्धि हुई जिससे जिला लगभग आधा से अधिक भाग बाढ़ से प्रभावित हुआ। नदी का जलस्तर इतना अधिक था कि जगह–जगह लिंक रोड एवं बाँधे कट गये तथा साथ ही ग्राम पंचायत लुत्तीपुर के अझरैल में रेल की पटरी बह गई। दिनांक 13 अगस्त से 16 अगस्त तक किसी प्रकार से यातायात संचालित करना जिला प्रशासन के चुनौतीपूर्ण रहा। बाढ़ के दौरान संचार के समस्त श्रोत क्षतिग्रस्त हो गये थे और इन क्षेत्रों में संचार संभव नहीं हो पा रहा था। जिला प्रशासन द्वारा हेलीकॉप्टर एवं नाव के माध्यम से रिमोट एरिया में फुड पैकेट तथा अन्य त्वरित राहत सामग्री उपलब्ध कराई गयी। जिला प्रशासन ने जिन स्थानों तक रेल का सम्पर्क सम्भव था वहां स्पेशल रेल चलवाकर सहायता सामग्री उपलब्ध करवाया गया। भारतीय सेना द्वारा प्रमुख सम्पर्क मार्ग की त्वरित मरम्मत करते हुए रेल की पटरी की मरम्मतीकरण कर आवागमन पुनः आरम्भ करवाया गया।
15. **जिला में प्रकोप, संवेदनशीलता, जोखिम एवं क्षमता** की पहचान कर आपदाओं की तीव्रता एवं आवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए 3 जोन विभाजित किये गये है, जिसमें प्रथम हाई डमैज रिस्क जोन, मिडियम डैमेज रिस्क जोन एवं लो डैमेज रिस्क जोन में विभाजित किया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु विभाग वार संसाधनों की पहचान सुनिश्चित किया गया है।
16. जिले में वज्रपात/ठनका भी एक प्रमुख जिला की आपदा बन गयी है। वज्रपात/ठनका से वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक सम्पूर्ण जिला प्रभावित रहा है। उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त यह पाया गया, कि जिले में सन् 2017–18 से सन् 2019–20 तक वज्रपात/ठनका से अधिकतम प्रखण्ड प्रभावित रहा है। तथा वर्ष 2022 में माह अगस्त तक में 06 व्यक्तियों की मृत्यु वज्रपात/ठनका से हो चुका है। इस वर्ष जिले में मानव क्षति के संवेदनशील प्रखण्ड बारसोई, मनसाही, समेली, डंडखोरा, बरारी एवं प्राणपुर रहा है।
17. कटिहार जिले में जलजमाव के कारण, कदवा, आजमनगर, मनसाही, मनिहारी, कोढ़ा, प्राणपुर, बरारी एवं फलका अंचलों में सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे मार्ग, स्कूल एवं परम्परागत खेती करने वाले किसानों का मानना है, कि जलजमाव उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराता है जिससे उनके परिवार का जीवन यापन होता है। जिले के मनसाही, मनिहारी, कोढ़ा, प्राणपुर, बरारी एवं फलका अंचलों में सर्वाधिक मखाने की खेती होती है।
18. जिले में प्रत्येक वर्ष अगलगी/आगजनी की घटनायें होती रहती है, अतः जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र अग्निकाण्ड के प्रति संवेदनशील है। अगर संवेदनशीलता के आधार पर नजर डाली जाए तो आजमनगर, बारसोई और प्राणपुर प्रखण्ड सर्वाधिक संवेदनशील है। आपदा प्रबंधन विभाग, कटिहार के प्रतिवेदन अनुसार जिले में सन् 2012–13 से सन् 2016–17 के मध्य अगलगी की कुल 494 घटनाएँ घटित हुई हैं। सन् 2016–17 में अगलगी की जिले में कुल 63 घटनाएँ दर्ज की गयी हैं। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार जिले में अगलगी की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में बढ़ोत्तरी हुई है।
19. जिला चक्रवाती तूफान के दृष्टि से भी संवेदनशील रहा है। चक्रवाती तूफान का प्रभाव वर्ष 2015–16 में सर्वाधिक रहा, जिससे फलका, हसनगंज, बरारी सर्वाधिक प्रभावित प्रखंड रहा। चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक मानव क्षति फलका प्रखण्ड में हुई। तूफान, आँधी एवं ओलावृष्टि से जिला संवेदनशील है। यहाँ लगभग 58.1 प्रतिशत हिस्से में 47 मीटर/सेकेन्ड की दर से तथा शेष भागों में 39 से 44 मीटर/सेकेन्ड की दर से तेज आँधी आने की संभावना बनी रहती है। राज्य स्तर से इस तरह की संभावनाओं में चेतावनी जारी की जाती है।
20. आपदा प्रबंधन विभाग पटना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कटिहार जिले में सन् 1966, 1971, 1972, 1979, 1982, 1992, 2001, और 2009 में सूखाड़ का असर रहा है। सूखाड़ का प्रमुख कारण औसत वर्षापात का कम होना एवं सिंचाई सुविधाओं का आभाव रहा है। वर्ष 2022 (माह अगस्त तक) में कम वर्षापात के कारण सुखाड़ की सम्भावना बनी हुई है।

21. कटिहार जिला में ओलावृष्टि का भी असर रहता है, जिससे फसल के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ओलावृष्टि गिरने की सबसे अधिक संभावना मार्च महीने में रहता है तथा कभी–कभी अप्रैल महीने में ओलावृष्टि होने की संभावना होती है।
22. जिले में पक्की सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो उत्कृष्ट विकास का घोतक है। जिले में दो प्रमुख हाईवे मार्ग है एन एच 31 एवं एन एच 81। जिले में सड़क दुर्घटना के जोखिम की दृष्टि से देखा जाए तो पथ निर्माण विभाग कार्यालय, कटिहार के अनुसार मार्ग नं०–16 जो कुर्सेला से मीरगंज तक जुड़ती है जिसकी दूरी 32.40 किमी० है।
23. जिले में वे सभी संसाधन जो मानव तथा मशीनरी के रूप में विद्यमान है उनका संग्रहण किया गया है ताकि खतरे एवं जोखिम या आपदा के समय हमें पूर्व से ही उपलब्ध संसाधन की जानकारी हासिल हो। अग्निशमन संबंधित जानकारी में उपलब्ध अग्निशामक यंत्र की जानकारी दी गई है।
24. इस योजना में विशेष तौर पर अस्पताल सुरक्षा, स्कूल सुरक्षा पर चर्चा की गई है। अस्पताल सुरक्षा में आग, भूकंप, जनहताहत के समय की जाने वाली तैयारी की चर्चा की गई है वहीं स्कूल सुरक्षा में बच्चों में विभिन्न आपदाओं से लड़ने हेतु बच्चे, शिक्षक आदि को जानकारी हासिल कराकर क्षमता विकसित करने की चर्चा की गई है।
25. जिला आपदा प्रबंधन योजना का एक मुख्य हिस्सा है कि सभी आपदाओं की निषेधीकरण, न्यूनीकरण, एवं पूर्व–तैयारी क्षमतावर्द्धन में आपदावार विभिन्न विभागों द्वारा अपेक्षित उनके भूमिका एवं दायित्व की चर्चा खंड–1 के अध्याय–5 में आपदा, जिला स्तरीय कार्यालय तथा विभाग/संभागवार दायित्व एवं भूमिका (रोकथाम ,न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी,) को विस्तारित रूप से उल्लेख किया गया है। साथ ही विभिन्न आपदाओं के प्रति लोगों को 'जागरूक' बनाने हेतु बचाव की सामग्रियाँ (संदेश) संग्रहित की गई है, जिसे जिला प्रशासन/प्राधिकरण समय–समय पर विभिन्न माध्यमों से प्रचारित एवं प्रसारित करेगी। इसे खंड–2 में रखा गया है।
26. इस योजना में विभिन्न आपदाओं में हितभागियों द्वारा की जाने वाली प्रत्युत्तर (रिस्पांस) के कार्य चिह्नित है। बाढ़, भूकंप, सूखा, अग्निकांड, सड़क दुर्घटना तथा भीड़ आदि में घटित घटनाओं के समय कब, किसे तथा क्या कार्य किये जाने है इसकों चिह्नित किया गया है। राहत सामग्री के संकलन, वितरण, शिविर स्थापना, अति आवश्यक अंतः संरचना का पूर्णस्थापन, पूर्व से बेहतर निर्माण तथा इसे सुचारू देने हेतु समन्वय एवं सामंजन की विस्तृत रूप से चर्चा है। इन सब कार्यो में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र की महत्ता को भी स्थापित किया गया है। साथ ही जिले स्तर पर प्रत्युत्तर हेतु संसाधन मानचित्रण एवं आकलन एक जगह एकत्रित की गई है।
27. योजना में आपतकालीन सहयोगी कार्य एवं इस हेतु लाईन विभाग एवं अन्य हितधारकों की विशेष रूप से पहचान की गयी है, साथ ही बाढ़, सूखा, अग्निकांड, पेयजल संकट एवं अन्य से संबंधित सभी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को शामिल किया गया है।
28. योजना में क्षमतावर्द्धन पर विशेष बल दिया गया हैं ताकि चिह्नित खतरों, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता के संदर्भ में आपदा से संबंधित विषयों पर ज्ञानवर्द्धन प्रशिक्षण के माध्यम से किया जा सके। इसके लिए पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न प्रतिभागियों हेतु विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देने का एक खाका प्रस्तुत की गई है। इसे अपनाने की जरूरत है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल इस योजना में दी गयी है।

***

अध्याय : 1—परिचय

(Introduction)

आपदा प्रबंधन योजना सरकार, समुदाय, निजीगत क्षेत्रों तथा स्वयं सेवी संगठनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण कटिहार जिला हेतु निर्मित किया गया है। यह योजना जिला में निवास करने वालों समुदायों, सरकारी विभागों, स्वयं सेवी संगठनों, निजीगत क्षेत्रों एवं समुदाय आधारित संगठनों आदि सभी के लिए है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण, अद्यतनीकरण तथा कार्यान्वयन तथा इसमें नियमित सुधार का अधिकार और जबाबदेही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कटिहार को है। इस योजना के निर्माण में जिले में स्थित सभी हितभागी समूहों ने सहभाग किया है। वर्णित हितभागी समूहों की भूमिकाओं एवं जबाबदेहियों के विषय में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को ध्यान में रखते हुए योजना के दोनों खण्डों (आपदा शमन एवं प्रत्युत्तर योजना) में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है।

1.1— उद्देश्य:— डी.डी.एम.पी. निर्माण हेतु निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं:—

1. आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए जिले के सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक स्थितियों पर समझ विकसित करना।
2. जिला के प्रकोप, जोखिम, संवेदनशीलता का विश्लेषण करते हुए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित खतरों हेतु संवदेनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना।
3. जिले के चिन्हित जोखिमों के शमन के लिए जिला स्तरीय विभिन्न हितभागियों को शमन के उपाय सुझाना।
4. समुदाय स्तर/स्थानीय निकाय स्तर पर आपदा पूर्व तैयारी को महत्व देना।
5. संस्थागत तंत्र के अर्न्तगत प्रशासन, सरकारी विभाग एवं अन्य हितभागियों को सुगमकर्ता की भूमिका हेतु तैयार करना।
6. जोखिम में कमी लाने हेतु जिला स्तर के विभिन्न हितभागियों की कार्य योजना विकसित करना।
7. आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण में जिला स्तरीय हितभागियों की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित कराकर उन्हें योजना के प्रति जागरूक करना।
8. समस्त हितभागियों द्वारा समय से योजना का अद्यतनीकरण करने हेतु प्रक्रिया निर्माण करना।
9. जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन से सम्बन्धित समावेशी अभ्यास तथा इसे विकास सम्बन्धी नवाचारों के साथ समाहित करने के लिए समेकित एवं समन्वित योजना बनाना।
10. पुनर्वास में पहले से बेहतर (बिल्ड बैक बेटर) की अवधारणा को समझना।

1.2 योजना का कार्यक्षेत्र

आपदा प्रबंधन योजना के दायरे में सम्पूर्ण कटिहार जिला जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3057 वर्ग किलो मीटर है तथा 2011 की जनगणना में इसकी आबादी 3071029 है, को लिया गया है। इस जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय, पंचायती राज्य संस्थायें यथा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् तथा शहरी निकाय आते हैं। इस जिले के विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों में कई अर्न्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा कई स्थानीय स्वयं सेवी संस्थायें कार्य कर रही है।

योजना बनाने के क्रम में जिन बिन्दुओं पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया गया, वो निम्नांकित है :—

1. आपदा प्रबंधन योजना का निरूपण करते समय यहाँ जितने भी सरकारी/गैर सरकारी हितधारक हो सकते है, से संपर्क कर उनसे उनके द्वारा पूर्व में किए गये पूर्व तैयारी, प्रत्युत्तर, खतरो का चिह्निकरण, पुनर्प्राप्ति (रिकवरी), शमन के अनुभवों को शामिल किया गया है।

2. इस क्रम में विभिन्न धार्मिक स्थलों मेले बड़े–बड़े सभा स्थल आदि को भी संवेदनशीलता के दायरे में रखा गया है।
3. जिले में सड़क दुर्घटना आपदा का स्वरूप लेने लगी है। अतः योजना में सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा/बचाव को शामिल किया गया है।
4. लिंग भेदभाव के मुद्दे आपदा प्रबंधन में बहुत अधिक महत्व रखते है। इनकी संवेदनशीलता तब और बढ़ जाती है जब महिलाएं गर्भवती होती है या इनके गोद में बच्चे होते है। अतः योजना बनाने के क्रम में लिंगीय मुद्दे भी शामिल है।
5. जलवायु परिवर्तन को भी योजना निर्माण के क्रम में दृष्टिगत रखा गया है क्योंकि हमारे दैनिक जीवन को यह भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक वर्षापात, सूखाड़, तापक्रम में वृद्धि इत्यादि परिलक्षित हो रहा है। सस्टेनबुल डेवलपमेण्ट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन, गोल 14 लाइफ बिलो वाटर एवं गोल 15 लाइफ आन लैण्ड के संकेतकों को विशेष रूप से अध्ययन कर जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की कार्यवाही को शामिल किया गया है।
6. वज्रपात/आकाशीय विद्युत कुछ वर्षों में अकस्मात दुर्घटना के रूप में उभर कर आयी है। इसके सम्बन्ध में ठोस समुदाय स्तरीय कार्यवाही हेतु जिले के 5 प्रतिशत पंचायत के ग्रामीणों से भी इसकी जानकारी प्राप्त की गयी।
7. इसके अतिरिक्त आवश्यक सेवाओं को निरन्तर बनाए रखने हेतु किए जाने वाले कार्यों एवं यंत्र–संयंत्र के रखरखाव और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रयास को ध्यान में रख कर योजना निर्माण किया गया है।
8. आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न हितधारकों के मध्य समन्वय, सहयोग एवं एकीकरण की आवश्यकता होती है। योजना निर्माण के क्रम में सभी स्तरों पर इसे अपनाने के प्रयास किए गए हैं।

1.3 योजना निर्माण पद्धति

योजना तैयार करने के तथा क्रियान्वयन के लिए विभिन्न रणनीतियाँ तैयार की गयी है, जिसका विवरण निम्न है–

1. विषय विशेष पर विस्तृत अध्ययन
2. क्षेत्र विशेष की पहचान, समीक्षा एवं विश्लेषण
3. हितभागियों की पहचान
4. प्रकोप जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता आंकलन
5. योजना निर्माण हेतु विभाग स्तरीय आवश्यक आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण
6. विशिष्ट योजनाओं की जानकारी, मूल्यांकन एवं आपदा के समय जुड़ाव तथा निश्चित अन्तराल पर आकलन
7. आपदाओं से निपटने हेतु विभागस्तर पर क्षमता निर्माण
8. क्षेतीज एवं उर्ध्वाधर विभागीय समन्वय
9. क्रियान्वयन हेतु वित्तीय एवं वैधानिक समझ
10. योजना का सफल क्रियान्वयन

जिला बहु–आपदा प्रबंधन योजना निर्माण हेतु निम्नलिखित प्रक्रियाएँ अपनाई गयी है :–

जिले में जिला पदाधिकारी/अपर समाहर्ता एवं नोडल के साथ सम्पर्क और कार्य की अवधारणा पर विस्तृत चर्चा

↓

जिले में जिला स्तरीय विभागों एवं अन्य हितभागियों के साथ प्रारम्भिक कार्यशाला का आयोजन

↓

जिला स्तरीय विभिन्न हितभागियों के साथ समन्वय बैठक

↓

डी०डी०एम०पी० निर्माण हेतु विभागवार प्रपत्र तैयार कर आंकड़ो के एकत्रीकरण हेतु अपर समाहर्त्ता के पत्र के साथ आपदा प्रबंधन प्रशाखा, कटिहार द्वारा समस्त विभागों को भेजा गया तथा विभागस्तरीय आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं उसका विश्लेषण

↓

डी०डी०एम०पी० का ड्राफ्ट कंटेंट एवं आउट लाइन तैयार करना

↓

जिला में ग्राम स्तर पर एच०आर०वी०सी०ए० आयोजित करना

↓

समुदाय के साथ बैठक कर ग्राम पंचायत स्तरीय डी०आर०आर० कार्ययोजना का निर्माण एवं उनका अभिमुखीकरण

↓

डी०डी०एम०पी० का प्रथम ड्राफ्ट तैयार करना

↓

डी०डी०एम०पी० का प्रथम ड्राफ्ट जिला प्रशासन एवं विभागों के साथ साझा करना तथा सुधार एवं गुणवत्तावृद्धि हेतु सुझाव प्राप्त करना।

↓

विभागों के समीक्षा के आधार पर जिला आपदा प्रबंधन योजना का अन्तिम रूप प्रदान करते हुए फाइनल ड्राफ्ट तैयार करना

1.4 जिला आपदा प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन मुख्य हितधारक तथा उनके दायित्व

जिला आपदा प्रबंधन योजना में जिले के प्रकोप, जोखिम एवं संवेदनशीलता को वर्णित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना (DDMP) जिला स्तरीय विभागों को आपदा प्रबंधन साइकिल में वर्णित समस्त चरणों में कार्रवाई हेतु एक दिशा निर्देश एवं फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। समय–समय पर आपदा प्रबंधन में उभरते वैश्विक सर्वोत्तम अभ्यासों एवं स्थानीय एवं वैश्विक ज्ञान के आधार पर जिला को आपदामुक्त/आपदा का सामना करने में सक्षम (Resilience) बनाने में डी०डी०एम०पी० एक "प्रगतिशील दस्तावेज" होगा। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों तथा आपदा प्रबंधन नीति 2009 के दिशा–निर्देश एवं स्थानीय अभ्यासों के अनुसार निर्मित है। जिले में विभिन्न स्तरों पर सभी विभाग एवं एजेन्सियों द्वारा विकासीय योजनाएं तैयार की जाती है।

आपदाओं के बदलते स्वरूप में उसका प्रबंधन न केवल वैश्विक स्तर पर वरन् स्थानीय स्तर पर भी अब एक अनिवार्य विषय हो गया है। बिहार राज्य के सन्दर्भ में बात करें तो वर्ष 2005 के पूर्व तक बिहार में आपदा प्रबंधन के लिए कोई विशेष योजना तैयार नहीं किया जाता था, लेकिन 2005 के बाद भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किये जाने तथा आपदाओं की बढ़ती तीव्रता व बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में यह अनिवार्य हो गया कि न सिर्फ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ही आपदा प्रबंधन योजना तैयार करे एवं बल्कि प्रत्येक विभाग को भी अपना आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना अनिवार्य है। अब आपदा प्रबंधन का विषय केवल राहत पहुंचाने तक ही सीमित नहीं रह गया है, अपितु सभी स्तरों पर क्षमता विकसित करने तथा जोखिम न्यूनीकरण करने सम्बन्धी विषयों को भी इसमें प्रमुख्ता से शामिल किया जाने लगा है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए यह जरूरी हो जाता है कि आपदा प्रबंधन को विकास कार्यक्रमों से अलग न देखते हुए इसे एक समेकित बहु आयामी गतिविधि के रूप में कार्यान्वित किया जाये।

यह योजना न्यूनीकरण की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता है तथा उसके आधार पर किसी भी आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु सभी जिम्मेदार हितभागियों को स्पष्टता प्रदान करेगा कि कौन सा विभाग/हितभागी किस प्रकार के आपदाओं को प्रबंधन हेतु जवाबदेह है। डी०डी०एम०पी० में यह परिकल्पना किया गया है, कि जिले में किसी भी प्रकार की अगर आपदा होती है तो उसकी कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन तत्पर है। डी०डी०एम०पी० को इस तरीके से बनाया गया है, कि आपदा के किसी भी चरण में आसानी पूर्वक विस्तृत रूप से प्रयोग किया जा सके।

डी०डी०एम०पी० का जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक वर्ष सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ आपदा पूर्व तैयारियों की समीक्षा की जायेगी। डी०डी०एम०पी० के अद्यतनीकरण हेतु आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) द्वारा जिला स्तरीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विभागस्तरीय आपदा प्रबंधन हेतु पूर्व निर्मित योजनाओं का अद्यतनीकरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा उस योजना की एक प्रति जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा डी०डी०एम०ए० को निर्धारित समयानुसार हस्तगत करना होगा।

1.5 योजना की समीक्षा तथा अद्यतनीकरण

जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। इसे प्रत्येक वर्ष संबंधित हितधारक विभागों द्वारा अद्यतन किया जायेगा। जिसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित करते हुये इसका एक–एक प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं विभाग को उपलब्ध कराई जानी है।

आपदा कैलेन्डर के दृष्टिगत प्रत्येक संभावित आपदा काल के पूर्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आहूत विशेष बैठक में आपदा पूर्व तैयारी तथा आपदा न्यूनीकरण की विस्तृत समीक्षा की जायेगी तदनुसार सभी हितभागी अपने दायित्वों का निर्वहन के लिए तैयार रहेंगे। आपदा के दौरान किये गये कार्यों के प्रभाव की भी समीक्षा की जायेगी तथा इन समीक्षाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में जिला आपदा प्रबंधन योजना को पुनर्मुल्यांकन कर इसे पुर्नरीक्षित तथा संशोधित किया जायेगा। **(आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 31(4) द्रष्टव्य)**

***

अध्याय : 2–जिले का परिचय
(District Profile)

2.1 भौगोलिक विवरण :–

कटिहार जिला बिहार के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। यह जिला गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जिला के पश्चिम में कोशी नदी एवं पूरब में महानंदा बहती है। कटिहार जिला बिहार राज्य के घनी आबादी वाले जिलों में से एक है। कटिहार $25^{0}42'$से $26^{0}25'$ उत्तरी अक्षांश और $87^{0}10'$ से $88^{0}05'$ पश्चिमी देशान्तर में फैला हुआ है। इस जिले का क्षेत्रफल 3057 वर्ग किलोमीटर है।
जिले के उत्तर दिशा में पूर्णियाँ, पश्चिम दिशा में भागलपुर और पूर्णियाँ जिला है, पूर्व दिशा में उत्तरी दिनाजपुर जिला तथा दक्षिण पूर्व दिशा में मालदा जिला है तथा दक्षिण में साहेबगंज (झारखण्ड) और भागलपुर स्थित है। कटिहार जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कटिहार शहर में स्थित है। उत्तर पूर्वी बिहार का यह जिला बिहार के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में भी शामिल है तथा जिले की लगभग नब्बे फीसदी आबादी शोषित एवं वंचित समुदाय से है।

बाढ़ अपेक्षाकृत जिले के उत्तरी और पश्चिमी भाग को कम प्रभावित करता है। जिले का उत्तरी भाग कुछ ऊँचा एवं दक्षिण की ओर कुछ हल्का ढ़लान है। गंगा, महानन्दा और कोशी के कटाव से मनिहारी प्रखंड में एक छोटी सी मिट्टी का टापू बन गया है, जो देखने में छोटी सी पहाड़ी की तरह लगता है।

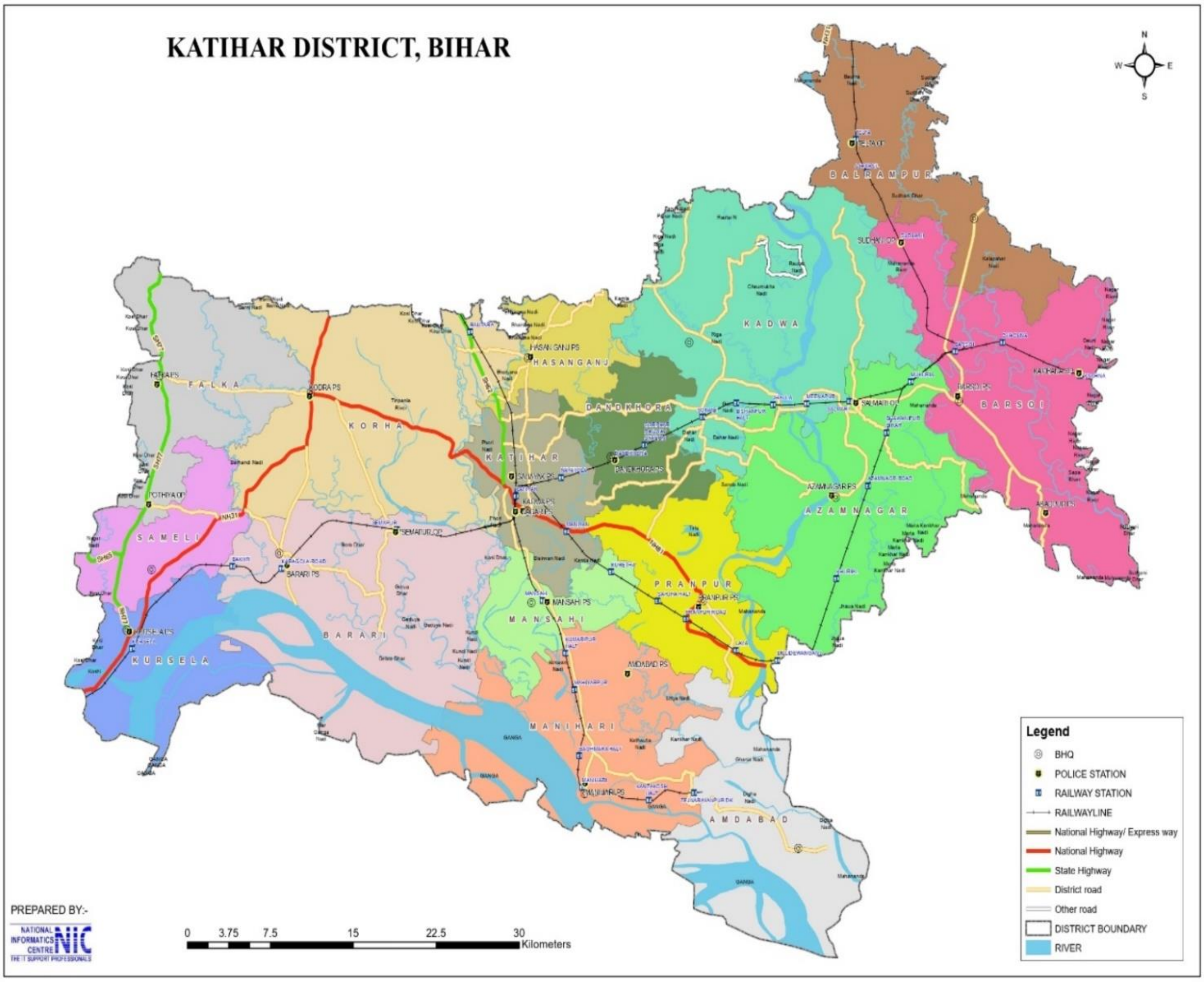

2.2 जलवायु तथा मौसम :–

जलवायु :–

जिला कटिहार एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में आता है। जिले की जलवायु उष्ण औसत अवस्था के रूप में वर्णित की जा सकती है जो शेष बिहार तथा पश्चिम बंगाल के जलवायु का औसत है। यहाँ बारिश के महीनों में आद्रता बढ़ जाती है। वर्षा जल्द प्रारम्भ हो जाती है और समान्य रूप से मानसून जून मध्य में आ जाता है और बरसात शुरू हो जाती है तथा यहाँ प्रति वर्ष जुलाई, अगस्त, सितम्बर, तथा अक्टूबर माह तक बाढ़ का भय बना रहता है। वर्ष 2019 में जिले में 2 फेज में बाढ़ से विभिन्न अंचल प्रभावित हुए, **प्रथम फेज** में कदवा, बलरामपुर बारसोई, आजमनगर, प्राणपुर एवं डंडखोरा तथा **द्वितीय फेज** में कोढ़ा, फलका, समेली, कुर्सेला, बरारी, मनसाही, मनिहारी एवं अमदाबाद प्रभावित हुए। जिले में दिसम्बर और जनवरी के महीने के दौरान उच्चतम तापमान 28.1 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनवरी सबसे ठंडा महीना रहता है इस माह में जिले का उच्चतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस जिला में दिसंबर व जनवरी माह में रात में धुंध व कोहरा छाये रहना समान्य लक्षण है। फरवरी में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है।

नदियाँः–

कटिहार जिलें में कुल 06 नदियाँ है जो गंगा, महानंदा, कोशी, बरण्डी, रिघा एवं कारीकोशी है। जिले को सर्वाधिक नुकसान गंगा, कोशी, बरण्डी एवं महानंदा नदियों से होता है।

महानंदा नदी से प्रमुख रूप से बलरामपुर, कदवा, आजमनगर, प्राणपुर, एवं बारसोई अंचल प्रभावित होता है। डण्डखोरा अंचल अगर महानंदा का पश्चिमी तटबंध यदि मानवीय या प्राकृतिक कारणों से टूट जाता है तब कुछ पंचायते बाढ़ से प्रभावित होती है। वर्ष 2016 में महानन्दा नदी का पश्मिची तटबंध टूटने के बाद डंडखोरा अंचल के कुल 06 ग्राम पंचायतों में से 05 ग्राम पंचायते प्रभावित रही है जिसमें 02 पूर्ण एवं 03 आंशिक प्रभावित रहा था। वर्ष 2019 में भी डंडखोरा के छह पंचायत आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित रहा था। बरण्डी नदी से फलका अंचल प्रभावित होता है। इस अंचल के सालेपुर पंचायत में बरण्डी नदी में थॉमस बाँध नहीं रहने के कारण बाढ़ पानी बँफू टोला में प्रवेश कर जाता है, जिससे लगभग अधिकांश परिवार प्रभावित होता है। मोरसण्डा पंचायत के अन्तर्गत नदी के जलस्तर में वृद्वि होने से थॉमस बाँध के अन्दर बसे लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। गंगा नदी से प्रायः कुर्सेला, मनिहारी, बरारी, अमदाबाद आदि अंचल बाढ़ से प्रभावित होता है। कारीकोशी नदियों से कोढ़ा एवं बरारी अंचल के कुछ ग्राम पंचायत प्रभावित होते हैं।

वनः–

जिले में वन 1785 हेक्टेयर है। वनस्पतियों के बेहतर उपज के लिए यहाँ की मिट्टी काफी अच्छी मानी जाती है। पौधों के त्वरित बढ़ोतरी हेतु यहाँ की जलवायु और मिट्टी दोनों ही बेहतर है। बाँस की बढ़ोतरी यहाँ तेजी से होती है और सम्पूर्ण जिले में मोटे बाँस की खेती एवं झरमुट होती है। जिले में आम, अमरूद, लीची आदि के पौधे के फलदार बगीचे भी हैं।

मिट्टी व फसलें :–

कटिहार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मिट्टी मुख्यतः कछारी मिट्टी है, इसके अतिरिक्त यहाँ रेतीली एवं बलुई मिट्टी भी पायी जाती है। मिट्टी की पी०एच० 6.5 से 7.8 तक है।

जिले के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि है। जिले में तीन कृषि के मौसमः–रबी, खरीफ और जायद है। रबी का मौसम माह अक्टूबर व नवम्बर से शुरू होता है तथा फसल मार्च व अप्रैल में काटी जाती है। रबी की प्रमुख फसलें हैं :– गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसो, अलसी एवं आलू आदि। खरीफ का मौसम

जुलाई में शुरू होता है और फसल अक्टूबर व नवम्बर में काटी जाती है। खरीफ की प्रमुख फसलें :– बाजरा, मक्का, अरहर, धान, गन्ना, प्रमुख फसलें हैं। जायद वह फसलें होती हैं जो अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती हैं। यह अप्रैल से जुलाई के बीच बोयी जाती है। यह फसलें जाड़ा बारिश और गर्मी के मौसम के मुताबिक होती है। जिले में सिंघाड़ा एवं मखाने की फसले महत्वपूर्ण है। जो बड़े मात्रा में पैदा की जाती है। जूट एवं धान यहाँ की प्रमुख फसल मानी जाती है।

2.3 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक परिचय :–

कटिहार एक ऐतिहासिक स्थल है और इसे भारतीय इतिहास में स्थान दिया गया है। यह किंवदन्ती है, कि हिन्दूओं के भगवान कृष्ण यहाँ आये थे और मनिहारी (कटिहार जिला का धार्मिक स्थल) में उन्होंने अपना काफी समय व्यतित किया। जिसमें विभिन्न साम्राज्य के राजाओं ने राज किया है। उसके पश्चात् राजा आजातशत्रु जो मगध शासकों के दूसरे चरण के शासक ने राजगीर से इस पर राज किया। चौथी शताब्दी बी०सी० ने यहाँ पर मौर्य काल के उदय को देखा है, जिसको राजा अशोक ने चलाया था। मगध के पश्चात् गुप्त तथा उसके पश्चात् बंगाल के पाल साम्राज्य के शासकों ने इस जिले पर राज किया। इस नगर ने साथ ही साथ मुसलमान शासकों का उदय भी देखा है। उनका राज यहाँ पाँच शताब्दियों तक चला (12–17 शताब्दी तक) जिसने बिहार राज्य पर एक अमिट छाप छोड़ी इसके पश्चात् ब्रिटिश ने बक्सर के युद्व में कटिहार के साथ साथ पूरे बिहार पर 1947 ई० तक भारत के स्वतंत्र होने तक राज किया।

पूर्व में कटिहार पूर्णियाँ जिला का एक हिस्सा था और कुछ समय पश्चात् 1813 के आस–पास मालदा जिला से जुड़कर गठित किया गया था। मुगल सरकार द्वारा जिला ताजपुर गठित किया। बिहार जब मुगल शासक के अधीन आया तब बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार टाऊन पर राज किया गया उसने बिहार को 12 वीं शताब्दी के आस–पास अपनी राजधानी बनायी। बख्तियार खिलजी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन इवाज द्वारा पूरे बिहार में समाज का विस्तार किया गया। कटिहार का कुछ हिस्सा 13वीं शताब्दी के आस–पास मोहम्मद अली खान के अधीन आया। 1770 ई० में मोहम्मद अली खान ने जिले को पूर्णियाँ के गर्वनर के माध्यम से ब्रिटिश के हाथ सौप दिया। प्रथम अंग्रेज सुपरवाइजर डूकरेल मोहम्मद अली खान को हटाकर पूर्णियाँ जिले का कलेक्टर बना। 1872 में जिला बिहार और बनारस मण्डल के नियंत्रण कलकत्ता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को स्थान्तरित हुआ था। आजादी के पश्चात् कटिहार पूर्णियाँ जिले का एक अनुमंडल था जिसे 2 अक्टूबर 1973 में एक अलग जिले का दर्जा दे दिया गया।

कटिहार अपने प्राचीन इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं यहाँ बहुत सी ऐसी संरचनाएं है जो विभिन्न साम्राज्यों जैसे–मगध, गुप्त तथा मौर्य के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। पूर्व में कटिहार ऐसे क्षेत्र के रूप में जाना जाता था जहाँ जूट मिलों की बहुतायत थी जो कि कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बंद हो गये।

मनिहारी गाँव जिला मुख्यालय कटिहार से 25 कि०मी० दक्षिण गंगा नदी के तट पर स्थित है। मनिहारी घाट गंगा के किनारे होने के कारण लोगों में बहुत प्रसिद्ध एवं पूज्यनीय है और यह घाट मनिहारी के महत्व को बढ़ाता है तथा यह 100 वर्ष पुराना घाट है। मनिहारी साहेबगंज जिला से जुड़ा हुआ है, साहेबगंज वर्तमान में झारखण्ड में अवस्थित है। मनिहारी घाट से हिन्दूओं की आध्यात्मिक आस्था बहुत गहड़ी है और उनका लगाव अत्यधिक है। गंगा नदी के किनारे मकर संक्रान्ती, कार्तिक पूर्णिमाँ तथा मगधी पूर्णिमाँ के अवसर पर विशाल मेला का आयोजन होता है, साथ ही साथ यहाँ छठ पर्व भी हर्ष उल्लास एवं सामाजिक सौहार्द पुर्वक मनाया जाता है। लोग यहाँ आकर गंगा जी में स्नान करते हैं और उन लोगों द्वारा इन अवसरों पर सूर्य की पूजा की जाती है और लोग अपने और परिवार के कुशल–क्षेम हेतु यहाँ प्रार्थना करते हैं। वर्तमान में यह शहर के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन में से एक है जो पाँच रेलवे लाइन मार्गों को सेवाएँ देता है।

दर्शनीय स्थल :–

1. बड़ी दुर्गा मंदिर
2. काली मंदिर
3. गोरखनाथ मंदिर
4. गोगाबिल झील

जिले का प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार :–

छठ पर्व, दिपावली, होली, रामनवमी, मकर संक्रान्ती, दुर्गापूजा, विश्वकर्मा पूजा, ईद एवं बकरीद आदि है।

2.4 जिले का जनसंख्या :–

कटिहार जिला की जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार 3071029 है, यहाँ कुल परिवार 619076 है। जिला में लिंगानुपात पुरूषों के प्रभुत्व को प्रकट करता है, 2011 की जनगणना के आधार 1000 पुरूषों पर 919 महिलाएँ हैं ग्रामीण इलाकों में लिंगानुपात 923 ज्यादा है अपितु शहरी क्षेत्र के शहर का लिगांनुपात 895 है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से कम है। आबादी औसत घनत्व 1005 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जिले की दशकीय वृद्धि दर 28.35 प्रतिशत है। 2011 के जनगणना के अनुसार जिले का जनसंख्यात्मक विवरण नीचे इंगित है :–

सारणी :– 01 जिले का जनसंख्यात्मक विवरण :–

क्र०सं०	जनसंख्या	लिंग के अनुसार		कुल परिवार	परिवारों की संख्या	
		कुल पुरूष	कुल महिला		ग्रामीण क्षेत्रों	शहरी क्षेत्रों
1	3071029	1600430	1470599	619076	565512	273822

.

जिला जनसांख्यिकीय विभाग, कटिहार के अनुसार जिले की कुल साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 41.68 प्रतिशत है। साक्षरता से सम्बंधित अन्य विवरण सारणी 2 मे प्रदर्शित हैः–

सारणी :–02 जिले का साक्षरता का विवरण :–

क्रम संख्या	जनसंख्या–औसत साक्षरता (जनगणना–2011)	लिंग के अनुसार			
		कुल पुरूष	प्रतिशत	कुल महिला	प्रतिशत
1	1,280,190	762,256	41.68	517,934	35.21

2011 की जनगणना के अनुसार जिला कटिहार का सामाजिक ढ़ाँचा मिश्रित धर्म से बना हुआ है, जिसमें हिन्दू वर्ग की संख्या अन्य वर्ग से अधिक है। विस्तृत विवरण सारणी 03 में प्रस्तुत है :–

सारणी :– 03 जिले का सामाजिक–आर्थिक विवरण :–

क्र० सं०	धर्म के आधार पर विवरण	जनसंख्या (जनगणना–2011)	प्रतिशत (%)	जाति के आधार पर	जनसंख्या (जनगणना–2011)	पुरूष	महिला	प्रतिशत
1	हिन्दू	1684589	54.85	अनुसूचित जाति	263100	92,190	87,781	8.6
2	मुस्लिम	1365645	44.47	अनुसूचित जनजाति	179971	136,429	126,671	5.9
3	ईसाई	8659	0.28					
4	सिक्ख	2754	0.09					
5	बौद्ध	212	0.01					
6	जैन	507	0.02					

स्रोत :–http://www.censusindia.co.in/district/katihar-district-bihar-212

2011 की जनगणना के अनुसार जिला कटिहार दिव्यांगता शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है। जिले में दिव्यांगता का विवरण नीचे इंगित है :–

सारणी :– 04 जिले में दिव्यांगता का विवरण :–

क्र०सं०	दिव्यांगो की संख्या (जनगणना–2011)	लिंग के अनुसार		ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगों की जनसंख्या	शहरी क्षेत्रों में दिव्यांगों की जनसंख्या
		पुरूष	महिला		
1	46323	26564	19759	42028	4295

2.5 जिले की प्रशासनिक संरचना :–

सारणी :– 05 जिले की प्रशासनिक ढाँचा का विवरण :–

क्र०सं०	संरचना का विवरण	संख्या	विस्तृत
1	अनुमंडल	03	कटिहार, बारसोई, एवं मनिहारी
	कटिहार अनुमंडल में दस प्रखण्ड आते हैं।	10	कटिहार, कोढ़ा, फलका, समेली, बरारी, कुर्सेला, प्राणपुर, हसनगंज, डण्डखोरा, मनसाही
	बारसोई अनुमंडल में चार प्रखण्ड आते हैं।	04	बारसोई, कदवा, आजमनगर, बलरामपुर
	मनिहारी अनुमंडल में दो प्रखण्ड आते हैं।	02	मनिहारी अैर अमदाबाद
2	अंचल/प्रखण्ड	16	कुर्सेला, बरारी, समेली, फलका, कोढ़ा, कटिहार, मनसाही, मनिहारी, अमदाबाद, प्राणपुर, आजमनगर, बारसोई, बलरामपुर, कदवा, डण्डखोरा एवं हसनगंज
3	ग्राम पंचायत	231	
4	राजस्व गाँवों की संख्या	1548	
5	नगर निगम	01	कटिहार
6	नगर पंचायत	07	बरारी, कुर्सेला, कोढ़ा, मनिहारी, अमदाबाद, बारसोई एवं बलरामपुर
7	विधान सभा	07	कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी एवं कोढ़ा

2.6 जिले का आर्थिक संसाधन :–

जिले में कृषि योग्य भूमि 291349 हे०, गैर कृषि योग्य भूमि हे० 57412 एवं बंजर भूमि हे० 254671 है। कटिहार जिले की अर्थव्यवस्था बुनियादी रूप से कृषि उत्पादन पर आधारित है। जिले में तीन कृषि के मौसम होते हैं :–रबी, खरीफ, जायद। रबी की प्रमुख फसले गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, आलू आदि हैं। खरीफ की फसल बाजरा, मक्का, जूट, धान, केला एवं मखाना प्रमुख फसलें हैं।

तालिका :– 06 जिले में रोजगार का विवरण :–

क्र०सं०	विवरण	कुल योग	पुरूष	महिला
1	मुख्य श्रमिक	667,602	555,631	111,971
2	किसान	139,059	125,129	13,930
3	कृषि मजदूर	399,923	324,095	75,828
4	घरेलू उद्योग	10,823	7,037	3,786
5	अन्य श्रमिक	117,797	99,370	18,427
6	सीमान्त श्रमिक	345,964	204,891	141,073
7	कुल कामगार	1013566	760522	253044
8	गैर कामगार	2,057,463	839,908	1,217,555

स्रोत :–http://www.censusindia.co.in/district/katihar-district-bihar-212

पशु पालन :— कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन इस जिले की प्रमुख गतिविधि है। पशुओं में दुधारू जानवर प्रमुख प्रजाति हैं, लेकिन उनकी नस्ले उन्नत नहीं होती है। मवेशियों को अच्छी तरह से चारा नहीं दिया जाता है। लिहाजा गाय और भैंस औसतन कम दूध देती हैं। मवेशियों के अलावा मुख्यतः गाय, बैल, भैंस, अन्य जानवर जैसे भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, और पक्षी पालन जिले में होता है। जिले में कई पशु चिकित्सालय तथा डिस्पेंसरियाँ स्थित हैं। इन संस्थाओं का प्रमुख कार्य उपचार, बचाव, तथा पशुओं में रोगों का शमन करना है।

गैर कृषि अर्थव्यवस्थाः— मिनिस्ट्री ऑफ एम०एस०एम०ई०, गर्वनमेण्ट ऑफ इंडिया के प्रतिवेदन के अनुसार कटिहार जिला में पंजीकृत इन्डस्ट्रीयल यूनिट 1187 है।

कटिहार जिला में बड़े इन्डस्ट्रीज के श्रेणी में आर०बी०एच०एम० जूट फैक्ट्री तथा कटिहार जूट मील शामिल है।

***

अध्याय : 3– खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण
(Hazard, Risk, Vulnerability and Capacity Analysis)

3.1 जिला में संभावित खतरों का विश्लेषण

कटिहार जिला बहु–आपदा प्रभावित जिला है। जिले में सर्वाधिक बाढ़ का कहर गंगा, कोशी, बरण्डी एवं महानन्दा नदियों के कारण होता है। बाढ़ एवं कटाव के कारण दूसरी आपदाओं की अपेक्षा जिले का सर्वाधिक नुकसान होता है। जिले में अन्य परम्परागत कृषि के अतिरिक्त मखाने की खेती एक प्रमुख नकदी खेती के रूप में विकसित है, लेकिन बाढ़ के वजह से इन्हें भी नुकसान झेलना पड़ता है। जिले में अधिकांश ग्रामीण समुदाय की आजीविका मुख्यतः कृषि है जो विभिन्न प्राकृतिक एवं मानवीय आपदा के प्रभाव से अधिकतम प्रभावित होती है। ऐसे में छोटे–मझोले और बड़े किसान जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले बाढ़ की स्थितियों को विशेषकर झेलते हैं, जबकि उनकी आजीविका विभिन्न जोखिमों और उनके प्रकोपों से सीधे प्रभावित होती है जिसका असर उनके जीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। समुदाय के द्वारा जानकारी गयी कि आपदा के कारण पर्यावरण की क्षति, खाद्य पदार्थों की कमी संभावना, शिक्षण कार्य बाधित होना, स्वास्थ्य सम्बन्धी बहु समस्याएं, मानसिक तनाव, लोगों का असुरक्षित पलायन, आर्थिक तंगी, पशु आहार की समस्या, यातायात की समस्या इत्यादि उत्पन्न हो जाती है। मूलभूत सुविधाओं के आभाव व आर्थिक समस्या के कारण समाज का विकास भी अवरूद्ध हो जाता है तथा पहले जैसी स्थिति में वापस आने में भी एक लम्बा समय लग जाता है।

कटिहार जिला प्राकृतिक एवं मानव जनित दोनों आपदाओं के प्रति सवेंदनशील है। जिला में **बाढ़, ठनका, जलजमाव, अगजनी, भूकम्प, चक्रवाती तूफान, शीतलहर, ओलावृष्टि, सड़क दुर्घटना, नाव दुर्घटना, मकान ढहना, बिजली का करेण्ट लगना तथा बिजली द्वारा अगलगी आदि की घटनायें होती है।** परन्तु यह जिला मुख्यतः **बाढ़ के विनाशकारी प्रभाव, नदी के कटाव, अगलगी तथा चक्रवाती तूफान से अत्यधिक प्रभावित होता रहता है।** जिले के लगभग सभी प्रखण्ड किसी न किसी आपदा से प्रभावित होते रहते हैं।

जिला में **बाढ़ प्रमुख आपदा** है। **महानंदा नदी** से प्रमुख रूप से **बलरामपुर, कदवा, आजमनगर, प्राणपुर एवं बारसोई अंचल** प्रभावित होता है। **यदि मानवीय या प्राकृतिक कारणों से टूट जाता है तब डंडखोरा अंचल के कुछ पंचायते बाढ़ से प्रभावित होंगी।** वर्ष 2016 में महानन्दा नदी का पश्चिमी तटबन्ध टूटने के बाद डंडखोरा अंचल के कुल 6 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायते प्रभावित रही जिसमें 2 पूर्ण एवं 3 आंशिक प्रभावित रहा था। **बरण्डी नदी से फलका अचंल प्रभावित होता है।** इस अंचल के सालेपुर पंचायत में बरण्डी नदी में थॉमस बांध नही रहने के कारण बाढ़ का पानी बॅफू टोला में प्रवेश कर जाता है, जिससे समुदाय प्रभावित होता है। मोरसण्डा पंचायत के अर्न्तगत नदी के जलस्तर में वृद्वि होने से थॉमस बांध के अंदर बसे लोग बाढ़ से प्रभावित होते है। **गंगा नदी में जलवृद्वि से कुर्सेला अंचल बाढ़ से प्रभावित होता है। गंगा, कारी कोशी नदियों** से बरारी अंचल के ग्राम पंचायतें प्रभावित होते हैं।

सारणी : 6–जिला में एच.आर.वी.सी.ए. अभ्यास के द्वारा चिन्हित प्रमुख आपदायें

क्रम संख्या	प्राकृतिक आपदायें			क्रम संख्या	मानव जनित आपदायें
1	बाढ़	7	सर्पदंश	1	सड़क दुर्घटना
2	वज्रपात	8	भूकम्प	2	डूबने की घटना
3	जलजमाव	9	शीतलहर	3	रेल दुर्घटना
4	चक्रवाती तूफान	10	गर्म हवाएं/लू	4	नाव दुर्घटना
5	सूखाड़	11	अतिवृष्टि	5	गैंस सिलेन्डर से दुर्धटना
6	ओलावृष्टि			6	अग्निकाण्ड

आपदा चिह्विकरण : इस जिले में विभिन्न आपदाओं की तीव्रता, बारम्बारता तथा आपदा क्षति के आलोक में निम्न प्रकार से जिले के बहु–आपदाओं का मौसमी मानचित्र तैयार किया गया है :–

क्र0	समस्या	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	संवेदनशीलता
									प्राकृतिक आपदायें					
1	बाढ़													**अति बाढ़ संवेदनशील अंचल–** प्राणपुर, समेली, कुर्सेला, बरारी, मनिहारी, अमदाबाद, कदवा **मध्यम बाढ़ संवेदनशील अंचल–** फलका, मनसाही, आजमनगर, बलरामपुर एवं बारसोई। **निम्न बाढ़ संवेदनशील अंचल–**कोढ़ा, डण्डखोरा, हसनगंज एवं कटिहार
2	वज्रपात													समेली, बरारी, बारसोई, प्राणपुर, डंडखोरा, मनसाही, कोढ़ा, फलका, कदवा, मनिहारी एवं आजमनगर
3	जलजमाव													कदवा, आजमनगर, मनसाही, मनिहारी, कोढ़ा, प्राणपुर, बरारी एवं फलका अचंल।
4	चक्रवाती तूफान													फलका, समेली, बलरामपुर, हसनगंज, बरारी, कटिहार अंचल।
5	सूखाड़													आपदा प्रबंधन विभाग, पटना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कटिहार जिले में सन् 1966, 71, 72, 79, 82, 92, 2001 और 2009 में सूखाड़ का असर रहा है।
6	ओलावृष्टि													सम्पूर्ण जिला।
7	सर्पदंश													सम्पूर्ण जिला।
8	भूकम्प													भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम सिस्मिक जोन मानचित्र के अनुसार कटिहार जिले का समस्त प्रखण्ड भूकम्प के दृष्टि से सिस्मिक जोन IV में आते हैं
9	शीतलहर													सम्पूर्ण जिला
						मानवीय आपदायें								
1	सड़क दुर्घटना													जिले में सड़क दुर्घटना के जोखिम की दृष्टि से देखा जाए तो पथ निर्माण विभाग कार्यालय, कटिहार के अनुसार मार्ग नं0 16 जो कुर्सेला से मीरगंज तक जुड़ती है जिसकी दूरी 32.40 किमी0 है।
2	डूबने की घटना													बारसोई अनुमण्डल के कदवा एवं बलरामपुर अंचल में वित्तीय वर्ष 2016–17 में सर्वाधिक 11 व्यक्तियों के मृत्यु की घटनाये रही है।
3	अग्निकाण्ड													आजमनगर, बारसोई और प्राणपुर अंचल। सर्वाधिक संवेदनशील।
4	रेल दुर्घटना													कुछ खतरनाक समपार चिह्नित है।

1. **बाढ़ :–** बाढ़ के पूर्व इतिहास एवं एच०आर०वी०सी०ए० के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले की प्रमुख प्राकृतिक आपदा बाढ़ रही है। जिले में सन् 2012 अच्छा गुजरा था क्योंकि इस वर्ष में बाढ़ नहीं आई थी। सन् 2009, 2010, 2011, 2015, 2018 एवं 2020 में बाढ़ का प्रभाव कम रहा है लेकिन सन् 2007, 2008, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 एवं 2021 में जिला इस प्राकृतिक आपदा से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। बाढ़ की आवृत्ति एवं तीव्रता को देखते हुए यह जानकारी प्राप्त होती है, कि प्रत्येक दूसरे–तीसरे वर्ष में जिले में बड़ी बाढ़ आई है। जिला आपदा प्रबंधन प्रभाग, कटिहार के प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिले के समस्त प्रखण्ड (15 प्रखण्ड), 167 ग्राम पंचायते (पूर्ण प्रभावित ग्राम पंचायते 69 तथा आशिंक प्रभावित

ग्राम पंचायतें 98) तथा कुल 824 गाँव (पूर्ण प्रभावित गाँव 590 तथा आंशिक प्रभावित गाँव 234) बाढ़ से प्रभावित रहा है। सन् 2008 में जिले में बाढ़ से 16 प्रखण्ड प्रभावित रहे लेकिन सन् 2016 में जिले का 15 प्रखण्ड प्रभावित हुआ और इस वित्तीय वर्ष में जिले में सन् 2008 की अपेक्षा सर्वाधिक भौतिक, आर्थिक, एवं पर्यावरणीय क्षति रही है। वर्ष 2019 में जिले के बाढ़ से दोनो फेज मिलाकर कुल 14 प्रखण्ड (फेज 01 में 06 प्रखण्ड एवं फेज 02 में 08 प्रखण्ड) प्रभावित हुए जिसके अन्तर्गत कुल 161 पंचायत, 1018 राजस्व ग्राम जिसमें 10.08397 लाख जनसंख्या तथा 1.28930 लाख पशु प्रभावित हुए। वर्ष 2021 में जिले में बाढ़ से 08 प्रखंड, 75 ग्राम पंचायते, 368 राजस्व गाँव, 7.30 लाख जनसंख्या, 0.90 लाख जानवर प्रभावित रहा है।

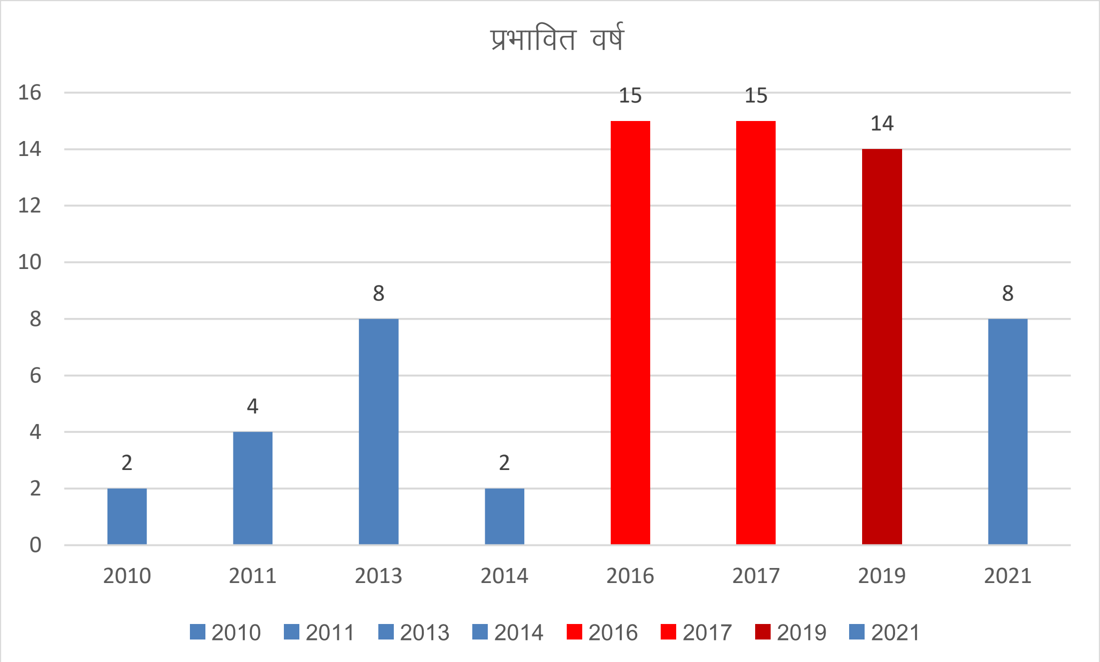

चित्र 1:– वर्ष–2010 से 2021 तक जिला कटिहार में बाढ प्रभावित प्रखण्डों का विवरण

2. **ठनका** :– जिले में ठनका भी एक प्रमुख आपदा बन गयी है। ठनका से वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक सम्पूर्ण जिला प्रभावित रहा है। उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण के उपरान्त यह पाया गया, कि जिले में सन् 2017–18 से सन् 2019–20 तक ठनका से अधिकतम प्रखण्ड प्रभावित रहा है। जिले में मानव क्षति के आधार पर सर्वाधिक संवेदनशील प्रखण्ड फलका, बारसोई, मनसाही, कोढ़ा, कदवा, मनिहारी एवं आजमनगर रहा है।

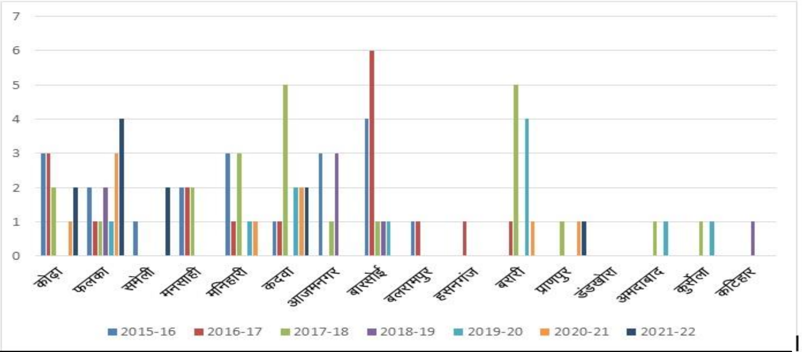

चित्र 2:– ठनका का मानव जीवन पर प्रभाव एवं मानव क्षति का विवरण
वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक

3. **जलजमाव** :– एच०आर०वी०सी०ए० के अनुसार जलजमाव मुद्दे पर समुदाय एवं संबंधित विभाग से चर्चा कर यह जानकारी प्राप्त हुई, कि महानन्दा उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला से होता है। यह नदी पश्चिम बंगाल, बिहार एवं बांग्लादेश में 376 किमी० की लम्बी यात्रा करते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी

फ्लैट ढ़लान के कारण नीचे के क्षेत्रों में फैल जाती है, जिसके कारण बिहार के कटिहार जिले में अत्यधिक जलजमाव एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। महानन्दा नदी के अतिरिक्त कोसी नदी के छोड़े हुए चैनल्स जैसे बरण्डी एवं कारी कोशी के विस्तार से भी कटिहार जिले में जलजमाव एवं बाढ़ के जोखिम में बढ़ोत्तरी हुई है। कटिहार जिले में जलजमाव के कारण नगर निगम क्षेत्र कटिहार, कदवा, आजमनगर, मनसाही, मनिहारी, कोढ़ा, प्राणपुर, बरारी एवं फलका अंचलों में आम जनमानस एवं उनके परिवार को जीवन यापन में काफी कठिनाई होती है।

4. **अगलगी/आगजनी :–** जिले में प्रत्येक वर्ष अगलगी/आगजनी की घटनायें होती रहती है, अतः जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र अग्निकाण्ड के प्रति संवेदनशील है। अगर संवेदनशीलता के आधार पर नजर डाली जाए तो आजमनगर, बारसोई और प्राणपुर प्रखण्ड सर्वाधिक संवेदनशील है।

सामान्यतः आग सूखे मौसम में मनुष्यों की अपनी असावधानी के कारण बीड़ी, सिगरेट, माचिस आदि के जलते टुकड़ों से लगते है। मवेशी चराने वाले, पर्यटकों, यात्रियों द्वारा सुलगते लकड़ी के अवशेषों, बिजली के तार के एकाएक टूटकर गिरने, खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाने, घरों में जलते चूल्हों गैस या कोयले की भट्टियों, बिजली की शार्ट सर्किट, बिजली के नंगे तारों एवं उनके ढ़ीली जोड़ों के कारण लापरवाही से उनको उपयोग में लाने, बिजली के उपकरणों में स्पार्किंग या शार्ट सर्किट, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, या अन्य आवगमन के साधनों की दुर्घटना, हवाओं से उड़े आग की चिन्गारी, दहनशील या ज्वलनशील पदार्थों में अचानक विस्फोट, रसोई गैस में दुर्घटना, कल कारखानों में विस्फोट या बिजली से उत्पन्न चिन्गारी आदि घर के अन्दर या बाहर लगने वाले आग के प्रमुख कारण होते हैं। गर्मियों में खड़ी फसलों, खलिहानों, झोपड़ियों तथा कच्चे मकानों में आग का लगना एक आम बात होती है। इसी प्रकार शहरों के घनी आबादी वाले भागों में ज्वलनशील पदार्थों का एकत्रीकरण, बिजली की खराबी या रसोई घर में दुर्घटना से भीषण आग पकड़ते हैं। आग के अन्य कारणों में साम्प्रदायिक दंगे, आतंकी हमले, नक्सली आक्रमण तथा कभी–कभी आतिशबाजी करने या उसके बनाने के समय भी आग लग जाती है जिससे अत्यधिक जन–धन की हानि होती हैं। प्रतिवेदन के अनुसार जिले में सन् 2012 से अगस्त 2022 तक के मध्य अगलगी की कुल लगभग 1900 घटनाएँ घटित हुई हैं। जिले में वर्ष 2015 से अबतक अगलगी की घटनाओं से मानवक्षति का विश्लेषण निम्नांकित हैं:–

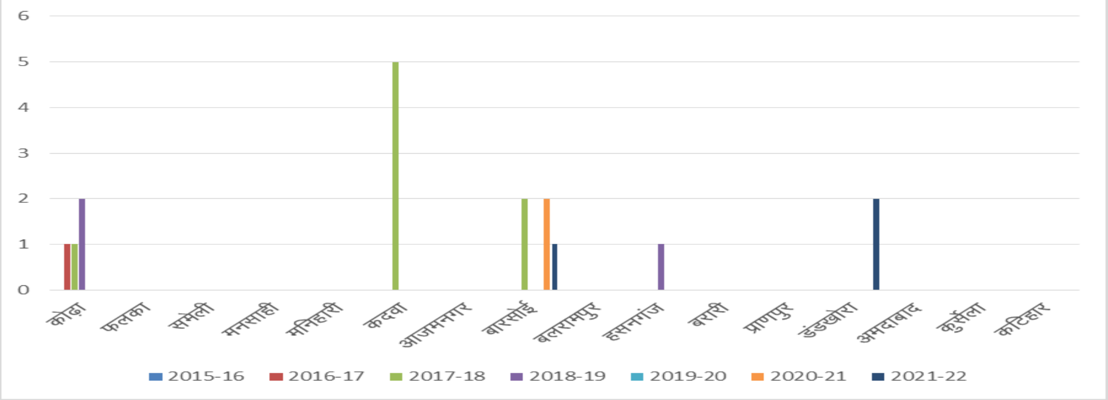

चित्र 3:– अगलगी की घटनाओं से मानव क्षति का वर्ष 2015 से 2022 तक का विवरण

5. **चक्रवाती तूफानः–** कटिहार जिला चक्रवाती तूफान के दृष्टि से भी संवेदनशील रहा है। चक्रवाती तुफान का प्रभाव वर्ष 2015–16 में सर्वाधिक रहा, जिससे फलका, हसनगंज, बरारी सर्वाधिक प्रभावित प्रखंड रहा है। चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक मानव क्षति फलका प्रखण्ड में हुई। सामुदायिक बैठक में जोखिम के प्राथमिकता में इस मुद्दे को समुदाय द्वारा जोखिम की श्रेणी में इसे चौथे स्थान पर रखा गया है।

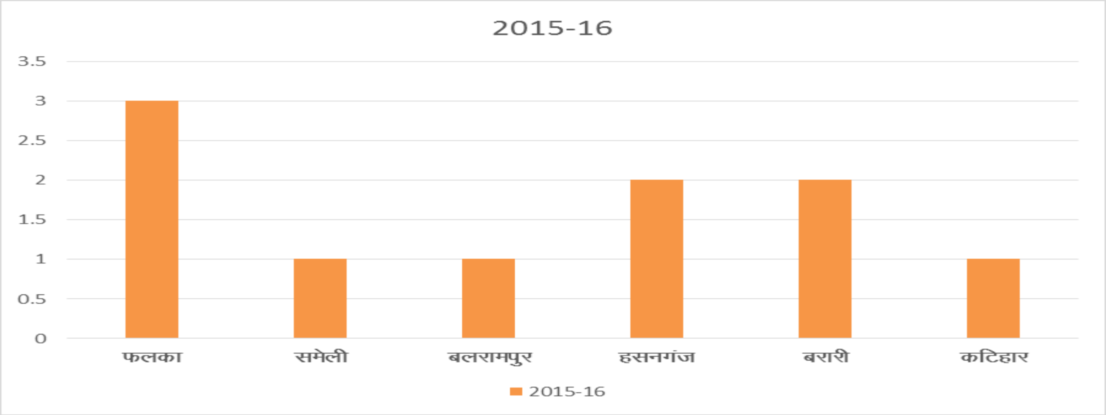

चित्र 4 :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में चक्रवाती तूफान के कारण प्रखण्डवार जनहानि का विवरण

6. सूखाड़ :– आपदा प्रबंधन विभाग पटना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर कटिहार जिले में सन् 1966, 1971, 1972, 1979, 1982, 1992, 2001 और 2009 में सूखाड़ का असर रहा है। सूखाड़ का प्रमुख कारण औसत वर्षापात का कम होना एवं सिंचाई सुविधाओं का आभाव है।

सारणी : 7 जिले में वर्ष 2004 से 2022 तक का वर्षापात आंकड़ा– मि0मी0

वर्ष	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर
2004	-	186.1	322.7	32.2	130.8	158.3
2005	-	36.6	304.2	332.6	193.9	73
2006	-	82.7	339.9	121.6	312.5	13.8
2007	-	225.7	306.2	181.4	158.6	3.7
2008	-	144.4	207.3	341.7	149.9	17
2009	-	24.6	204.1	327.5	72.9	132.8
2010	47	144.4	176	117.9	168.6	24.1
2011	154.70	313.18	298.50	333.50	229.90	4.80
2012	21.78	110.88	318.26	117.75	195.18	94.24
2013	83.56	325.61	187.59	256.54	101.18	349.59
2014	165.59	205.74	234.77	154.78	26.28	0.00
2015	96.14	162.88	267.04	226.84	111.34	95.30
2016	124.70	89.90	352.30	76.80	289.80	77.00
2017	129.90	128.20	323.10	330.80	167.7	167.80
2018	49.80	147.39	200.85	269.80	86.60	42.40
2019	76.70	127.00	343.40	147.22	372.90	49.44
2020	129.99	164.38	450.53	265.29	50.54	40.85
2021	388.77	220.26	238.78	305.70	47.02	53.61
2022	130.66	159.74	113.14	86.41*	-	-

7. ओलावृष्टि :– कटिहार जिला में ओलावृष्टि का भी असर रहता है, जिससे फसल के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। ओलावृष्टि गिरने की सबसे अधिक संभावना मार्च महीने में रहता है तथा कभी–कभी अप्रैल महीने में भी ओलावृष्टि होने की संभावना होती है।

8. सर्पदंश :– जिले में लोग नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं, तथा बरसात के दिनों में बाढ़ के आने के बाद लोग अस्थायी रूप से बाँधों पर निवास करते है, जिससे उनको सर्पदंश का खतरा रहता है। समुदाय द्वारा सामुदायिक बैठक में बताया गया कि नदी वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक घर फूँस के है तो कभी–कभी गर्मी के मौसम में झोपड़ी में साँप छिपने के लिए आ जाते हैं, और रहने वाला व्यक्ति को साँप डस लेता है। कुछ लोगों ने बताया कि मवेशियों के कारण खेतों में फसल नुकसान ना हो इस हेतु किसानों द्वारा खुले आसमान के नीचे खेतों के बीच में गर्मियों में सोने जाना पड़ता है, जिससे सोने वाले व्यक्ति को भी साँप डस लेता है। जिला में सन् 2011 से 2015 तक कुल सर्पदंश से 25 मृत्यु हुई है, जिसका विवरण निम्न है :–

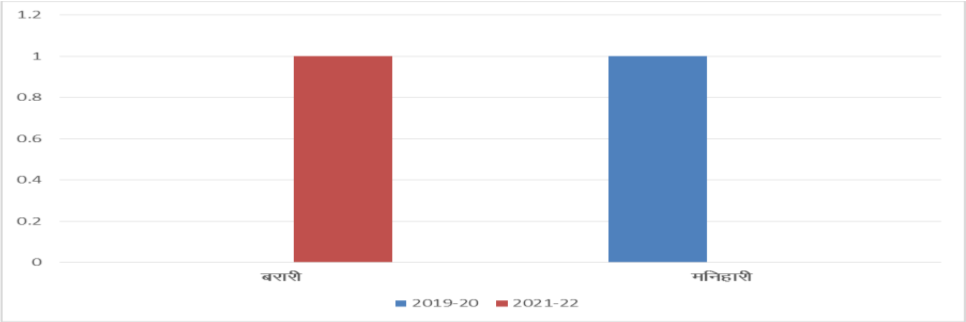

चित्र 5 :– वित्तीय वर्ष 2019–20 से 2021 तक प्रखण्डवार सर्पदंश से जनहानि का विवरण

नोट :– पूर्व में सर्पदंश को केवल बाढ़ अवधि के समय में आपदा के श्रेणी में रखा जाता था, परंतु आ०प्र०–1213/24.03.2022 की अधिसूचना के अनुसार बाढ़ अवधि के अतिरिक्त सामान्य समय में भी मृत्यु की घटना को राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदा में शामिल किया गया है।

9. भूकम्प :– भारतीय मानक ब्यूरो के नवीनतम सिस्मिक जोन मानचित्र के अनुसार कटिहार जिले का समस्त प्रखण्ड भूकम्प के दृष्टि से सिस्मिक जोन IV में आते हैं। ऐसे में भूकम्प से बचाव हेतु पूर्व तैयारी न करने, निर्माण गतिविधियों की उचित निगरानी न होने, उपयुक्त तकनीकी दक्षता का अभाव तथा भूकम्प जोखिम के शमन उपायों पर आम जनता के बीच जागरूकता न होने आदि कारणों से पहले से ही नाजुक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों/समुदाय या फिर क्षेत्रों की नाजुकता और भी बढ़ जाती है। सामुदायिक बैठक में जोखिम के प्राथमिकता में इस मुद्दे को समुदाय द्वारा बहुत जोखिम की श्रेणी में इसे तीसरे स्थान पर रखा गया।

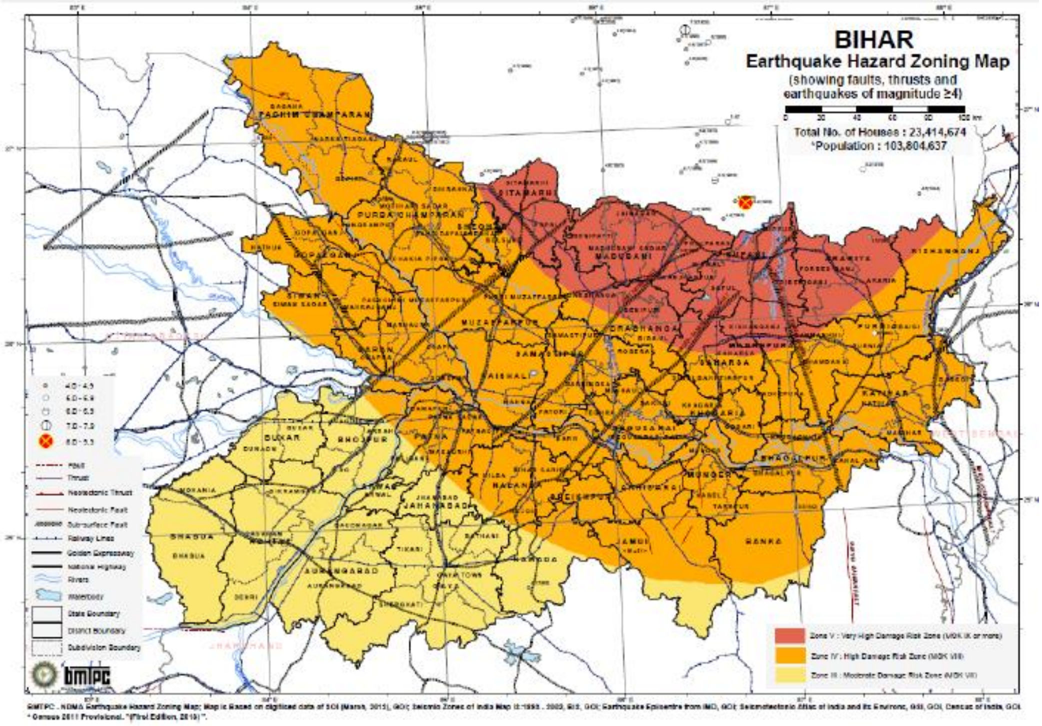

बिहार के बड़े भूकम्प :

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	पैमाना	मृतकों की सं॰	प्रभावित जिले
1	4 जून 1764	बिहार–नेपाल सीमा	6.0		
2	23 अगस्त 1833	नेपाल सीमा	7.7		
3	23 मई 1866	नेपाल सीमा	7.0		
4	23 मई 1866	झारखण्ड–बिहार सीमा	5.5		
5	30 सितम्बर 1868	हजारीबाग	5.7		
6	7 अक्टूबर 1920	बिहार–उत्तर प्रदेश	5.5		
7	15 जनवरी 1934	भारत–नेपाल सीमा	8.4	10,500	पटना, गया, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर
8	11 जनवरी 1962	भारत–नेपाल सीमा	6.0		मुंगेर एवं पूर्णियाँ
9	21 अगस्त 1988	भारत –नेपाल सीमा	6.7	1,000	मधुबनी, दरभंगा
10	18 सितम्बर 2011	सिक्कम–नेपाल सीमा	5.7		
11	25, 26 अप्रैल ’2015	भारत–नेपाल सीमा	6.6	60	पटना समेत नेपाल सीमा से सटे बिहार के जिले

स्त्रोतः बि॰रा॰आ॰प्र॰प्रा॰

10. शीतलहर :– जिले में माह दिसम्बर के तीसरे सप्ताह से लेकर जनवरी माह के अन्तिम सप्ताह तक सर्दी का मौसम रहता है। सर्दी के मौसम में सामान्य कोहरे के साथ ठण्डी हवायें भी चलती है। शीतलहर की श्रेणी का पैमानाः

शीतलहर की स्थिति	तापमान
शीतलहर	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या उससे अधिक पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान से 7^0C कम हो जाए।
	जहाँ सामान्य न्यूनतम तापमान 10^0C या इससे कम पाया जाता हो वहाँ न्यूनतम तापमान यदि सामान्य न्यूनतम तापमान स 5^0C से कम हो जाए।
पाला	जहाँ तापमान 0^0C से कम हो जाए या रबी फसल के लिए असामान्य स्थिति हो तो इसे पाला कहा जायेगा।

मानव जनित आपदायें :–

1. सड़क दुर्घटना:– जिले में पक्की सड़को का जाल बिछा हुआ है, जो उत्कृष्ट विकास का घोतक है। जिले में दो प्रमुख हाइवे मार्ग है एन०एच० 31 एवं एन०एच० 81। जिले में मानव द्वारा राष्ट्रीय राज्य मार्ग तथा राज्य मार्ग में जगह–जगह पर बीच–बीच में अपनी सुविधा हेतु कट बना कर सड़क पार किया जा रहा है, तथा वाहन चालकों द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना, बच्चों द्वारा कम उम्र में वाहन चलाना आदि सड़क दुर्घटना को बढ़ा रहा है। जिले में सड़क दुर्घटना के जोखिम की दृष्टि से देखा जाए तो पथ निर्माण विभाग कार्यालय, कटिहार के अनुसार मार्ग नं० 16 जो कुर्सेला से मीरगंज तक जुड़ती है जिसकी दूरी 32.40 किमी० है।

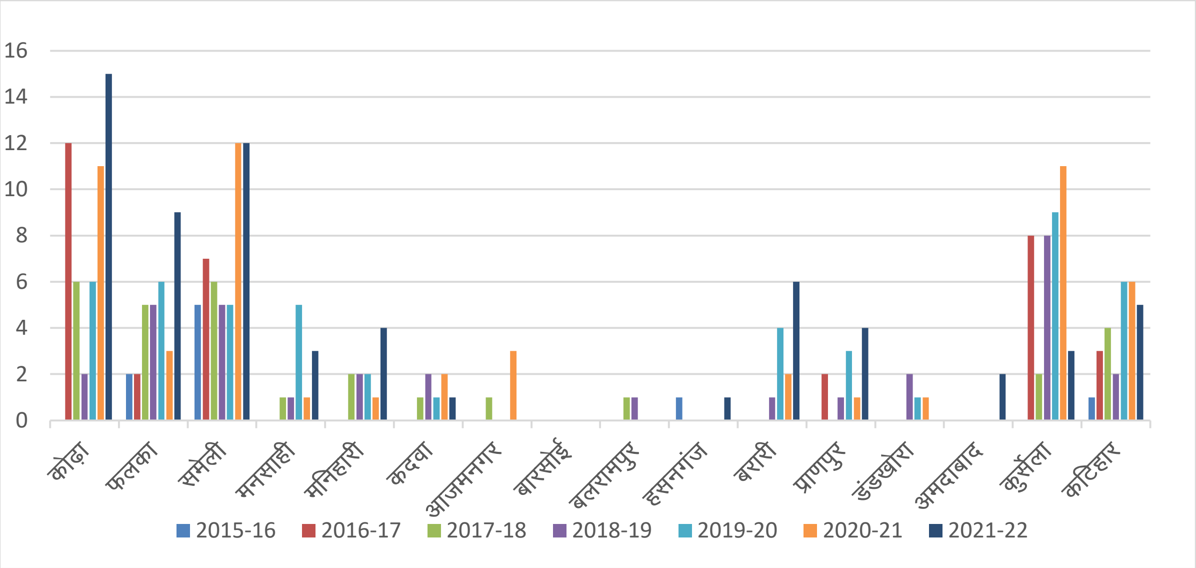

चित्र 6:–वर्ष 2015–16 से 2021–22 तक सड़क दुर्घटना से प्रतिवेदित मानव क्षति तथा घायलों का विवरण।

केन्द्रीय मापदंड के अनुरूप वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 का कटिहार जिला का चिन्हित **Block Sport** निम्न प्रकार है :–

Sl No	Name of District (Traffic unit)	Name of Police station	NH No (with chainage SH No/MDR/OTH Road	Name of the location/Place	Limits of High lent Prone location		Number of Accident				Number of Fatalldes							
					Starting From (KM)	Ending (KM)	2019	2020	2021	Total of all Years >/=5	2019		2020		2021		Total of three Years >/=5	
					Under 500 Meter						Killed	Injured	Killed	Injured	Killed	Injured	Killed	Injured
01	Katihar	Kursela	NH-31	कोशी पुल	353	354	-	02	02	04	-	-	02	01	06	04	08	05
02	Katihar	Kursela	NH-31	कबीरमठ कुर्सेला	356	356	03	03	02	08	03	03	02	02	02	01	07	06
03	Katihar	Kursela	NH-31	देवीपुर चौक	358	359	05	01	02	08	03	04	01	01	02	00	06	05
04	Katihar	Pothia	NH-31	खैरा मोड़ के पास	364	365	-	02	02	04	-	-	03	00	07	07	10	07
05	Katihar	Pothia	NH-31	बखरी मोड़	365	365	02	-	02	04	02	06	-	-	04	02	06	08
06	Katihar	Kordha	NH-31	गेड़ाबाड़ी चौक	383	384	03	02	02	07	02	01	02	00	04	02	08	03

2. नदी/पोखर/गड्ढे में डूबने की घटना:– जिला में समुदाय के जागरूकता के आभाव में नदी में डूबने से बारसोई अनुमण्डल के कदवा में वर्ष 2019–20 में सर्वाधिक 35 व्यक्तियों के मृत्यु की घटनायें हुई है। नदी में डूबने के मामले में भी जिला संवेदनशील है। डूबने से घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से समुदाय को लाइफ जैकेट के निर्माण एवं उपयोग हेतु शिक्षित एवं जागरूक करने की आवश्यकता है। इसके लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित तैराकी एवं गोताखोरों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

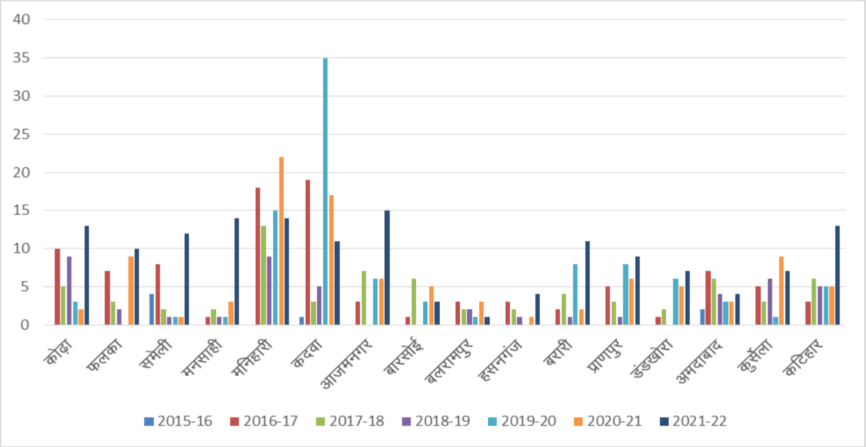

चित्र 7:—वर्ष 2015—16 से 2021—22 तक सड़क दुर्घटना से प्रतिवेदित मानव क्षति तथा घायलों का विवरण।

3. रेलवे दुर्घटना :—

रेल दुर्घटना की सर्वाधिक संभावना बरसात एवं शीतलहर के मौसम में होती है। रेल की पटरी से उतरने से दुर्घटना, एक रेल का दूसरे रेल से टकराने से दुर्घटना किसी भी समय में हो सकती है, इसका मुख्य कारण पुलों और पटरियों का अनियमित निरीक्षण तथा सिंग्नल की तकनीकी समस्यायें हैं। भारत में कुछ रेलवे पुल बहुत पुराने समय के बने है, जिस पर तेजी से रेल चलने में असमर्थ होती है। रेल दुर्घटना के रोकथाम हेतु रेल के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मानक के आधार पर रेल की पटरियों एवं सिंग्नल का निरीक्षण किया जाना चाहिए। कटिहार जंक्शन उत्तरी पूर्वी सीमान्त का प्रमुख जंक्शन है तथा यह कटिहार रेल डिविजन का मुख्य कार्यालय भी है। कटिहार जंक्शन से सात रेलवे लाईने निकलती हैं— प्रथम रेलवे लाईन बरौनी से जुड़ती हैं और यह पटना तथा मुम्बई रेलवे लाईन से बेहतर जुड़ी हुई हैं। द्वितीय लाईन कोलकता, तृतीय रेलवे लाईन नेपाल बार्डर जोगबनी, चतुर्थ रहरसा, पॉचवी गुवाहाटी, छठवी मनिहारी तथा सातवी राधिकापुर (बांग्लादेश) बार्डर को जोड़ती हैं। इस रेलवे डिविजन के अर्न्तगत न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग एवं किशनगंज आदि स्टेशन आते हैं। कटिहार रेलवे प्रमण्डल से नेपाल और बाग्लादेश की सीमा तक ट्रेन की सुविधाये हैं।

कटिहार स्टेशन पर अधिकतम ट्रेन ठहरते हुये आगे बढती हैं। यहा से भारत के प्रसिद्व सर्वाधिक जगहो के लिये ट्रेन मिलती है जैसे— पटना, मुगल सराय, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, रायबरेली, दिल्ली, गॉधी धाम, इटारसी, जम्मु, अमृतसर जबलपुर, पंजाब न्यू जलपाईगुड़ी, सील्लीगुड़ी, दार्जिलिंग, किशनगंज और राधिकापुर आदि। यहॉ की उल्लेखनीय प्रमुख ट्रेने राजधानी एक्सप्रेस, अवध आसाम, नार्थ—इस्ट एक्सप्रेस, कैपिटल एक्सप्रेस, दादर एक्सप्रेस, आम्रपाली एक्सप्रेस, सिक्किम—महानन्दा एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस, हाटे—बाजारे एक्सप्रेस तथा बेंगलोर एक्सप्रेस आदि हैं।

3.2 संवेदनशीलता तथा जोखिम विश्लेषण

किसी भी व्यक्ति, प्रशासन या समूह की क्षमता आपदा का सामना करने या किसी भी आपदा से त्वरित उबरने में कम समय लगे जिसे हम संवेदनशीलता के सन्दर्भ में परिभाषित कर सकते है। जिले की संवेदनशीलता विशेष रूप से जिले में किसी भी संभावित आपदा के अनुमान, उसका सामना, उससे बचने तथा उबरने की क्षमता के आधार पर निर्धारित होता है। आजीविका के सीमित अवसर, प्रति व्यक्ति आय में कमी, अव्यवस्थित एवं अविकसित संरचना तथा अनियोजित विकास, अव्यवस्थित एवं तीव्र शहरीकरण, जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर प्रचलित सामाजिक ढांचे तथा पर्यावरण क्षरण आदि जिले को बहु आपदाओं के प्रति संवेदनशील बनाते हैं।

1. भौतिक संवेदनशीलता

(क) भूकम्प के दृष्टि से संवदेनशील भवन :–

आपदा के दृष्टि से भौतिक संवेदनशील ढांचागत निर्माण की गुणवत्ता के मानकों के आधार पर देखा जाता है। अगर भूकम्प को दृष्टिगत रखते हुए जिले में समस्त भवन आपदारोधी निर्मित है, तो वे क्षमतावान की श्रेणी में आयेंगे और यदि जर्जर या भूकम्परोधी मानक के अनुसार निर्मित नहीं है तो वे भवन भौतिक संवेदनशील के अर्न्तगत आते है। किसी भी प्रकार का ढांचा संबंधित निर्माण अगर आपदाओं के प्रभाव को झेलने में कामयाब होता है, तो वह रेजिलिएन्स ढांचा माना जायेगा और जो भवन किसी भी प्रकार के आपदाओं को झेलने में सक्षम नहीं है तो वे भौतिक संवेदनशीलता के अन्तर्गत आयेंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा 1934 के भूकंप को सर्वाधिक खतरनाक मानते हुए एक वृहत अध्ययन कराया है। इसमें 2011 की जनगणना को ध्यान में रखते हुए साथ ही वर्तमान में मकानों की संख्या का आकलन करते हुए यह जानने की कोशिश की गई है कि अगर कटिहार जिले में 1934 के स्तर का भूकंप आये तो दिन या रात के समय में किस स्तर की क्षति की संभावना बनती है। इन पुनरावृत्ति की काल्पनिक क्षति नीचे की सारणी में देखा जा सकता है।

प्रखंडवार भूकंप के काल्पनिक क्षति का आकलन (1934 के संदर्भ में):

District (Seismic Zone IV)	Number of Census houses of different Types and their Vulnerability						Number of Houses (N) under various Damage Grades				Estimated Damages			
											Loss of Human Lives		Re-construction	Repairing
	nA (H)	nB(M)	nC1 (L)	nC2 (L)	Type X (VL)	Total	NG 5	NG4	NG3	NG2	Unfavorable	Favorable		
Katihar	**68,738**	**196,467**	**2,673**	**2,739**	**455,170**	**725,787**	**6,874**	**71,200**	**153,047**	**38,684**	**2,139**	**685**	**78,074**	**191,731**
Falka	1,443	6,791	111	84	28,000	**36,429**	144	1,761	5,221	1,273	51	16	1,906	6,494
Korha	4,591	14,612	387	197	44,207	**63,994**	459	4,904	11,362	2,974	146	47	5,364	14,336
Hasanganj	862	3,241	18	28	10,545	**14,694**	86	971	2,500	585	29	9	1,057	3,085
Kadwa	6,280	19,967	135	312	59,962	**86,656**	628	6,707	15,491	3,801	200	64	7,335	19,292
Balrampur	5,919	9,242	75	60	22,507	**37,803**	592	5,363	7,389	1,931	166	53	5,955	9,320
Barsoi	8,855	23,678	225	131	52,673	**85,562**	886	9,009	18,458	4,483	272	87	9,895	22,941
Azamnagar	10,689	19,861	63	197	48,110	**78,920**	1,069	10,003	15,723	3,976	308	98	11,072	19,699
Pranpur	3,805	8,370	243	89	22,671	**35,178**	381	3,691	6,596	1,790	113	36	4,071	8,386
Dandkhora	1,558	3,577	35	60	12,807	**18,037**	156	1,526	2,809	725	46	15	1,682	3,534
Katihar	5,977	42,169	671	1,135	25,724	**75,676**	598	8,700	32,256	8,128	244	78	9,297	40,384
Mansahi	1,584	4,355	42	29	12,590	**18,600**	158	1,624	3,392	825	49	16	1,782	4,217
Barari	6,014	12,129	260	113	43,226	**61,742**	601	5,723	9,585	2,550	175	56	6,325	12,135
Sameli	703	5,376	147	40	12,225	**18,491**	70	1,065	4,103	999	30	10	1,135	5,103
Kursela	428	5,453	33	14	9,028	**14,956**	43	866	4,127	885	23	7	909	5,012
Manihari	5,661	9,916	77	185	27,889	**43,728**	566	5,237	7,888	2,108	162	52	5,803	9,996
Amdabad	4,369	7,730	151	65	23,006	**35,321**	437	4,050	6,147	1,649	125	40	4,487	7,796

Type-**A:** Mud/Un-burnt Brick, Stone not packed with Mortar, Stone Packed with Mortar.
Type-**B:** Burnt Brick
Type-**C1:** Wood
Type-**C2:** Concrete
Type-**X:** Grass/ Plastic/ Bamboo etc, Plastic/ Polythene, G.I./ Metal/ Asbestos sheets and 'any other material'.

Damage grades : Classification of Damage to Buildings

- **G5** : Grade 5 - *Total damage* (Total collapse of the buildings)
- **G4:** Grade 4 - *Destruction* (Gaps in walls; parts of buildings may collapse; separate parts of the buildings lose their cohesion; and inner walls collapse.)
- **G3** : Grade 3 - *Heavy damage* (Large and deep cracks in walls and plaster; fall of chimneys)
- **G2** : Grade 2 - *Moderate damage* (Small cracks in walls and plaster; Fall of fairly large pieces of plaster; Pantiles slip off; Cracks in chimneys; Parts of chimney fall down)
- **G1** : Grade 1 - *Slight damage* (Fine cracks in plaster; fall of small pieces of plaster)

Source: Damage scenario under hypothetical recurrence of 1934 earthquake intensities in various districts in Bihar, August 2013, BSDMA

भूकंप में घरों की क्षति का विभिन्न ग्रेडः

NG4— विनाश, दीवारों के बीच दरार, भवनों का कुछ हिस्सा धाराशायी होना, भवन के भीतरी दीवारों का गिरना।

NG3— भारी क्षति, दीवारों में लंबी तथा प्लास्टर में गहरी दरारें पड़ना, चिमनी का धाराशायी होना।

NG2— साधारण क्षति दीवारों तथा प्लास्टर में छोटी हल्की दरारें प्लास्टर का झड़ना, टाईल्स का फिसलना, चिमनी का क्षतिग्रस्त होना।

नोट : (1) प्रतिकूल समय – रात, अनुकूल समय – दिन,

(2) NG= Number of Houses under Damage Grade

(ख) बहु आपदा को दृष्टिगत रखते हुए संवेदनशील स्कूल

जिला कटिहार में जिला शिक्षा पदाधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार जिले में बहु–आपदाओं के दृष्टि से निम्नांकित स्कूल संवेदनशील है :–

- **बाढ़ प्रभावित :–** जिले में 470 स्कूल बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि ये नदी के समीप है तथा इनका निर्माण अपेक्षाकृत नीचले क्षेत्रों में हुआ है।
- **अस्थायी आश्रय हेतु स्कूलों का उपयोग :–** जिले में 303 स्कूलों को बाढ़ के दौरान अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है।
- **भूकम्प संवेदित :–** जिले में 427 स्कूल भूकम्प संवेदित हैं, क्योंकि स्कूल भवन पुराने निर्मित है तथा वे भूकम्प रोधी तकनीकी के आधार नहीं बनाये गये हैं।

(ग) जिले में आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति :– जिला में समेकित बाल विकास सेवा विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी 6 साल तक के बच्चों एवं धात्री माताओं को पूरक पोषण, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच सुविधा, रेफरल सुविधा, स्कूल से पहले औपचारिक शिक्षा तथा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा पर जागरूक करना होता है। जिले में 299 आंगनबाड़ी केन्द्र झोपड़ी में, 406 कच्चे मकान में संचालित किये जा रहे है। 234 आंगनबाड़ी केन्द्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं।

(ड.) नदियों द्वारा कटाव :– कटिहार जिला में कटाव एक प्रमुख जोखिम है। नदियों द्वारा कटाव के कारण जिले में सम्पत्तियों की हानि होती रही है। जिला में कटाव माह मई, नवम्बर तथा दिसम्बर में कम एवं जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर में अधिक होता है। माह जनवरी, फरवरी, मार्च एवं अप्रैल में केवल भूमि का क्षरण होता है। बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल, कटिहार, सालामारी एवं काढ़ागोला (जल संसाधन विभाग) के अर्न्तगत नदियों द्वारा कटाव के सापेक्ष जोखिम न्यूनीकरण एवं बाढ़ प्रत्युत्तर विषय पर कार्य किया जा रहा है। कटाव के दृष्टि से जिला के सभी प्रखण्ड संवेदनशील हैं। जिला में सर्वाधिक कटाव महानंदा, कोशी एवं गंगा नदियों के द्वारा होता है।

(च) जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति :– जिले में कार्यरत स्वास्थ्य उपकेन्द्र की संख्या 345 (भवनयुक्त 95 तथा भवहीन 250), 104 भवहीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों हेतु जमीन की उपलब्ध है लेकिन 106 भवहीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। नियमित ए०एन०एम० की सख्या 709 है तथा संविदा पर कार्यरत ए०एन०एम० 23 है। नियमित स्टाफ नर्स रिक्त पदों की संख्या 157 है। संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स की संख्या 17 एवं संविदा पर कार्यरत स्टाफ नर्स के रिक्त पदों की सख्या 28 है। जिले में प्रस्तावित आशा कार्यकत्री की संख्या 2795 है जिसमें 2769 आशा कार्यकत्री कार्यरत है। जिले में एल०एच०वी० की संख्या 4 है।

(छ) जिले सिंचाई सुविधाओं की स्थितिः– जिले में राजकीय नलकूप योजनाओं (पुराना नलकूप, नाबार्ड फेज 3,8 एवं 11) के अर्न्तगत 163 योजनायें हैं, जिसमें अउर्जान्वित योजनाओ की सं0 12 तथा उर्जान्वित योजनाओं की सं0 148 है। चालू नलकूप की संख्या 98 एवं बंद नलकूप 65 है।

(ज) मनरेगा के अर्न्तगत बॉध का निर्माण एवं मरम्मतीकरण–

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कटिहार द्वारा बाढ़ से सुरक्षार्थ हेतु मनरेगा के अर्न्तगत अनेकों बॉधों का निर्माण कराया गया है। निर्मित बॉधों में बारिश के कारण जगह–जगह रेनकट बन जाते हैं, चूहों आदि के द्वारा बॉध क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे बाढ़ के दौरान ये जर्जर अवस्था में हो जाते है। जिले में कई स्थानों पर इन बॉधों को सड़क के उपयोग में लिया जाता है और यह ग्रामीणों द्वारा सम्पर्क मार्ग के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

2. जिले का सामाजिक संवेदनशीलताएंः–

जिला कटिहार में सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर आंकड़ो के अनुसार निष्कर्ष यह निकलता है, कि सामाजिक व्यवस्था पुरूष प्रधान व्यवस्था के मुद्दों पर 2011 की जनगणना के अनुसार जिले मे सामाजिक संवेदनशीलताएं जो निम्न है–

1. **लिंग के आधार पर–** 2011 की जनगणना के आधार पर जिले की सामजिक व्यवस्था पुरूष प्रधान व्यवस्था है और यहॉ 1000 पुरूषों पर 919 महिलाएँ है।
2. **साक्षरता के आधार–** जिला में कुल 1,280,190 साक्षर हैं, जिसमें पुरूष 762256 (41.68 प्रतिशत) तथा महिलाएं 517934 (35.21 प्रतिशत) साक्षर हैं।
3. **धर्म के आधार पर–** जिले में हिन्दू धर्म के समुदाय 54.85 प्रतिशत तथा मुस्लिम धर्म के समुदाय 44.47 प्रतिशत है। जिले में प्रशासन को सामुदायिक सौहार्द बकरार रखने में असामाजिक तत्वों के गलत हस्तक्षेप के कारण कभी–कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। असामाजिक तत्वों द्वारा इस सामाजिक असन्तुलन को ध्यान में रखकर अनेकों बार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है।
4. **जाति के आधार पर–** जिले में अनूसुचित जाति 8.6 तथा अनुसूचित जनजाति 5.9 प्रतिशत है।
5. **रोजगार के आधार–** जिला में रोजगार के आधार पर कुल कामगार की संख्या 10,13,566 तथा गैर कामगार की संख्या 20,57,463 है। कुल पुरूष कामगार की संख्या 7,60522 तथा कुल पुरूष गैर कामगार की संख्या 8,39,908 तथा कुल महिला कामगार की संख्या 2,53,044 तथा कुल महिला गैर कामगार की संख्या 12,17,555 है। गैर कामगारों को उनकी क्षमता के आधार पर रोजगार की उपलब्धता नहीं पो रही है, जिससे वे रोजगार विहीन है।

3. जलवायु परिवर्तन संवेदनशीलता

अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में सतत् परिवर्तन की प्रवृत्ति के कारण कृषि क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहता है। इस परिवर्तन के फलस्वरूप छोटी जोत वाले किसान, पूँजी की कमी वाले लोग, परम्परागत कृषि यंत्र का उपयोग करने वाले, अल्प समर्थन कृषि मूल्य पाने वाले एवं फसल बीमा सुरक्षा से बाहर के किसान ज्यादा संवदेनशील हो सकते हैं।

जोखिम :

- पशुधन के रखरखाव की समस्या।
- तापमान, वर्षा, हवा, नमी एवं अन्य जलवायु संबंधी घटकों में दीर्घकालिक बदलाव ।
- इन बदलावों के साथ अनुकूलन स्थापित करने की समस्या।
- जलवायु परिवर्तन के चलते वर्षापात, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव।

जोखिम के दुष्प्रभावः

- अत्यधिक गर्मी।
- वर्षा का परिवर्तित स्वरूप ।
- भूजल स्तर में गिरावट।
- सूखा समस्या।
- कृषि और खाद्य समस्या।
- जल समस्या।
- स्वास्थ्य समस्या।
- पलायन, प्रवासन आदि।

3.3 क्षमता विश्लेषण

क्रम सं0	क्षमता /संसाधन	संख्या एवं विवरण	अतिरिक्त विवरण
1	जिला स्थापना प्रशाखा, समाहरणालय कटिहार	स्थापना उप समाहर्त्ता–01 प्रधान सहायक–01 लिपिक–04 कार्यपालक सहायक–01 कार्यालय परिचारी–03	आपदा प्रबंधन कार्यो में ससमय पर कर्मियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन एवं प्रतिनियुक्ति हेतु।
2	लघु सिचाई प्रमंडल कटिहार	राजकीय नलकूप– 163 उद्ववह सिंचाई– 72	चालू– 62 बन्द– 101 चालू– 07 बन्द– 65
		कार्यापालक अभियंता	00 (अतिरिक्त प्रभार)
		सहायक अभियंता	01
		अन्य	कनीय अभियन्ता – नियमित 01 एवं संविदा 03 अन्य कर्मचारी – 15 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर – 03
3	विद्युत विभाग	जिला में पावर सब–स्टेशन –	21
		सहायक विद्युत अभियंता –	04
		कनीय विद्युत अभियंता–	23
		कार्यपालक अभियंता –	02
4	भारत संचार निगम लिमिटेड	प्रमुख अधिकारीयों की संख्या	14
		बी0एस0एन0एल0 कार्यालय	06452–222256
		मोबाइल	लगभग सभी परिवारों
		इन्टरनेट	लगभग सभी बाजारो तथा कैफे ब्रॉड बैंड भी सीमीत

				मात्रा में उपलब्ध ।
				जिला समाहरणालय में इंटरनेट सुविधा एवं अन्य उपकरणों के साथ एन0 आई0 सी0 कार्यालय स्थित है तथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यालयों में इसका उपयोग हो रहा है।
5	नेशनल हाइवे अथारिटी आफ इण्डिया/सड़क निर्माण विभाग, कटिहार	कटिहार जिला की प्रमुख हाइवे सड़के एन0 एच0 31 और एन0 एच0 81 है। कोढ़ा और कुर्सेला प्रखण्ड को एन0 एच0 31 जोड़ता है तथा एन0 एच0 81 मुख्यालय कटिहार से कोढ़ा होते हुए यह हाइवे पश्चिम बंगाल के मालदा तक जुड़ता है। जिला मुख्यालय से सड़क सम्पर्क बेहतर है और एन0 एच0 81 की लम्बाई 100 कि0मी0 है। जिसमें यह सड़क 45 कि0मी0 बिहार में 55 प0 बंगाल में है। ये सड़के पूर्णियाँ, सिल्लीगुड़ी, भागलपुर, जोगबनी, मनिहांरी, पटना आदि से जुड़ी हुई हैं।		
6	रेलवे	प्रथम रेलवे लाइन बरौनी से जुड़ती है और यह पटना, दिल्ली तथा मुम्बई रेलवें लाइन से भी जुड़ी हुई है। द्वितीय रेलवे लाइनः कोलकत्ता तृतीय रेलवे लाइनः नेपाल बार्डर जोगबनी चतुर्थ रेलवे लाइनः रहरसा पाँचवी रेलवे लाइनः गुवाहाटी छठवी रेलवे लाइनः मनिहारी तथा सातवी राधिकापुर, बाग्लादेश बार्डर		
7	आई०सी०डी०एस० कार्यालय	आंगनबाड़ी केन्द्र की संख्या–	3399	
		आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मियों की संख्या–	3286	
8	जिला आपूर्ति विभाग	कुल जन वितरण प्राणली की संख्या	1530	सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता पॉस मशीन के माध्यम से कार्यरत है।
9	राज्य खाद्य निगम	राज्य खाघ निगम के द्वारा स्थापित गोदामों की सं0	• जिला स्तर पर–01 • प्रखण्ड स्तर पर स्थित–10	
10	शिक्षा विभाग विद्यालय विवरण		• प्राथमिक विद्यालय–1115 • उत्क्रमित मध्य विद्यालय–1087 • उच्च विद्यालय – 260 • प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय–08 • उच्च माध्यमिक विद्यालय–55 • महाविद्यालय–08 • जवाहर नवोदय विद्यालय–01 • तकनीकी कॉलेज–03 • मेडिकल कॉलेज–01 • ए०एन०एम० ट्रेनिंग सेन्टर–01	
11	मौसम विभाग – समीपस्थ क्षेत्रीय	वर्षामापक यंत्र प्रखण्ड स्तर पर	16	प्रखण्ड स्तर पर स्थापित वर्षामापक यंत्र बेहतर

	आई0 एम0 डी0 कार्यालय	पंचायत स्तर पर	236	अवस्था में है और कार्यरत है।
12	पंचायती राज	मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित मुखिया एवं सरपंचों की सं0	32	
		प्रशिक्षित प्रखण्ड प्रमुख	08	
		मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित पंचायत संसाधन केन्द्र के पदाधिकारी	05	
13	आपदा प्रबंधन विभाग	**<u>जिला आपदा प्रबंधन प्रशाखा–</u>** प्रधान लिपिक– 01 सहायक लिपिक– 02 परिचारी– 01		
		<u>जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) कटिहार–</u> कंसल्टेंट/डी0एम0 प्रोफेशनल 01		
		<u>जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC)–</u> प्रोग्रामर– 03 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर– 03 आईटी बॉय– 03		जिला समाहरणालय में अवस्थित है एवं दूरभाष संख्या–06452–239025, 06452–239026
		प्रशिक्षित तैराक/गोताखोर	17	
		मोटर बोट के लिए प्रशिक्षित चालक	14	
		सर्वेक्षित गैर – सरकारी नाव की संख्या	285	
		सरकारी नाव	246	
		मोटर बोट	परिचालन योग्य–7	
		लाइफ जैकेट	1253	
		जिले में राहत शिविर	307	
		प्रखण्ड में स्थित हैलीपैड	35	
		अस्थायी आश्रम स्थल	आपातकालीन परिस्थिति में जिला में निर्मित सार्वजनिक भवनों को जिला प्रशासन द्वारा यथा सम्भव अस्थायी आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता है।	
14	अग्निशामक विभाग	कुल कर्मचारी – 45	जिला स्तर पर–24 अनुमण्डल स्तर पर – 21	**अग्निशामालय कटिहार** 1. फायर स्टेशन ऑफिसर–01 2. सब ऑफिसर–01 3. प्रधान अग्निक–0 4. प्रधान चालक–01 5. अग्निक–13 6. अग्निक चालक–08 **अग्निशामालय बारसोई** 1. फायर स्टेशन ऑफिसर–01 2. सब ऑफिसर–0 3. प्रधान अग्निक–01 4. प्रधान चालक–0 5. अग्निक–06 6. अग्निक चालक–03 **अग्निशामालय मनिहारी** 1. फायर स्टेशन ऑफिसर–0 2. सब ऑफिसर–01 3. प्रधान अग्निक–0

				4. प्रधान चालक–0 5. अग्निक–06 6. अग्निक चालक–02
		01. फायर इंजन–17 02. व्हीकल पोर्टेबुल पम्प–01 (फलोटिंग पम्प)	18	4 बड़ी, 2 मध्यम, 11 मिस्ट
15	राज्य आपदा मोचन बल	राहत बलों की कुल सं0–26	बोट–6 कटर–5 लाइफ जैकेट–40 लाईफ बॉय–12	
16	स्वास्थ्य सुविधायें	जिला अस्पताल	1	
		ब्लड बैंक वाले अस्पताल की संख्या	1	जिला अस्पताल
		अनुमंडलीय अस्पताल	2	
		सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	16	
		अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	45	
		स्वास्थ्य उपकेन्द्र	345	
		जिला अस्पताल की बेड की संख्या	100	
		रेफरल/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बेड की संख्या	356	
		मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	01	
		कुल चिकित्सक	नियमित–122	दन्त चिकित्सक सहित
			संविदा–34	आयुष चिकित्सक सहित
		कुल ए०एन०एम०	नियमित–709	
			संविदा–23	
		आशा	चयनित – 2769	
		ममता	112	
		सचल दल	16	प्रखण्डवार एक
		एम्बुलेंस	25	10 बाईक एम्बुलेंस
		कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर	20	
17	बाढ़ नियंत्रण	प्रमुख नदी	5	गंगा, महानंदा, कोशी, बरण्डी और रिघा नदियां

	कार्यालय			है
		तटबंध	25	
		कार्यापालक अभियंता	2	
		सहायक अभियंता	11	कटिहार– 4 काढ़ागोला–4 सलमारी–3
18	पी०एच०ई०डी०	साधारण हैण्ड पम्प	11010	कुल– 12237
		इण्डिया मार्का पम्प के साथ	1227	
		कार्यपालक अभियंता	1	
		सहायक अभियंता	4	
		कनीय अभियंता	10	
19	सिंचाई प्रमंडल, कटिहार	शाखा नहर/उपशाखा नहर वितरणी/उपवितरणी लघु नहर	मइनर नहर– 19 वितरणी– 01 उपवितरणी– 04	
		कार्यपालक अभियंता	01	अन्य कर्मचारी– 41
		सहायक अभियंता	02	
		कनीय अभियंता	07	
20	पशु पालन विभाग	कुल पशु शिविर की संख्या	112	
		प्रशिक्षित पशु चिकित्सक	10	
		प्रशिक्षित पशुधन सहायक	05	
21	प्रखंड/अंचल स्तरीय पदाधिकारी	कुल अंचलाधिकारी की संख्या	16	
		कुल प्रखंड पदाधिकारी	16	
22	परिवहन विभाग	जे0सी0बी0	37	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2017 तक
		क्रेन	1	1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2017 तक
		जिला में बसों की सं0	17	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2017 तक
		जिला में ट्रेक्टरो की सं0	3081	1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2017 तक
		पंजीकृत नावों की सं0	208	मालवाहक नाव–63 यात्री नाव–145 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक
23	बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल कटिहार	कार्यपालक अभियंता की सं०	03	कटिहार, काढ़ागोला एवं सालमारी।
24	जीविका	मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षित क्षेत्रीय एवं सामुदायिक समन्वयकों की सं0	07	
25	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षित अभियंता की सं0		39	
26	भूकम्परोधी भवन निर्माण हेतु प्रशिक्षित राज्यमिस्त्रियों की सं0		431	

अध्याय : 4– संस्थागत ढाँचा
(Institutional Arrangement)

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आपदा के पूर्व, दौरान और बाद की स्थिति का प्रभावी प्रबंधन हो सके, इसके लिए संस्थागत ढांचा का प्रावधान किया गया है। **भारत में आपदा प्रबंधन** अधिनियम **2005 के अर्न्तगत आपदा प्रबंधन हेतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।** ये संस्थायें राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर चिह्नित की गई हैं। अधिनियम द्वारा सभी संस्थाओं के कार्यकलाप तथा उनको दिये गये कार्य एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण किया गया है। आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने तद्नुसार इसका समयबद्व क्रियान्वन करने, सभी विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों का प्रभावी अनुश्रवण करने के लिए सामर्थ्यवान संस्थाओं द्वारा जोखिम शमनीकरण, न्यूनीकरण, अवशेष जोखिम के लिए प्रत्युत्तर तथा पुनर्स्थापन इत्यादि कार्य के लिए समग्रता का दृष्टिकोण (Holistic Approach) अपनाया जाना अनिवार्य है। जिस के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, समुदाय आधारित संस्थायें, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य निजी एवं सार्वजनिक संस्थाओं के साथ ही बड़े औद्योगिक या व्यापारिक प्रतिष्ठान जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में एक दूसरे का सहयोग करते हुए आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी कार्य सम्पादित करेगें। बिहार में आपदा प्रबंधन/विकास कार्यों के सक्रिय संचालन हेतु गांव, ग्राम पंचायत, प्रखण्ड, अंचल, अनुमण्डल एवं जिला एक समेकित प्रशासनिक तंत्र के रूप में गठित है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 30 (2) (xvi)

4.1 जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कटिहार

जिला कटिहार में जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित है। आपदा प्रबंधन विभाग, पटना, बिहार द्वारा दिनांक–13/6/2008 जारी अधिसूचना पत्रांक संख्या 1 प्रा0आ0–16/2008/1502 अधिसूचना में वर्णित आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 25 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा एतद् द्वारा प्रत्येक जिले के लिए ''जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' का गठन करेगी, जो इस अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए विभिन्न कार्यों को करेगी। उक्त अधिनियम की धारा 25 की उप–धारा (2), (3), (4), में डी.डी.एम.ए. के सदस्यों का विवरण यथा विर्निर्दिष्ट है–

क्रमांक	पदाधिकारी	पद
1	जिला पदाधिकारी/जिला समाहर्ता	पदेन अध्यक्ष
2	अध्यक्ष जिला परिषद	सह–अध्यक्ष
3	पुलिस अधीक्षक	पदेन सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी	पदेन सदस्य
5	उप विकास आयुक्त	पदेन सदस्य
6	अपर समाहर्ता–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी	पदेन सदस्य
7	जिला के वरीयतम अभियंता	पदेन सदस्य

2. अपर समाहर्ता–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे।

3. अधिनियम की धारा 27 के अनुसार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक अध्यक्ष द्वारा विर्निदिष्ट स्थान एवं समय पर होगी।

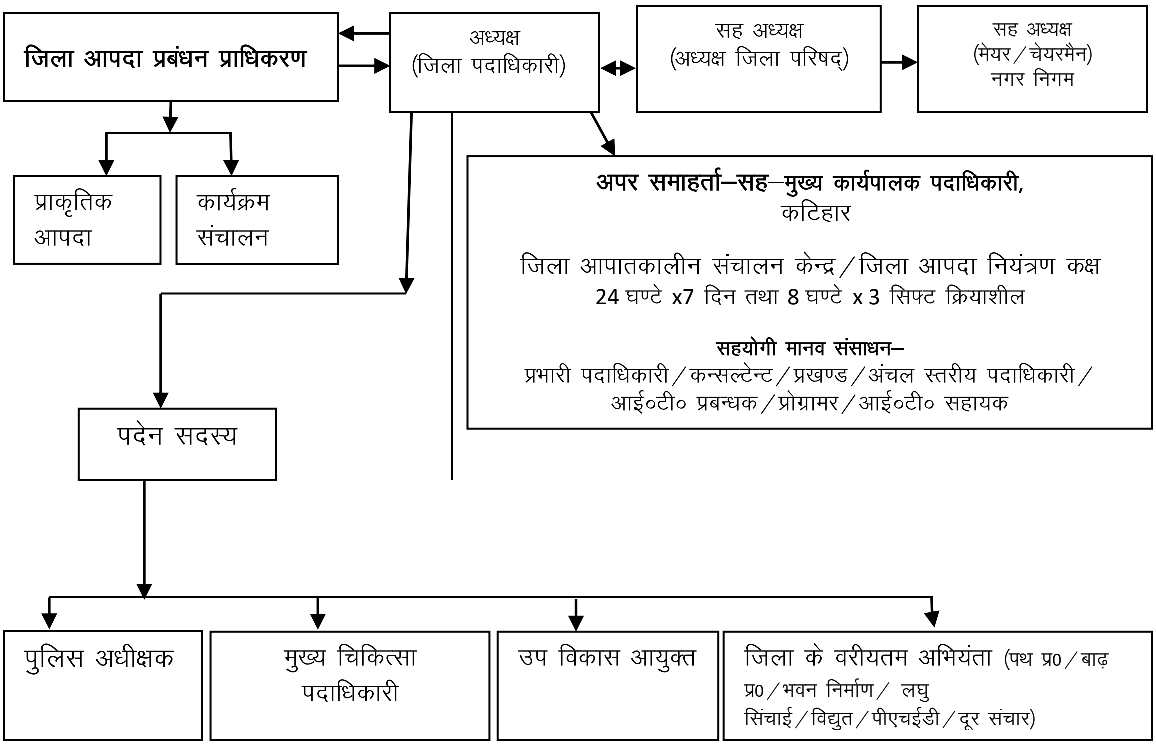

चित्र– 2– डी.डी.एम.ए. कटिहार का ढांचा

जिला पदाधिकारी ही सभी आपदाओं के प्रभाव को कम करने हेतु नित्य कार्रवाईयों एवं राहत अनुदान सहायता के लिए जबावदेह पदाधिकारी होंगे और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला पदाधिकारी को ही जिले के सभी विभागों के बीच समन्वयन एवं पर्यवेक्षण की शक्ति प्रदान की गयी है। जिले में आपदा प्रबंधन हेतु जबाबदेह हितभागियों में पुलिस, पैरा मिलिट्री, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक, अग्निशमन सेवा, पूर्व सैनिक, सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उद्यम, मीडिया आदि संगठन भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा प्रत्युत्तर, राहत एवं पुनर्वास के लिए जिले में सुव्यवस्थापित सांस्थानिक एवं नीति निर्माण तंत्र कार्यरत हैं। ये तंत्र अभी तक इन कामों में मजबूत एवं प्रभावी साबित हुए हैं।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य:

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4, धारा 30, उपधारा (1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए जिला योजना, समन्वयन और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण द्वारा आधिकथित मार्गदर्शन सिद्वांतों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) जिला प्राधिकरण, उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :–

(i) जिले के लिए जिला मोचन योजना सहित आपदा प्रबंधन योजना तैयार कर सकेगा।

(ii) राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना और जिला योजना के कार्यान्वयन का समन्वय एवं मानीटर कर सकेगा।

(iii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिले में आपदाओं के संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है आपदाओं के निवारण और उसके प्रभावों के शमन के लिए उपाय जिला स्तर पर सरकार के विभागों द्वारा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा किए गए हैं।

(iv) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि आपदाओं के निवारण उनके प्रभावो के शमन, तैयारी और राष्ट्रीय प्राधिकरण तथा राज्य प्राधिकरण द्वारा यथा अधिकथित मोचन के उपायों का जिला स्तर पर सरकारों के सभी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जाता है।

(v) विभिन्न जिला स्तर के प्राधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों को आपदाओं के निवारण या शमन के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हों।

(vi) जिला स्तर पर सरकारी विभागों और जिले में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण प्रबंधन योजनाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा।

(vii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

(viii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों द्वारा अपनी योजनाओं और परियोजनाओं में आपदा निवारण और शमन के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजन के लिए अनुसरित किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा और उनके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

(ix) खंड (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर कर सकेगा।

(x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति के मोचन के लिए राज्य की क्षमताओं को पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके उन्नयन के लिए जिला स्तर पर संबंधित विभागों या प्राधिकारियों को ऐसे निदेश दे सकेगा, जो आवश्यक हो।

(xi) तैयारी उपायों का पुनर्विलोकन कर सकेगा और जिला स्तर पर संबंधित विभागों या संबंधित प्राधिकारियों को जहां किसी आपदा या आपदा की आशंका की स्थिति का प्रभावी रूप से मोचन करने के लिए तैयारी उपायों की अपेक्षित स्तरों तक लाना आवश्यक हों, निदेश दे सकेगा।

(xii) जिले में विभिन्न स्तरों के अधिकारियों, कर्मचारियों और स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशेषज्ञता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित कर सकेगा और समन्वयन कर सकेगा।

(xiii) आपदा निवारण या शमन के लिए स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों की सहायता से सामुदायिक प्रशिक्षण और जागरूकता कायक्रमों को सुगम बना सकेगा।

(xiv) जनता को पूर्व चेतावनी और उचित सूचना के प्रसार के लिए तंत्र की स्थापना कर सकेगा उसका अनुरक्षण कर सकेगा, पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xv) जिला स्तर मोचन योजना, और मार्गदर्शक सिद्वांतों को बना सकेगा, उनका पुनर्विलोकन और उन्नयन कर सकेगा।

(xvi) किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के मोचन का समन्वयन कर सकेगा।

(xvii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि जिला स्तर पर सरकारी विभागों और स्थानीय प्राधिकारी जिला मोचन योजना के अनुसरण में अपनी मोचन योजना तैयार करें।

(xviii) जिला स्तर पर संबंध्ति सरकारी विभाग या जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर अन्य प्राधिकारी के लिए किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा के प्रभावी मोचन के उपाय के लिए मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित कर सकेगा या उन्हें निदेश दे सकेगा।

(xix) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, कानूनी निकायों और जिले में आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को सलाह दे सकेगा, उनकी सहायता कर सकेगा और उनके क्रियाकलापों को समन्वयन कर सकेगा।

(xx) यह सुनिश्चित करने के लिए जिले में आपदा स्थिति की आशंका की या आपदा के निवारण या उसके शमन के लिए उपायों को तत्परता से और प्रभावी रूप से किया जा रहा है, जिले में स्थानीय प्राधिकारियों के साथ समन्वयन कर सकेगा और निर्देश दे सकेगा।

(xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकारियों को उनके कृत्यों को करने के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगा या उन्हें सलाह दे सकेगा।

(xxii) जिला स्तर पर सरकारी विभागों, स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आपदा निवारण या उनका शमन करने के लिए तैयार की गई विकास योजनाओं में आवश्यक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उनका पुनर्विलोकन कर सकेगा।

(xxiii) जिले के किसी क्षेत्र में सन्निर्माण की जांच कर सकेगा और यदि उसकी यह राय हो कि आपदा निवारण या उसके शमन के लिए ऐसे सन्निर्माणों के लिए अधिकथित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है या उनका पालन नहीं किया गया है, संबंधित प्राधिकारी को ऐसी कार्रवाई के लिए जो ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, निदेश दे सकेगा।

(xxiv) ऐसे भवनों और स्थानों की पहचान करे सकेगा जिनका किसी आपदा की आंशका या आपदा की घटना की स्थिति में राहत केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा।

(xxv) राहत संचय और बचाव सामग्री की स्थापना कर सकेगा या किसी अल्प सूचना पर ऐसी सामग्री उपलब्ध कराने की तैयारी को सुनिश्चित कर सकेगा।

(xxvi) आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में राज्य प्राधिकरण को सूचना दे सकेगा।

(xxvii) जिले में प्रारंभिक स्तर पर कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक कल्याण संस्थाओं को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्सहित कर सकेगा।

(xxviii) यह सुनिश्चित कर सकेगा कि संचार प्रणालियां ठीक है और आपदा प्रबंधन कवायद कालिक रूप से की जा रही है।

(xxix) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकेगा जो उसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किए जाएं या जिले में आपदा प्रबंधन के लिए जो आवश्यक समझे जाए।

4.2 पंचायतें–

भारत के संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के साथ शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ग्रामीण विकास तथा जनकल्याण योजना बनाने तथा प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति के स्तर पर इनके अन्य विकास एवं जनकल्याण की योजनाओं के साथ समेकन को जरूरी बना दिया गया है। पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के उद्देश्य से अपने अपने क्षेत्रों में योजना बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप–2030.में.''रेजिलियेंट विलेज'' की कल्पना की है, अतः ग्रामीण स्तर पर "फर्स्ट रिस्पॉडर" मानते हुए आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी। इनके द्वारा निर्मित संरचनायें इस क्षेत्र विशेष में अनुभूत खतरों से मुकाबला करने में सक्षम तथा आपदा सह ग्राम/शहर/स्कूल/ अस्पताल इत्यादि की कल्पना से युक्त होगें। खतरों का पूर्वानुमान प्राप्त होने पर प्रभावित होने वाले समूह/समुदाय तक इस चेतावनी सलाह या पूर्व सूचना को पहुँचाने में ये प्रमुख भूमिका वहन करेगें। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत सबसे निचली स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था है इसलिए इसे आपदा प्रबंधन की दृष्टि से सशक्त बनाये जाने की जरूरत है। इसके लिए पंचायत के सहयोग हेतु (Panchayat Support Functionary) समितियों को आपदा न्यूनीकरण, प्रत्युत्तर (रिस्पॉस) तथा पुर्नवासन (Recovery) के कार्य में लगाया जा सकता है। ग्राम पंचायत तदनस्वरूप पंचायती राज अधिनियम में वर्णित सभी छः समितियों का गठन करेंगी ताकि उसके द्वारा पंचायत के अंदर आने वाले गाँवों में उपस्थित जोखिम को न्यून करेगी एवं उसके द्वारा पंचायत में उपस्थित संसाधन से मानव एवं प्राकृतिक आपदायें का प्रबंधन किया जा सकेगा। इससे आपदा के पूर्व, दौरान तथा बाद में पंचायत अपनी अहम भूमिका निभा सकेगी। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़े पैमाने पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर उन्हें ''मास्टर ट्रेनर्स" बनाया है। पंचायतों से यह अपेक्षा है कि वे प्राधिकरण द्वारा तैयार प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग कर पंचायती राज को सुदृढ़ संस्थान के रूप में स्थापित करेंगी। जिले में सुदृढ़ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कार्यरत है।

4.3 समुदाय आधारित संगठन :

- **नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेन्स)**

  नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो 1968 में संसद से पारित है। आपदाओं के प्रबंधन, न्यूनीकरण तथा आम लोगों में क्षमतावृद्धि के उद्देश्य से प्रशिक्षित करने का दायित्व सौंपा गया। नागरिक सुरक्षा निदेशालय राज्य मुख्यालय में स्थापित है जिसका प्रधान भारतीय पुलिस सेवा के वरीय पदाधिकारी होते हैं जिसे पुलिस महानिरीक्षक–सह–आयुक्त, नागरिक सुरक्षा के पदनाम से जाना जाता है। अधिनियम में नागरिक सुरक्षा की इकाईयां जिला स्तर पर स्थापित किये जाने का प्रावधान है। कटिहार जिले में तत्काल नागरिक सुरक्षा का गठन किया गया है।

4.4 जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र–सह–आपदा नियंत्रण कक्षः

आपदाओं के दौरान त्वरीत कार्रवाई करने, समन्वित ढंग से कार्य करने तथा विभिन्न हितधारको के बीच सूचनाओं के त्वरित एवं प्रभावी ढंग से आदान–प्रदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कटिहार जिला अन्तर्गत जिला स्तर पर **जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र (DEOC)** की स्थापना की गई है तथा इस केन्द्र को विभागीय पत्रांक–1982/आ०प्र०, दिनांक–10.07.2017 के आलोक में इन्हें आवश्यक उपस्कारों/सामाग्रियों से सुसज्जित एवं आधुनिक संचार उपकरणों से लैस की गई है। इस आपातकालीन संचालन केन्द्र से समस्त आपदा प्रबंधन संबंधित गतिविधियों का संचालन करने हेतु इस प्रकार तैयार किया गया है कि ये पूर्णरूपेण 24X7 क्रियाशील रहे तथा इसमें समस्त जिला स्तरीय पदाधिकारियों को आवश्कतानुसार, आपातकालीन परिस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा कभी भी कारवाई हेतु केन्द्र में बुलाया जा सकता है। साथ ही इस केन्द्र में किसी भी आपात स्थिती में जिला पदाधिकारी–सह–इनसिडेंट कमांडर स्वयं पहुँच कर विभिन्न एजेन्सियों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक दिशा–निर्देश जारी कर सकते हैं।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र–सह–आपदा नियंत्रण कक्षः

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष पर किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थिति उत्पन्न होने पर सभी प्रकार के मानक एवं मानदण्डों के अनुरूप प्रकिया तथा सामाग्रियाँ सदैव तैयार रहनी चाहिए। कुछ प्राकृतिक आपदाओं जिसकी पूर्व चेतावनी की सूचना संभव होती है उन आपदाओं की पूर्व चेतावनी की सूचना प्राप्त होने पर उस आपदा के अनुरूप आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष अपने जिला पदाधिकारी या अन्य संबंधित पदाधिकारियों को उनके संसाधनों के साथ गतिशील किया गया है।

यह केन्द्र इस प्रकार से विकसित किया है, कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति में यह 24X7 (चौबीस घंटे एवं सातो दिन) क्रियाशील रहेगा और समस्त परिस्थतियों में सूचनाओं का संकलन, चेतावनी एवं सूचना के प्रसार हेतु तत्पर रहेगा। वर्तमान में इस आपातकालीन संचालन केन्द्र में 8 घण्टें की रोस्टर पर तीन–तीन कर्मियों को इस प्रकार तैनात किया गया है कि DEOC 24X7 संचालित रहे एवं कर्मियों को देय छुट्टी भी उन्हें दी जा सकें। जिसमें तीन कम्प्यूटर प्रोगामर, तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा तीन आई०टी० ब्यॉय है, जिनका दायित्व इस प्रकार हैः–

i. **कम्प्यूटर प्रोग्रामर** :– जो DEOC का तकनीकी कार्य, संबंधित विभागों/एजेंसियों, जिला एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ सूचनाओं का आदान–प्रदान, प्राप्त आंकडों का संकलन, संधारण एवं विश्लेषण का कार्य करेगें। इसके अतिरिक्त जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के संचालन की जिम्मेदारी भी इनकी होगी।

ii. **डाटा इन्ट्री ऑपरेटर** :– जो डाटा इन्ट्री का काम करेंगे। साथ ही कम्प्यूटर प्रोग्रामर को उनके कार्यो में सहयोग करेंगे।

iii. **आई०टी० ब्यॉय :–** जो दूरभाष, फैक्स, फोटो कॉपी आदि का कार्य करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र :– विभागीय पत्र–1982/आ०प्र० दिनांक–10.07.2017 के आलोक में जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभावी संचालन हेतु उपर्युक्त नौ कर्मियों के अतिरिक्त एक पदाधिकारी जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य करेगें। किसी भी आपदा के दौरान आपातकालीन घटना की पूर्ण जानकारी विभिन्न स्रोंतो से प्राप्त होने पर वे इसकी सम्पुष्टि आधिकारिक तौर पर करेंगे तथा इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी एवं राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी पदाधिकारी को देगें। DEOC को प्राप्त सूचना एवं घटना का अभिलेखन संबंधित पंजी में दर्ज करायेगें एवं त्वरीत कार्रवाई हेतु संबंधित को निदेशित करेगें साथ ही निर्बाद्ध संचालन सुनिश्चित करायेगें।

लिपिक :– विभागीय पत्र–1982/आ०प्र० दिनांक–10.07.2017 के आलोक में कार्यालय कार्य हेतु दो लिपिक के माध्यम से संचिकाएं/अभिलेखों आदि का संधारण एवं रख–रखाव तथा प्रभारी पदाधिकारी, के द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करेगें।

जब तक प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र एवं लिपिक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तबतक के लिए जिला पदाधिकारी अपने स्तर से जिला में उपलब्ध किसी वरीय पदाधिकारी को जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के प्रभारी प्रदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करेंगे। इसी प्रकार दो लिपिकों की भी प्रतिनियुक्ति जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र में किया जाय, ताकि जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को तत्काल प्रभाव से क्रियाशील किया जा सके।

तैनात अधिकारी एवं कर्मचारियों का दायित्व :

- जिले में आपदाओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन।
- प्राप्त सूचनाओं का समय–समय पर अद्यतनीकरण।
- प्राप्त सूचना को सूचना रजिस्टर में दर्ज करना, साथ ही संबंधित अधिकारी को उक्त सूचना से अवगत कराते हुए प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं अपर समाहर्त्ता को भी अवगत कराना।
- प्राप्त सूचना को संबंधित अधिकारी द्वारा वार्ता कर उक्त सूचना के आधार पर की गयी कार्रवाई को सूचना रजिस्टर में दर्ज करना।
- बाढ़/अतिवृष्टि/वज्रपात/शीतलहर/ओलावृष्टि/चक्रवाती तूफान/लू (Heatwave)/अगलगी/नाव दुर्धटना/पानी में डुबने की घटना/भूकम्प एवं अन्य आपातकालीन के दौरान निम्न सूचनायें, दर्ज करेगे तथा प्रभारी पदाधिकारी, DEOC से सत्यापित कराना :–
    - केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी बाढ़ दैनिक प्रतिवेदन के आधार पर नदियों के जल स्तर (बढ़ाव/घटाव/स्थिर) की जानकारी।
    - प्रत्येक अंचल तथा मौसम विभाग वर्षा अभिलेख एवं तापमान अभिलेख।
    - अंचलो द्वारा तैयार किये गए आपदाओं के क्षति का विवरण।
    - प्रभावित ग्राम, ग्राम पंचायत, अंचल एवं अनुमंडल तथा प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) का विवरण।
    - राहत एवं बचाव टीम द्वारा राहत एवं बचाव कार्यो का विस्तृत विवरण।
    - संचालित कराये जा रहे राहत केन्द्रो का विवरण।
    - प्रत्येक संचालित राहत केन्द्र में आपदा प्रभावित परिवार को सहायता हेतु दिये गये राहत पैकेट, राशन, दवाई, बर्तन, कपड़ा या अन्य का पूर्ण का विवरण।
    - आपदा प्रशाखा एवं अंचलो के भण्डार में स्थित मोटर बोट, सरकारी नाव, निजी नाव, नाविक, गोताखोर, लाईफ जैकेट, रस्सी व कुण्डा एवं महाजाल का पूर्ण विवरण।
    - प्रत्येक अंचल में वितरित सहाय्य राशी का प्रतिवेदन पूर्ण विवरण सहित।

- ○ प्रत्येक दिवस सायंकाल 04:00 बजे अपर समाहर्ता पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी आपदा द्वारा सत्यापित आपदा बुलेटिन (बाढ, चक्रवाती तूफान, ओलावृष्टि, भूकम्प, अगलगी आदि) जारी किया जाना।
- ○ मृतको/घायलों/लापता व्यक्तियों का विवरण (उम्र, लिंग एवं रोजगार)।

जिला आपातकालिन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष में आवश्यक अनिवार्य सुविधायेंः

DEOC/आपदा नियंत्रण कक्ष के अर्न्तगत अबाधित विधुत आपूर्ति, वायरलेस सेट, टेलीफोन, इंटरनेट कनेक्श्न, टेलीविजन, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर मशीन, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्पर्क विवरण, पदाधिकारियो/कर्मचारियो के बैठने एवं कार्य संपादन हेतु आवश्यक सामग्री, शौचालय, पेयजल, पर्याप्त स्टेशनरी, डिस्पले बोर्ड, टेलीफोन डाइरेक्टी, मानचित्र इत्यादी सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलबध हों।

पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसार प्रक्रियाः

मौसम विभाग अथवा अन्य विभागों द्वारा संभावित/घटित आपदा से संबंधित प्राप्त सूचना के आधार पर समस्त हितभागियों एवं आम जनता के लिए DEOC से चेतावनी जारी किया जायेगा। जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष (अनुमण्डल/प्रखण्ड/अंचल/ग्राम पंचायत), राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र से सीधे जुड़ा होगा ।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र का प्राथमिक कर्तव्य समय पर सही पूर्व सूचना/चेतावनी जारी करना हैं। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रभावी रूप से जारी करने के लिए जिला आपातकालीन केन्द्र के पास सुनियोजित संचार व्यवस्था अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहना चाहिए। जिला पदाधिकारी/नामित पदाधिकारी चेतावनी जारी करने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे। निन्मलिखित संस्थाओं/अधिकारियों को चेतावनी की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाये–

- आयुक्त कार्यालय।
- जिला पदाधिकारी कार्यालय।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।
- जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को।
- अनुमण्डल स्तरीय पदाधिकारियों को।
- अंचल/प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारियों को।
- पड़ोसी जिलों के जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र को।

जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र/आपदा नियंत्रण कक्ष की सामान्य समय में भूमिका

जिला पदाधिकारी द्वारा DEOC, कटिहार में 24x7 संचालन हेतु तीन पालियों में एक–एक कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० बॉय की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो कि सामान्य समय में निम्न कार्य करेगें :–

- आपदा और संवेदनशीलता से संबंधित आंकड़ों व जानकारियों का संकलन तथा सम्बधिन्त जिला स्तरीय विभागों व हितभागियों के साथ साझा करना तथा आपदा के समय उपर्युक्त को प्रयोग में लाना।
- आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्मित विभिन्न पोर्टलों पर डाटा का अद्यतन करना।
- वेब आधारित तकनीक (Digitalization Techinique) के आधार पर संसाधनों का प्रबंधन।
- आपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधनो के लिए निवेदन करना ।
- सुनिश्चित करना कि सभी आवश्यक यंत्र चालू अवस्था में हों।
- जिले में आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा शमन की गतिविधियों पर प्रतिवेदन तैयार करना ।
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उचित क्रियान्वन ।

क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष

क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष आपदा स्थल के समीप स्थापित किया जायेगा जो जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र के साथ जुड़कर काम करेगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य उत्तरदायी होगें तथा कमांडर इन चीफ की भूमिका में घटनाओं का नियंत्रण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित करेगे।

जिला इन्सिडेंट कमांडर जिला पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के निर्देशानुसार

क्षेत्रीय कमांडर अपने स्थानीय प्रबंधन टीम के सहयोग से समन्वय के साथ कार्य को संचालित करेगा। क्षेत्रीय आपदा नियंत्रण कक्ष किसी आपदा के समय ही सक्रिय होगा। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/अंचल पदाधिकारी आपदा स्थल पर सभी गतिविधिया निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होगे, लेकिन समस्त कारवाई नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र से नियंत्रित और समन्वित किये जायेगें। जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार क्षेत्रीय नोडल अधिकारी स्थानीय प्रबंधन टीम के सहयोग से राहत एवं बचाव कार्य संचालित करेगें। क्षेत्रीय नोडल अधिकारी सभी गतिविधियां जिम्मेदारी के साथ निष्पादित करेगे साथ ही समपादित कार्यो से जिला पदाधिकारी/नोडल अधिकारी, आपदा प्रबंधन को अवगत करायेगे।

आपदा के अनुसार क्रियाशीलता का स्तर :

सामान्यतः किसी घटना के सम्बन्ध में सूचनाये हमेशा उनके घटने के बाद प्राप्त होती है। बिना किसी पूर्व सूचना के आपदा घटित होने की दशा में स्थानीय पदाधिकारी या जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी तथा अन्य पदाधिकारी को स्थिती के अनुसार सूचित करते हुए जिला आपातकालीन संचालन केन्द्र या राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचना दी जायेगी। इन आपातकालीन संचालन केन्द्रो द्वारा आवश्यकतानुसार आपदा बचाव दल एवं बचाव सामाग्री आदि की तैनाती की जायेगी। इस संदर्भ में अपने से उच्च अधिकारियों को सूचना का आदान–प्रदान करेगें। इस आदान–प्रदान के आधर पर तत्काल कार्ययोजना का निर्माण कर उसका अनुपालन करते हुए घटना के प्रति प्रत्युत्तर कार्रवाई किया जायेगा।

4.4 **समन्वय तंत्र** (जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कटिहार) :–

पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण एक सचेत करने का माध्यम होता है जिसको प्रसारित करने के लिए वर्त्तमान में बहुतायत माध्यम प्रयोग में लाये जाते है। पूर्व सूचना/चेतानवी प्रसारण के लिए कटिहार जिले में बहुतायत स्त्रोतों में से निम्न माध्यमों को प्रयोग में लाया जाता है। जैसे–टेलीफोन, मोबाईल फोन, सेटेलाईट फोन, सोशल मिडिया, ई–मेल, रेडियों, टेलिवीजन, हैण्ड ऑपरेटिंग/इलेक्ट्रोनिक साइरन, माईकिंग आदि।

उपर्युक्त प्रणाली को सफल एवं प्रभावी करने हेतु समुदाय स्तर परसमुदाय में टास्क फोर्स के लोगो को प्रशिक्षित एवं संगठित करना होगा।

समय से प्राप्त पूर्व सूचना/चेतावनी समुदाय एवं प्रशासन का **''लीड टाइम''** प्रदान करता है। इसके माध्यम से आपदा प्रभावित समुदाय समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुॅच सकते हैं। इस तकनीकी के माध्यम से भारी मात्रा में होने वाले जन–धन की हानी को रोका जा सकता है। पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारन अधिक व्यापक और अन्तिम व्यक्ति तक जुड़ाव वाला होना चाहिए। पूर्व सूचना

जिला कटिहार का पूर्व सूचना/चेतावनी प्रसारण ढांचा/समन्वय तंत्र

गुणवत्तापरक, व्यापक और समय से
प्रसारित किया जाना चाहिए।

अध्याय:5– आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के उपाय
(Prevention, Mitigation and Preparedness Measures)

आपदा प्रबंधन व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक टीम अभ्यास है और विभिन्न संस्थानों द्वारा मिलकर बनती है जिसे हम हितभागी समझते हैं। ये हितभागी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष होते हैं। डीआरआर रोड मैप बिहार 2015–2030 में विकास एवं आपदा जोखिम में परस्पर संबंध को गहराई से विश्लेषित किया गया है। यह विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अनुपयुक्त विकास कार्रवाईयाँ आपदा हेतु जोखिम को बढ़ाती है। इसलिए आपदा प्रबंधन योजनाओं का एक दोहरा लक्ष्य होना चाहिये कि समाज प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने की शक्ति प्राप्त करें और साथ–साथ विकास के प्रयासों से इन आपदाओं की संवेदनशीलता में वृद्धि न हो। उपरोक्त कथन, आपदा प्रबंधन को विकास से मात्र जोड़ता ही नहीं है, साथ साथ यह भी इंगित करता है कि इनका सही अनुपालन न करना एवं गैर वैज्ञानिक विकास हाल के दिनों में समुदाय की बढ़ती संवेदनशीलता के मुख्य कारण बन रहे हैं। आपदा विकास प्रक्रिया से पूरी तरह जुड़ी हुई रहती हैं एवं यह समाज की एक प्रकार से विकास की प्रणाली ही है, जो आपदाओं का प्रभाव एवं संवेदनशीलता का निर्धारण करती है । चूँकि निर्विवाद रूप से सर्वांगीण आपदा प्रबंधन योजना में विकास प्रणाली का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः आपदा प्रबंधन में विकास एजेन्सियों की भूमिका स्वतः ही उत्तरदायी हो जाती है ।

वर्तमान में आपदाओं के बदलते प्रभावों और उनके समाज पर प्रभावी असर को देखते हुए किसी एक मंत्रालय या विभाग द्वारा स्वतंत्र रूप से आपदाओं का सामना करना संभव नहीं है, अतः यह आवश्यक है, कि आपदाओं से उत्पन्न स्थितियों का सामना सभी विभाग/एजेन्सियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा मिल–जुल कर किया जाय। इसके अतिरिक्त चूँकि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के द्वारा प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रीकरण अनिवार्य हो गया है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाने हेतु संगत कार्रवाईयों/गतिविधियों की पहचान आवश्यक है।

विभिन्न आपदाओं से होने वाली संभावित क्षति को कम करने हेतु निरंतर आपदा निवारण, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्य करना होगा ताकि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मुख्य उद्देश्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि रोकथाम, न्यूनीकरण तथा पूर्व तैयारी के लिए कार्यों को चिह्नित कर लिया जाय, साथ हीं उसके लिए विभागों/संभागों की भी पहचान कर ली जाय। इस अध्याय में आपदा निवारण, न्यूनीकरण एवं पूर्व तैयारी हेत विभिन्न हितधारकों के कार्यों की पहचान की गयी है।

5.1 विभाग/एजेंसी का विशिष्ट कार्य :–

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए योजना, विनिर्माण कार्यान्वयन तथा समन्वयकर्त्ता निकाय के रूप में कार्य करेगा और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिले में आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए सभी उपाय करेगा। विभिन्न मुख्य कार्यों का दायित्व निम्न प्रकार से होगा :–

विशिष्ट कार्य	जिम्मेवारी
रोकथाम, नियंत्रण और समन्वय	जिलाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, कटिहार
सूचना संग्रह, विश्लेषण तथा क्षति आकलन	जिलाधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा
संचार	जिला दूरसंचार केन्द्र (सूचना संचरण हेतु)
खोज व बचाव	पुलिस, अग्निशमन बल, परिवहन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
सहाय्य एवं शरण स्थल	जिला प्रशासन, खाद्य आपूर्ति पदा॰, राजस्व एवं भूमि सुधार
स्वास्थ्य सेवा	जिला स्वास्थ्य समिति
पेयजल एवं स्वच्छता	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण एवं नगर निगम कटिहार
पशु शरणागाह एवं चारा	जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार
ऊर्जा आपूर्ति का पुनर्स्थापन	पावर होल्डिग कम्पनी, बिहार
आधारभूत संरचना का पुनर्स्थापन	पथ निर्माण/ग्रामीण कार्य विभाग, भवन निर्माण एवं पुल निर्माण निगम
शव एवं मलवा निपटान	नगर निगम एवं क्षेत्रीय प्रशासन
जन संपर्क, पूर्व सूचना एवं ई॰ओ॰सी॰,मिडिया प्रबंधन	जिला जनसंपर्क कार्यालय (मिडिया को वस्तुस्थिति से अवगत कराना)
कानून एवं व्यवस्था	जिलाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, कटिहार

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न विभागों/संभागो, पंचायतीराज संस्थाएँ, सामुदायिक स्तर की संस्थाएँ तथा निजी क्षेत्र की एजेंसियाँ भी उपरोक्त कार्यों में सहयोग दे सकेंगी। इन कार्यों में पंचायत ग्रामीण स्तर की चुनी हुई संस्था है, अतः जोखिम को रोकने, कम करने या पूर्व की तैयारी में विशेष जिम्मेवारी निर्वहन करना पड़ सकता है।

5.2 सभी विभागों एवं एजेसियों के लिए कार्य :–

सभी संबंधित विभाग/संभाग आपदा जोखिम विषय पर समझ विकसित करेंगें तथा प्रशासन प्रणाली को सशक्त करेंगें। आपदा जोखिम न्यूनीकरण उपायों तथा प्रभावी रिस्पाँस आदि विषयों को ध्यान में रखकर इस योजना हेतु कार्रवाही करेंगे।

5.3 विभागों/एजेंसियों के आपदानुरूप कार्य:

1. बाढ़:–

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**जल संसाधन विभाग (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमण्डल) कटिहार**	• **बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं का निरूपण एवं निर्माण।** ➢ शाहपुरधर्मी पंचायत का शेरमारी प्रा0 वि0 के समीप प्रधानमंत्री सड़क सह गंगा नदी का बायां तटबन्ध की 50 मीटर तक मरम्मतीकरण। ➢ पं0 मुरादपुर ग्राम पंचायत के कुर्सेला घुरना म0 विद्यालय से उ0 मुरादपुर के महेशपुर होते हुए नबाबगंज के मध्य स्थान तक कोशी नदी का बायॉ तटबन्ध सह सड़क लगभग 3 किमी0 तक मरम्मतीकरण। ➢ **बाढ़ डिविजन सालामारी के अर्न्तगत–** बोगडोब से दिवानगंज तक महानदां नदी पर बने 31.3 किमी0 के तटबंन्ध में सबसे संवेदनशील बिन्दू– आजमनगर एवं धबौल का स्थायित्व को दृष्टिगत रखते हुए मरम्मीकरण। • **पूर्व से निर्मित किन्तु क्षतिग्रस्त बाढ़ सुरक्षात्मक योजनाओं की मरम्मति एवं पुनर्स्थापन।** **बाढ़ डिविजन काढ़ागोला के अर्न्तगत–** ➢ स्पर संख्या– 4,5,6,7,8,9 का मरम्मतीकरण प्राथमिकता के तौर पर क्योंकि इसके कटने से सवाधिक जनसंख्या बाढ़ से प्रभावित होगा। ➢ स्पर संख्या–11 एवं 12 का मरम्मतीकरण। ➢ केवाला से बाधमारा तक बांध का मरम्मतीकरण। ➢ बाढ़ डिविजन कटिहार के अर्न्तगत–महानंदा नदी के तटबन्ध– झौआ–लाभा तटबंन्ध पर	• आपदा पूर्व संभावित बाढ़ की चेतावनी का प्रसारण । • नदियों के जलग्रहण क्षेत्र से काफी अधिक मात्रा में, बाढ़ के पानी के साथ आने वाले गाद को हटाने की व्यवस्था । • उपरोक्त के आक्राम्य स्थलों को चिह्नित करना। क्षतिग्रस्त होने वाले संभावित जगहों को शीघ्रता से तत्परता पूर्वक समुचित संरचनाओं का निर्माण। • बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में लोगों के बीच बाढ़ से बचाव के संबंध में आवश्यक सलाह /जानकारी का प्रचार – प्रसार। • रेलवे तथा सड़क में बने हुए छोटे पुल–पुलिया के स्थल पर हो रहे जल जमाव की त्वरित निकासी की व्यवस्था।	• संभावित बाढ़ के संबंध में जारी निर्देशिका के आलोक में पूर्व तैयारी सुनिश्चित करना। • अन्य बांध, नहरों, नालों, तलाबों आदि पर अतिक्रमण हटाना, इनकी साफ–सफाई करना तथा समय से पूर्व इनकी मरम्मति करा लेना। • बाढ़ प्रबंधन कैलेन्डर का निर्माण। • वर्षा ऋतु में नदियों के जलश्राव निगरानी हेतु ''रिवर गेज'' की स्थापना, दैनिक जलश्राव निगरानी तथा बाढ़ का पूर्वानुमान। • आपदा पूर्व चेतावनी प्रसारित करने हेतु सूचना तंत्र का विकास एवं नियोजन। • संभावित बाढ़ के दौरान इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक निर्माण सामग्रीयों का चिह्नित स्थलों पर भंडारण।

		निम्नांकित स्थल संवेदनशील है जिसका स्थायी मरम्मतीकरण अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है– (जल्ला हरेरामपुर, लालगंज–भगत टोला, गोविन्दपुर से भोलामारी एवं हरदेव टोला से खट्टी टोला तक।) • **संभावित जल जमाव वाले क्षेत्रों में जल निस्सरण योजनाओं का निरूपन एवं निर्माण।**		
2	**भूमि सुधार एवं राजस्व**			• हेली पैड स्थल की अवस्थिति तय करना। • शरण स्थल का चयन।
3	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	• ''फ्लड प्लेन जोनिग'' करने के उपरांत नदियों के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण एवं लोगों को बसने से रोकने के लिए समुचित अधिनियम बनाना एवं लागू करना। • समस्त स्थानीय नावों का परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन। • जिला का सम्बन्धित विभागों के सहयोग से प्रकोप, नाजुकता तथा जोखिम मानचित्र तैयार कराना।	• बाढ़ ग्रस्त जोन में प्राथमिकता के आधार पर आयरन रिमूवल उँचे हैण्ड पम्प, उँचे शौचालय, स्नानघर, मानव एवं पशु हेतु सभी आधारभूत सुविधाओं से सुसज्जित उँचे शरण स्थल का निर्माण। • जिला आपदा प्रबंधन योजना में बाढ़ से जुड़े शमनीकरण तथा न्यूनीकरण कार्य योजना का अनुश्रवण। • पंचायत स्तर पर की जा रही न्यूनीकरण की गतिविधियों का अनुश्रवण करना। पंचायतीराज प्रतिनिधियों तथा बाढ़ राहत बचाव प्रशिक्षण। • जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र को लेवल 3 डिजास्टर को ध्यान में रखते वर्तमान सुविधाओं से लैश करते हुए स्थापित करना– रिवर वाटर लेवल डिस्प्ले बोर्ड, लैण्ड लाइन टेलीफोन, समस्त आवश्यक मानचित्र तथा कम्प्यूटर एवं हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा। • बाढ़ प्रवण पंचायतों की सूची तैयार करना। ग्राम पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर बाढ़ जोखिम विश्लेषण। बाढ़ प्रवण पंचायतों की अपनी बाढ़ प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं अनुमोदन	• बाढ़ आपदा प्रबंधन को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु विभिन्न स्तरों पर हितभागियों का प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं का आयोजन। • बाढ़ राहत प्रकोष्ठ का गठन एवं सदस्यों को आवश्यक जानकारी से अवगत कराना। • बाढ़ पूर्व तैयारी से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया का संचालन।

4.	**शिक्षा**	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक संख्या–SSA/Media/1010 दिनांक–07.07.2022 के द्वाराः– • मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम को स्कूल स्तर पर आयोजन करना। • आपदा प्रवण क्षेत्रों में आपदा कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास कराना। • आपदा के परिप्रेक्ष्य में स्कूल/विद्यालय का वार्षिक सुरक्षा आडिट कराना तथा आपदाओं को दृष्टिगत रखते हुए उस हेतु संवेदनशीलता सूची तैयार करने के साथ–साथ मानचित्र तैयार करना। • ''स्कूल आपदा प्रबंधन योजना'' निर्माण करना तथा समय–समय पर अद्तनीकरण हेतु स्कूल मैनेजमेण्ट कमेटी को प्रोत्साहित करना। • क्षेत्रीय आपदाओं को ध्यान में रखते हए विकास योजनाओं का निर्माण। • आपदा के दौरान मिली सीख को भविष्य की योजना में समाहित करना। • नये विकास कार्यक्रमों को भी डी.आर.आर. से जोड़ना। बाढ़ प्रवण पंचायतों में: • बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का निर्माण बाढ़ ग्रस्त जमीन पर नहीं कराना।	जिला कार्यक्रम अधिकारी, कटिहार के पत्रांक संख्या–SSA/Media/1010 दिनांक–07.07.2022 के द्वाराः– • मनरेगा योजना से जुड़ाव कर बाढ़ आपदा प्रभावित क्षेत्र से पहले से बने विद्यालयों को ऊँचा करना। उक्त का प्राविधान मनरेगा योजना से जुड़ाव स्थापित कर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में विद्यालय तक जाने वाले पहुँच मार्गों को ऊँचा व पक्का करना। • प्रशासन के सहयोग से कुछ छात्रों/शिक्षकों को प्रशिक्षित कर स्वयं सेवक के रूप में आपदा के समय काम करने वाली टीम के रूप में गठन करना चाहिए • यह सुनिश्चित करना कि दूर संचार के समस्त माध्यम सुचारू ढ़ंग से काम कर रहे हैं और आगे भी कार्य करने की स्थिति में है। • बाढ़/जल–जमाव वाले क्षेत्र में स्कूल भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करना। • रिलीफ व रेस्क्यू टीम की मदद करना। • रिकवरी योजनाओं को लागू करने में सहयोग करना। • क्षति आकलन व रिकवरी पैकेज का विश्लेषण करने में सहयोग करना। • जिला में जल्द से जल्द सामान्य शिक्षा की बहाली सुनिश्चित करना। • बच्चों/शिक्षकों को उपयुक्त मनोवैज्ञानिक मदद सुनिश्चित कराना। • बाढ़ आपदा में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों व पहुंच मार्गों का बाढ़रोधी तकनीक से मरम्मत/पुनर्निर्माण कराना। • सभी स्कूलों द्वारा अपने पाठ्यक्रमों में बाढ़	जिला कार्यक्रम अधिकारी, कटिहार के पत्रांक संख्या–SSA/Media/1010 दिनांक–07.07.2022 के द्वाराः– • जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्रत्येक स्तर के विशेषकर प्राइमरी एवं जूनियर विद्यालयों की सूची तैयार करना तथा मानचित्र पर उनकी अवस्थिति दर्शाना। • सभी स्कूलों में स्कूल आपदा प्रबंधन योजना एवं स्कूल आपदा प्रबंधन कमेटी का गठन अनिवार्य रूप से करना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में स्कूल में स्थित जलस्रोतों (चापाकल या टोटी) का ऊँचीकरण तथा जल संक्रमण हेतु प्रावधान सुनिश्चित करना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के विद्यालयों में लाइफसेविंग जैकेट तथा इसी प्रकार की अन्य सामग्रियों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • आपदा सम्भाव्य क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों, विद्यालय के संसाधनों, वहा के स्टाफ व उनके सम्पर्क नं0 की सूची को पहले से ही तैयार करना ताकि आपदा के समय उनसे सम्पर्क करने में परेशानी न हो। • बाढ़ प्रभावित घरों के बच्चों के लिए पुस्तक एवं पोशाक की पुनः व्यवस्था सुनिश्चित करना। • बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ कैलेण्डर के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में नियमित रूप से मौसम के पूर्व बड़े पैमाने पर आपदा प्रबंधन की तैयारी एवं पूर्व अभ्यास कराना। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल भवनों को चिन्हित कर रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापको का प्रतिनियोजन।

			आपदा एवं उससे बचाव सम्बन्धी जानकारियां शामिल करना। • **बाढ़ प्रवण पंचायतों में :** ➢ सुरक्षित तैराकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा इस हेतु विद्यालयों में तैराक सह प्रशिक्षक तैयार करना। ➢ विद्यालयों में बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। ➢ बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ जनित बीमारियों से बचाव हेतु छात्र–छात्राओं को जानकारी देना। ➢ जन – जागरूकता द्वारा निशेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना जैसे बाढ़ के पानी के प्रयोग से बचना, बच्चों को बाढ़ के पानी के पास नहीं जाने देना, बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना तथा विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को भी उपर्युक्त रोकथाम गतिविधियों के अनुपालन पर बल देना।	• विद्यालय में आपदा से सबंधित विभिन्न प्रकार के दलों का गठन करना, जैसे – प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण–स्थल निगरानी दल, बाढ़ प्रत्युत्तर दल तथा इनके नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।
5	**ग्रामीण अभियंत्रण संगठन**		सड़क एवं अन्य निर्माण कार्यों में बाढ़ आपदा प्रबंधन को समेकित ढ़ंग से शामिल करना।	बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी
6	**सड़क निर्माण विभाग**	कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, कटिहार के द्वारा दिनांक–13.07.2022 को प्रस्तुत योजनानुसार– • आपदाओं विशेषकर मानसून से पूर्व क्षेत्रों के क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना सुनिश्चित करना। • आवागमन व्यवस्था जल्द से जल्द सुचारू करने के लिए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत करना।	• क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत के लिए नियोजन व बजट की व्यवस्था करना। • सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कर आम जनमानस को जीवन रक्षा के सन्दर्भ एवं यातायात के नियम पर जागरूक करना। • बाढ़ के दौरान लिंक रोड के क्षति की जानकारी प्राप्त करना तथा अर्ली रिकवरी हेतु योजना के	• BSDRN वेबसाइट के अनुसार विभाग में संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा आई0आर0डी0एन0 वेबसाइट को अपडेट किया जाना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य सरलता से संचालित करने हेतु विभिन्न सुरक्षित

		• मुख्य सड़क में बने दरार (Breaches) एवं सड़क के गड्ढ़े की भराई सुनिश्चित करना। • सड़कों पर दुर्घटना बाहुल्य (Black spot) क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना एवं सचेतक बोर्ड स्थापित करना। • क्षतिग्रस्त सड़को की त्वरित स्थानीय संसाधनों के माध्यम से मरम्मत सुनिश्चित करना।	क्रियान्वयन पर कार्रवाई सम्पादन सुनिश्चित करना। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/प्रस्तावित सड़क पुर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी सड़क बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना।	वैकल्पिक रास्तों की पहचान करना तथा इसका मानचित्र तैयार करना। • निजी व्यक्तियों/वेण्डरों के साथ समन्वयन बैठक कर उनके पास उपलब्ध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का मानचित्रण करना। • आवश्यक स्थलों पर 'कलवर्ट' का निर्माण कर यातायात चालु करवाना।
7	**स्वास्थ्य**	• विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण करना। • टी.वी., रेडियो, समाचार एवं अन्य प्रचार माध्यमों से जन–समुदाय को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करना। • सर्पदंश के प्राथमिक उपचार पर समुदाय में व्यापक जन–जागरूकता का आयोजन।	• पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ.आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का वितरण एवं भंडारण। • चलन्त चिकित्सा केन्द्र के माध्यम से बाढ़ पीडितों को चिकित्सा उपलब्ध कराना। • आपूर्ति की जा रही दवा एवं खाद्य पदार्थ के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। • प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस के साथ–साथ चिकित्सकों का नियोजन। • एन०डी०एम०ए० द्वारा विकसित की गयी इमरजेंसी हॉस्पिटल मैनेजमेण्ट मार्गदर्शिका का अनुपालन करते हुए जिला स्तर पर योजना तैयार करना। • ग्राम स्तर पर प्राथमिक उपचार दल का गठन एवं नियमित प्रशिक्षण।	• स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड कीट तैयार रखना। • बाढ़ प्रवण इलाकों में सुरक्षित खानपान तथा स्वच्छता के संबंध में स्थानीय नर्सों तथा आशा कार्यकर्त्ता के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना। • पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ. आर.एस. पैकेट, हैलोजन की गोली, ब्लिचिंग पावडर इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण। • विभिन्न बीमारियों से जुड़े टीके लगाने की पूर्व तैयारी रखना। • आशा कार्यकर्ता/ए.एन.एम. का प्रशिक्षण ताकि, राहत शिविर में संभावित प्रसव कार्य सुरक्षित एवं सुगम हो।
8	**खाद्य एवं आपूर्त्ति**	जिला आपूर्ति अधिकारी के द्वारा दिनांक–07.07.2022 को प्रेषित पत्रानुसार– सभी गोदामों में अनाज हेतु एस0एफ0सी0 द्वारा आवश्यक व्यवस्था किया जाना।	• नये गोदामों का निर्माण ऊँचे स्थान पर किया जा रहा है। • सभी गोदामों में प्रति माह आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	• नवीन गोदामों, विभाग से संबंधित निर्मित होने वाले भवनों आदि को ऊँचे एवं सुरक्षित स्थानों पर निर्माण हेतु संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करना। • बाढ़ आपदा की दृष्टि से विभाग के पास उपलब्ध संसाधनों का ऑकलन कर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार आवश्यक मात्रा में अनाज खरीद सुनिश्चित करना। (शासनादेश संख्या–1/प्र0अ0–16/2012/4095/आ0 प्र0, दिनांक–14.11.2024)

				• यह सुनिश्चित करना कि सभी गोदाम, कार्यालय बाढ़ आपदा से बचाव हेतु ऊँचे स्थानों पर स्थित हों। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में बाढ़ से पूर्व बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान का भण्डारण कर लेना । • बाढ़ ग्रस्त इलाकों तक वैकल्पिक पहुँच पथ की जानकारी एकत्र कर नक्शे पर अंकित करना।
9	पंचायती राज	• पंचायत के विकास कार्यो में आपदा प्रबंधन को समाहित करना। • सिंचाई विभाग से समन्वय स्थापित कर सिंचाई के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण। • समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम आपदा प्रबंधन कमेटी को सक्रिय करना। • समस्त ग्राम पंचायत ग्राम आपदा प्रबंधन योजना तैयार करवाना।	• बाढ़ आपदा के दौरान समुदाय को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु डूब क्षेत्र में पड़ने वाले हैण्डपम्पों को चिन्हित कर सम्बन्धित विभाग के सहयोग से हैण्डपम्पों का ऊँचीकरण करवाना। • सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आपदा के दौरान उपयोग करने हेतु महिला एवं पुरूषों के लिए अलग–अलग सामुदायिक शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • बाढ़ को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन योजना बनाना। • समुदाय को बाढ़ आपदा प्रबंधन की प्रशिक्षण देकर जागरूक करना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में निर्माणाधीन/ प्रस्तावित मकान पूर्णतः बाढ़रोधी बने इस पर जोर देना। बाढ़रोधी मकान बनाने हेतु समुदाय में जागरूकता के कार्य करना। • बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में जन–मानस के बचाव हेतु 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौडा उँचे प्लेटफार्म का निर्माण जहाँ सामुदायिक कीचेन, पानी का संसाधन, शौचालय एवं स्नानघर एवं सामुदायिक कूड़ेदान का प्रावधान सहित।
10	कृषि	• तीव्र वर्षा के कारण होने वाले मृदा अपरदन से बचाव के लिए ऊँचाई के अनुसार जुताई, मेड़बन्दी, मेड़ों पर पौधरोपण, पशुचारा में काम आने वाले पौधों का रोपण किया जाना सुनिश्चित करना। • फसल बीमा एवं गृहवाटिका को प्रोत्साहन।	• नहर प्रणाली से सिंचाई सुनिश्चित करना। • बाढ़ प्रभावित क्षेत्र/जल बहाव व आंधी तूफान क्षेत्र में जकड़ा एवं गहरी मजबूत मूसला जड़ वाले फसलों व बाग–बागीचों को बढ़ावा देना। • कम लागत की खेती के लिए विभिन्न विधाओं जैसे समय एवं स्थान प्रबंधन, मिश्रित खेती, बीज संरक्षण, बहुस्तरीय खेती तथा कम्पोस्टिंग आदि तकनीक को बढ़ावा देना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों के लिए वैकल्पिक कृषि से संबंधित SOP तैयार करना। • क्षेत्रों में जहाँ जल जमाव की संभावना हो वहाँ जल सह पौधों जैसे धैचा, ईख आदि फसलों की खेती के लिए किसानों को प्रेरित करना। • अधिकाधिक क्षेत्रों में गरमा फसल उगाने को प्रेरित करना। • अत्यधिक नमी तथा कम समय में उगने वाले चारे व फसल के बीज का भण्डारण। • धान की वह प्रजाति जिसके पानी में कुछ

				दिन डुबे रहने पर भी उत्पादन में कमी नहीं होती है, का प्रचार–प्रसार एवं प्रत्यक्षण करना तथा बाढ़ प्रवण खेतों में इसे उगाने पर बल देना।
11	जिला पशुपालन कार्यालय	• सभी पशुओं को खुरपका व मुंहपका तथा अन्य रोगों से संबंधित टीकाकरण को सुनिश्चित करना। • पशु चिकित्सक एवं सहायकों को बाढ़ में होने वाले पशुरोग एवं रोकथाम का प्रशिक्षण देना। • पशुधन की बाढ़ से सुरक्षा हेतु लोगों में जागरूकता अभियान चलाना।	• पशु बीमा को प्रोत्साहन। • बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में मवेशियों के बचाव हेतु 200 फीट लम्बा एवं 100 फीट चौडा ऊँचे प्लेटफार्म का निर्माण जहाँ चारा भण्डारण, पानी का संसाधन तथा गोबर इकट्ठा करने का प्रावधान सहित।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में चारे का पर्याप्त भण्डारण करना। • पशुओं के लिए पशु शरण–स्थल चिन्हित करना। • मत्स्य पालन क्षेत्र में चारो तरफ से ऊँची जाली लगाकर घेर देना, ताकि मछली के बाहर बह जाने से रोका जा सके।
12	परिवहन		• नाव परिचालन से संबंधित अधिनियम को सख्ती से लागू कराना। • राज्य प्राधिकरण द्वारा नाविकों को प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान का संचालन करना।	• बाढ़ प्रवण पंचायतों में नियोजन हेतु पर्याप्त संख्या में नाव तथा नाविकों का सूचिकरण ।
13	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	•	• शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/ क्लोरीन की टिकिया की आपूर्त्ति एवं इसके उपयोग विधि की जानकारी लोगों को कराना। • प्रभावित क्षेत्रों में काफी संख्या में चापाकलों लगाना तथा मरम्मति के कार्य करना।	• शुद्ध पेयजल हेतु हैलोजन की टिकिया/ क्लोरीन की टिकिया की आपूर्त्ति एवं समुचित भंडारण।
14	एस.डी.आर.एफ./एन.डी. आर.एफ. एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कटिहार		• प्रशिक्षण एवं जन–जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।	• नागरिक सुरक्षा दल का गठन। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में गठित प्रत्युत्तर दलों का प्रशिक्षण। • मॉकड्रिल का आयोजन करना। • बाढ़ प्रवण पंचायतों में समुदाय का प्रशिक्षण।
15	केन्द्रीय जल आयोग/ मौसम विभाग	समय–समय पर मौसम का जानकारी देना		• बाढ़ पूर्वानुमान की सूचना सार्वजनिक तौर पर संप्रेषित करना।

2. गर्मी–लू/शीतलहर/ ठनका

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	**(क) गर्मी–लू** • स्कूल/कॉलेज तथा सरकारी/गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। • बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिर्वतन करना। गंभीर लू की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। • मनरेगा के कार्य तथा अन्य निर्माण कार्यों में ग्रीष्म कालीन कार्य अवधि निर्धारित करना। **(ख) शीतलहर** • बच्चों के विद्यालय के खुलने एवं बन्द होने के समय में परिर्वतन करना। गंभीर शीतलहर की स्थिति में विद्यालय बंद रखने का निर्देश देना। **(ग) ठनका –** • ऊँचे भवनों में तड़ित चालक लगाना एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी गाइड लाइन को आम जनमानस को जागरूक करना।	**(क) गर्मी–लू** • बाजार/रेलवे स्टेशन/बस अड्डा इत्यादि जगहों पर प्याउ की व्यवस्था। **निम्नांकित सुझाव का व्यापक प्रचार–प्रसार–** • यदि बाहर निकलना आवश्यक ही हो तो खाली पेट कभी नहीं निकले। • पानी पी कर एवं सिर को पूरी तरह ढ़क कर निकले। • गर्म हवा से हमेशा अपने को बचा कर रखें। • पीने का पानी लेकर चले तथा निर्जलीकरण से बचें। • फेसमास्क का प्रयोग जरूर करें। **(ख) शीतलहर** • शरीर को बाहरी स्त्रोतों से गर्म रखना, धूप खिलने पर धूप का सेवन। • सार्वजनिक स्थल पर सोने वाले गृह विहीन लोग तथा रैन बसेरा, टमटम पड़ाव, रिक्शा पड़ाव, मुसाफिरखाना, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि के निकट कमजोर वर्ग के लोगों के लिए अलाव जलाने की व्यस्था करना। • खुले आकाश के नीचे रात्रि विश्राम करने वाले गृह विहिन एवं कमजोर वर्ग के लोगों को बिछाने व ओढ़ने के लिए कम्बल उपलब्ध कराना।	**(क) गर्मी–लू** • मौसम पूर्वानुमान की घोषणा का संज्ञान लेना। • पहनने के सूती कपड़ों का यथा संभव उपयोग तथा गर्म एवं ताजा खाना खाने हेतु जागरूकता अभियान चलाना। **(ख) शीतलहर** • अलाव की व्यवस्था रखना। • जाड़े से बचाव हेतु गर्म कपड़ों की व्यवस्था करना। • शीतलहर के प्रभाव एवं उपायों तथा उपबन्धो की जानकारी से लोगों को अवगत कराना। • मरीजों के लिए आश्रय स्थल की व्यवस्था करना। **(ग) ठनका –** वज्रपात से बचने हेतु क्या करें और क्या न करें से संबंधित सुझाव प्रचारित करना।

			(ग) ठनका – • ठनका की आंशका वाले मौसम में ऊँचे वृक्ष, बिजली का खम्भा, टावर इत्यादि के नीचे शरण लेने से रोकना। • ठनका की संभावना के मद्देनजर मोबाईल अथवा बिजली के उपकरण के प्रयोग से परहेज की सलाह देना। • घर के खिड़की दरवाजे एवं वृक्ष के बीच धातु के तार जोड़ रखने से मना करना। • ठनका की आशंका वाले मौसम में नदी/नहर/तालाब से बाहर रहने की सलाह देना।	

3. अग्निकाण्ड

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	जिला प्रशासन/ **जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना। • रोकथाम की कार्रवाई के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार करना।	• अगलगी से बचाव हेतु जागरूकता अभियान चलाने, दूरदर्शन एंव रेडियो से जिला स्तर से सुझाव/सलाह का प्रसारण कराना तथा बिहार गृह रक्षावाहिनी का मुख्यालय पटना के पत्रांक 1042 दिनांक 02.03.2016 का अनुपालन सुनिश्चित करना। • अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़ी एक चेक लिस्ट तैयार करना। • इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना।	• आपात्कालीन संचालन केन्द्र को आधुनिक संचार संसाधनों से युक्त करना। • अग्नि से संबंधित जोखिम एवं कारणों का विश्लेषण करना तथा संबंधित हितधारक के दायित्वों से जुड़े एक चेक लिस्ट तैयार करना। • इस चेक लिस्ट के आधार पर गाँवों का मूल्यांकन कर इसे अग्नि आपदा संभावित गाँव घोषित कर कार्रवाई करना। • अग्नि से जुड़ी तकनीकों एवं बचाव उपायों से संबंधित क्षमता निर्माण– पंचायत प्रतिनिधियों, विभिन्न विभागों के ग्रामीण स्तरीय कर्मी, स्वयंसेवकों तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का, अग्नि सुरक्षा सप्ताह मनाने जैसे गतिविधियों का नियमित आयोजन करना।

				• अग्नि सुरक्षा से जुड़ा चरणबद्ध कार्यक्रम बनाना।
2	**अग्निशमन सेवा**		• बहुमंजली इमारतो एवं कार्यालयों में अग्निशमन की पूर्ण व्यवस्था से युक्त नक्शे के आधार पर हीं निर्माण की अनुमति देना। • जिले में महत्वपूर्ण भवनों का अग्निशमन योजना तैयार करना तथा समय–समय पर इसे मॉकड्रिल के माध्यम से प्रशिक्षण करना। • अग्निशमन कर्मियों के नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करना। • लोंगो के लिए अग्नि से बचाव हेतु जन जागरूकता के कार्य करना।	• जिला, अनुमंडल एवं थाना स्तर पर स्थापित अग्निशमन केन्द्र के टेलीफोन तथा मोबाईल नं॰, सार्वजनिक करना। • अपने अग्निशमन वाहन को आवश्यक सामग्री से हर दम लैश रखना एवं प्रशिक्षित अग्निशमन कर्मियों को हमेशा तैयार रखना। • अग्नि प्रवण क्षेत्र के सड़कों का अद्यतन नक्शा रखना, उनसे पूरी तरह परिचित होना तथा उनका नियमित अवलोकन करना। • अग्निशमन के आधुनिकतम यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
3	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण**	• ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना में प्रत्येक 2 कि॰मी॰ पर हाईड्रेन्ट निर्माण संबंधी राज्य सरकार का संकल्प कारगर हो। (पत्रांक 6554 दिनाक 24.12.2015 राज्य अग्निशमन पदाधिकारी–सह–निदेशक)	• प्रति 2 कि॰मी॰ पर एक हाईड्रेन्ट को क्रियाशील रखना। संबंधित राज्यादेश खंड–2 के अनुलग्नक–54 पर संधारित है। • पर्याप्त संख्या में बड़े व्यास वाले नलकूप निर्माण की योजना बनाना।	• नलकूप में अग्निशमन के लिए बनी गाड़ियों में जल भरने की युक्ति को लगाना।
4	**शिक्षा विभाग**	• विद्यालयों के भवनों में अग्नि सुरक्षा के प्रबन्ध करना।		• सभी विद्यालयों में अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • सामुदायिक जागरूकता के अन्य कार्य करना।
5	**भवन निर्माण विभाग**	• बिहार फायर रूल्स 2014 का अनुपालन। • राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड 2005 में अग्नि सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अनुपालन। • विभिन्न प्रकार के अस्पतालों, बैंको, रक्त अधिकोषों तथा संवेदनशील कार्यालयों के भवनो को अग्निरोधी बनाने युक्त नक्शे के आधार पर ही निर्माण की अनुमति देना।	• अग्निकांडों से सबक लेकर सुरक्षा संबंधी निदेशों में समय–समय पर आवश्यक सुधार करना।	• भवन निर्माण में अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों का प्रयोग एवं भंडारण को हतोत्साहित करना।
6	**पंचायती राज विभाग**	• आहर पोखर, पईन के पहुँच पथ को चौड़ा करते हुए अतिक्रमण मुक्त करना। • अग्नि सह मकान बनाने की तकनीक को अपनी	• ग्रामीण भवनों/झोपड़ियों के निर्माण में अग्निशमन तकनीक के प्रयोग पर ध्यान देना। झोपड़ियों के निचले हिस्से तथा दीपक	• गाँवों के भवन/झोपड़ियों के निर्माण के बीच स्थान जरूर हो ताकि वहाँ तक अग्नि की स्थिति में पहुँच आसान हो सके।

		पंचायत की भावी योजना में समाहित करना। • अग्नि से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन।	रखने की जगह पर मिट्टी लेपन करना। • गर्मी के महीनों में अग्निकांड से बचाव हेतु खाना बनाने के समय में बदलाव। सार्वजनिक कार्यों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा अन्य बातों पर पंचायत द्वारा ग्रामीणों को सचेत करना।	• गाँवों में पोखरे, आहर, पईन, ताल तलैया, कुएँ आदि जल स्त्रोतों को बनायें रखना, उनकी उड़ाही करा कर तैयार रखना। • अग्नि से संबंधित जन जागरूकता के कार्य चलाना। • ग्राम स्तर पर अग्निशमन सामग्री यथा जलस्त्रोत, पंपिग सेट, हौस पाईप, नोजल, लंबी सीढ़ी आदि की उपलब्धता को सूचिबद्ध करना।
7	**नगर निगम कटिहार**		• अग्निकाण्ड से बचाव के विभिन्न उपायों को दीवारों पर जन जागरूकता हेतु पेटिंग/पोस्टर आदि बनवाना/लगाना। • वैसे भवनों के निर्माण का नक्शा पारित करना जो पर्याप्त या निर्धारित चौड़ाई वाली सड़को पर हो ताकि अग्निशमन वाहन वहाँ पहुँच सके।	• घनी आबादी के बीच गुजरने वाली सड़कों को अतिक्रमण मुक्त रखना। • विभिन्न जगहों पर बड़े व्यास वाले नलकूपों को लगाना।
8	**स्वास्थ्य विभाग**			• अस्पतालों की सूची, उपलब्ध चिकित्सा सुविधा का विवरण तथा सभी पहुँच पथ की जानकारी स्थानीय अग्निशमन कार्यालय/थाना को उपलब्ध कराना। • प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडल तथा सदर अस्पतालों में विशिष्ट सुविधा युक्त ''बर्न यूनिट'' की स्थापना । • एम्बुलेंस की व्यवस्था दुरूस्त रखना।
9	**पशुपालन**			• पालतू पशुओं को अग्निकांड से सुरक्षित रखने के लिए ग्रामीणों को जागरूक करना। • अग्निकांड से पीड़ित पशुओं के लिए दवाई आदि का समूचित भंडारण करना।

4. चक्रवाती तूफान/आँधी/ओलावृष्टि : –

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	2	3	4	5
1	**विद्युत विभाग**	• विद्युतीय संरचनाओ के समीप के वृक्ष की टहनी की कटायी–छंटायी करना। • विद्युतीय दुर्घटनाओ से होने वाली क्षति अथवा रोकथाम हेतु सामान्य समय एवं आपदा के समय जनता के सहयोग के लिये जागरूकता अभियान संचालित करना।	• वितरण संयत्रो की शीघ्रतम मरम्मत कर विद्युत आपूर्ति को शीघ्रता से चालू करने की योजना, जिससे महत्वपूर्ण संस्थान यथा अस्पताल, स्कूल, टेलिविजन केन्द्र, जल आपूर्ति, दूरसंचार, प्रशासनिक संस्थान इत्यादि कार्यरत रह सके। • आवश्यकतानुसार बिजली तड़ित चालक को स्थापित करना।	• समस्त अंचलों के जर्जर एवं झुलते तार को बदलना तथा उनका सुदृढ़ीकरण करना। • हाईड्रोलिक वाहन एवं अन्य संसाधन को किसी आकस्मिक हेतु सदैव तैयार रखना। • प्रमण्डल स्तरीय/शक्ति उपकेन्द्रो में 24X7 कार्यरत नियन्त्रण कक्ष का सतर्कता से संचालन।
2	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**		• ग्रामीण इलाकों में विशेष तरह के ढाल वाली छतें तथा बाँस वाली संरचनाओ के निर्माण कार्य में विशेष सावधानियाँ बरतने की जरूरत होगी।	• मौसम विभाग से प्राप्त चक्रवाती तूफान/ आँधी/ ओलावृष्टि संबंधी पूर्व सूचना को प्रचारित–प्रसारित तथा सभी हितभागियों को सचेत करना। • सार्वजनिक स्थलों पर मौसम पूर्वानुमान संबंधी जानकारी नियमित रूप से सार्वजनिक करते रहना। • गाँव के स्तर पर आँधी, तूफान से संबंधित जोखिम का विश्लेषण करना। विश्लेषण में गाँव के स्तर पर संवेदनशील समुदाय तथा हितभागियों को भी शामिल करना एवं सचेत करना। • सरकार द्वारा जारी advisory (सलाहकारी) का प्रचार–प्रसार करना। • ग्राम स्तर के सरकारी कर्मी, सिविल सोसायटी कर्मी आदि को प्रशिक्षित करना।
3	स्वास्थ्य विभाग			• प्रभावित इलाके के ट्रॉमा सेन्टर सहित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों को तैयार होकर 24 x7 रहने का आदेश देना। • आस–पास के सभी ब्लड बैंक जाँच केन्द्र को सतत् सतर्क रहने हेतु निर्देश देना।

5. सूखाड़

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	**कृषि विभाग**	• ड्रीप सिंचाई पद्धति को प्रोत्साहन देना। • सूखारोधी एवं कम सिंचाई वाली फसलों को लगाने को प्रोत्साहन देना। • भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु चेक डैम, जल छाजन तथा जैविक खाद बनाने हेतु योजना का निरूपण एवं क्रियान्वयन। • प्रगतिशील कृषक मंच का गठन कर इसके माध्यम से सूखा अथवा जलवायु परिवर्तन आधारित कृषि (Climate Resilitent Agriculture) को प्रोत्साहित किया जाना।	• वैकल्पिक खेती हेतु भण्डारित बीज को ससमय कृषकों के बीच पर्याप्त मात्रा में वितरित करना। • सूखे की दृष्टि से आकस्मिक फसल योजना का निर्माण। सूखा/कम वर्षा/कम जल आधारित फसल का चयन तथा उनका प्रचार–प्रसार। • कीड़ो से बचाव के उपाय करना । • चारे से जुड़ी फसलों को लगाने को प्रोत्साहित करना • चेक लिस्ट के आधार पर शमनीकरण तथा न्यूनीकरण के उपाय का निर्धारण करना तथा हितधारकों को इससे अवगत कराना। • प्रयोगशाला में किये गये अनुसंधान से विकसित तकनीकों का उपयोग खेतों में करना। • सूखे की स्थिति में कृषि डीजल अनुदान देना तथा लोन, मालगुजारी, सिंचाई एवं बिजली रकम अदा करने पर तात्कालिक रोक लगाना।	• सामान्य से कम वर्षा होने पर सूखे की आशंका बढ़ जाती हैं ऐसे समय में ऐतिहातिक कदम उठाने के लिए समय–समय पर हितधारकों को कृषि कार्य संबंधी दिशा निर्देश देने हेतु चेक लिस्ट विकसित करना। • जिला आपदा प्रबंधन योजना में सूखे से जुड़े शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन । • उत्कृष्ट जल प्रबंधन हेतु जन जागरूकता के कार्य करना। इसके लिए कैलेण्डर, बुकलेट, पोस्टर, दीवार पेन्टिंग, होर्डिंग, अखबार, रेडियो संदेश, टेलीविजन आदि को माध्यम बनाया जा सकता है। • कृषि संयंत्र, खाद, उपचारित बीज आदि का संरक्षण एवं भंडारण। • वैकल्पिक पशुचारा उत्पादन योजना का निरूपण करना। • सूखा एवं जलवायु परिवर्तन के अनुरूप विभिन्न फसलों के लिए अनुसंधान तथा कृषक प्रशिक्षण।
2	**जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण**		• सूखा टास्क फोर्स का गठन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करना। • मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सभी हितधारकों तक पहुँचाना । • फसल क्षति बीमा योजना में शामिल होने हेतु बढ़ावा देना	• ग्राम पंचायत/प्रखंड स्तर पर प्रभावित किसानों एवं ग्रामीण हितधारकों से सम्पर्क कर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहे/होने वाले जोखिम के प्रति सचेत एवं जागरूक करना। • सूखा प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन। • सूखाड़ प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर रखना।

3	**जिला पंचायती राज विभाग/ जिला परिषद्/ पंचायत समिति/ ग्राम पंचायत**	• समुदाय द्वारा उपयोग के बाद अवशिष्ट जल के पुर्नउपयोग पर बल देना।	• सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न रोजगारोंन्मुख सरकारी योजना गैर सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार सृजन, वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना।	• तालाबों, नहरों आदि की खुदाई/साफ कराना/सुरक्षित रखना। • सभी पैक्सों में वर्षा ऋतु के पहले अनाज का भंडारण करके रखना। • पर्यावरण सुरक्षा एवं हरियाली हेतु जागरूकता अभियान चलाना।
4	**जल संसाधन**	• जल वितरण नियंत्रण एवं सभी सिंचाई नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • जल संसाधन के खुले भण्डारों पर सौर उर्जा संयंत्र लगा कर यथासम्भव जल वाष्पीकरण को रोकना।	• सिंचाई नहरों के माध्यम से खेतों तक सुचारू रूप से पानी पहुँचाने के लिए जलवाहा/सिंचाई नाली की मरम्मति एवं निर्माण।	• जिले के असिंचित खेतों को सिंचित बनाने के लिए सिंचाई योजना का निरूपण। • विभिन्न सिंचाई योजनाओं के काम में तेजी लाना। • जिले में नहर प्रणाली के अंतर्गत क्षतिग्रस्त/अर्धनिर्मित/अनिर्मित नहरों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तथा उड़ाही करना। • नहरों में सिंचाई जल की उपलब्धता में कमी होने पर बारी–बारी से सभी खेतों तक आवश्यकता के अनुरूप पानी पहुँचाने की योजना बना कर रखना।
5	**लघु जल संसाधन**	• सूखा से निपटने हेतु अनवरत प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि उन्नयन योजनाएं चलायी जा रही सरकार ने शताब्दी नलकूप योजना के माध्यम से ज्यादा पटवन करने का इंतजाम किया जाना।	• वर्षा जल संरक्षण को खासकर विद्यालय/ घरेलू/सार्वजनिक स्थानों पर, प्रोत्साहित करना। • ड्रीप/स्प्रींकलर सिंचाई पद्धति अपनाने पर बल/जोर देना।	• सभी नलकूपों को ऊर्जान्वित तथा कार्यकारी बनाये रखना। • सिंचाई नहरों एवं सार्वजनिक पोखरो से गाद को हटाना।
6	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**	• स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा वातावरण की स्वच्छता सुनिश्चित करना। • हर घर नल का जल योजना का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।	• सूखाग्रस्त इलाके में पानी की खपत पर निगरानी रखना तथा टैंकर से जल आपूर्ति की व्यवस्था करना। • जल स्त्रोतों की नियमित सफाई तथा इसे संक्रमण रहित बनाना। • लाईफ लाईन भवनों यथा अस्पतालों/ विद्यालयों आदि में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति को अबाध्य बनाना।	• सभी पेयजल स्त्रोतों यथा चापाकल, नलकूप, कुआँ के डिसइन्फेक्सन की व्यवस्था करना। • ब्लिचिंग पावडर की पर्याप्त व्यवस्था रखना। • प्रति व्यक्ति कम–से–कम 40 लीटर पानी की व्यवस्था हेतु तंत्र (System) विकसित करना।
7	**पशुपालन**	• पशुओं का ससमय टीकाकरण सुनिश्चित करना।	• पशुचारा शिविर लगाकर पर्याप्त चारे की आपूर्ति।	• जानवरों के लिए सामूहिक चारा शिविर स्थल को चिन्हित करना।

			• कृषि अनुशांगिक आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने हेतु डेयरी, कुकुट पालन, पशुपालन आदि को प्रोत्साहित करना।	• मौसम विशेष की बीमारियों से बचने हेतु पशुओं का टीकाकरण।
8	समाज कल्याण **(ICDS)**	• आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ओ.आर.एस. पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	• आंगनबाड़ी के क्षेत्राधिकार में आने वाले बच्चे, गर्भवती, दुध पिलाती माता आदि के सूची को अद्यतन करना।	
9	**उर्जा**		• विद्युत की नियमित आपूर्त्ति बनाए रखना। • राजकीय नलकूप के पम्प को ऊर्जान्वित बनाये रखना।	
10	**ग्रामीण विकास**		• मनरेगा तथा राज्य सरकार द्वारा सम्पोषित सात निश्चय योजना के तहत रोजगार मुहैया कराना।	
11	**स्वास्थ्य**		• सूखे से जुड़ी कुपोषण एवं निर्जलीकरण जैसी बीमारियों की निगरानी करना। • आवश्यकतानुसार ओ.आर.एस. पैकेटों का पर्याप्त मात्रा में वितरण करना।	• स्वास्थ्य संबंधी कार्यों एवं जरूरतों का आकलन करना। • फर्स्ट एड किट तैयार रखना । • पर्याप्त मात्रा में आपात्कालीन दवाईयाँ, ओ. आर.एस. पैकेट इत्यादि का संग्रहण एवं भंडारण।
12	**मौसम विभाग**			• मौसम सम्बन्धी पूर्वानुमान की ससमय घोषणा करना तथा सम्बन्धित विभागों को इससे अवगत कराना।
13	**बैंक**		• सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। • विभिन्न ऋण देने वाली एजेन्सियों के द्वारा किसानों को आसान किस्तों पर कर्ज उपलब्ध कराने का प्रबंधन करना एवं इस आशय की लोगों को जानकारी प्रदान करना।	
14	**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण**		• सार्वजनिक वितरण तंत्र को मजबूत करना, अन्त्योदय अन्न योजना को प्रोत्साहित करना एवं उचित मूल्य की दूकानों पर निगरानी रखना।	• क्षतिग्रस्त गोदामों की मरम्मति एवं रख रखाव तथा खाद्यान्न का भंडारण करना।

6. भूकम्प

क्र0	विभाग / संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	जिला प्रशासन / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• रोकथाम, न्यूनीकरण तथा प्रत्युत्तर एवं पूर्व तैयारी के संदर्भ में निर्धारित मानकों को ग्राम पंचायत स्तर पर निर्मित योजना में शामिल हो को, सुनिश्चित करना ।	• जिला आपदा प्रबंधन योजना में भूकंप से जुड़ी शमनीकरण, न्यूनीकरण कार्य का अनुश्रवण। • प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय जोखिम न्यूनीकरण कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण। • ग्राम पंचायतों द्वारा संपादित किए जाने वाली योजनाओं में भूकम्परोधी संरचनाओं की तकनीक को शामिल कराने की पहल करना। • क्षमताबर्द्धन के कार्य–पंचायती राज प्रतिनिधियों का, स्वयंसेवकों का, लाईन विभाग के लोगों का आपदा प्रबंधन योजना (ग्राम स्तरीय) में निर्धारित कार्यों का प्रशिक्षण।	• संरचनात्मक ढाँचों के निर्माण का विश्लेषण एवं जोखिम का आकलन। • विश्लेषण के उपरान्त विभिन्न सहभागी दायित्वों का निर्धारण। • भूकम्प से संबंधित ग्राम आपदा प्रबंधन योजना निर्माण कराने की पहल। • ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न दलों का गठन किए जाने को सुनिश्चित करना। • भूकम्प से निपटने की तैयारी के मॉकड्रील का अभ्यास कराना ।
2	भवन निर्माण	• भूकंप रोधी भवन निर्माण के लिए बिहार राज्य भवन निर्माण संहिता–2014 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।	• रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग के दौरान चिन्हित कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग। • बिहार आपदा जोखित न्यूनीकरण रोड मैप के अनुरूप बाढ़, भूकंप, आग, जल संरक्षण तथा चक्रवाती तूफान को ध्यान में रख कर नये भवनों का निर्माण।	• पूर्व से निर्मित सभी सरकारी भवनों का, खास कर सभी अस्पताल, स्कूल एवं प्रशासनिक कार्यालय भवनों की भूकंप रोधी क्षमता का आकलन–रैपीड विजुअल स्क्रीनिंग द्वारा करना। • भूकंप रोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रचार–प्रसार एवं जिले में कार्यरत सभी अभियंताओं, राज–मिस्त्री, शटरिंग–मिस्त्री तथा बार–बाईंडर का प्रशिक्षण। • प्रखंडों एवं ग्राम पंचायतों में अस्थायी आश्रय स्थल की खोज
3	**नगर निगम**	• भवन निर्माण के अधिनियम के उपबंधो का अनुपालन करते हुए नक्शा पास करना। • जर्जर भवनों को चिह्नित करना तथा इसके आवासीय उपयोग पर प्रतिबंध लगाना।	• भूकंप के दृष्टिकोण से कमजोर भवनों की रेट्रो फिटिंग कराना।	• निकाय के पास उपलब्ध भारी वाहन – डोजर, डम्पर तथा क्रेन इत्यादि का समुचित मरम्मति एवं संपोषण कर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखना। • आवासीय एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्मित सड़कों को किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त रखना।

4	**स्वास्थ्य विभाग** (सिवील सर्जन एवं उनके अधीनस्थ अस्पताल एवं कार्यालय)	• भूकंप के दौरान घायल व्यक्तियों की त्वरित समुचित चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु नजदीक के ट्रॉमा सेन्टर, ऑर्थोपेडिक क्लिनिक, एम.आर.आई., एक्सरे तथा सर्जिकल सेन्टर को चिन्हित करना । • अस्पताल आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना। • अस्पतालों की ''रेट्रो फिटिंग'' का कार्य । • अस्पतालों में बड़ी तादाद में घायलों के उपचार हेतु प्रबंधन योजना तैयार करना।	• जिला स्तरीय संभावित भूकंप से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना। • एम्बुलेंस को पूरी तरह सुसज्जित कर तैयार रखना। • प्राथमिक चिकित्सकों/आशा कार्यकर्त्ता को सक्रिय एवं तैयार रखना। • इन अस्पतालों में अनिवार्य जीवन रक्षक दवाओं तथा अन्य सहायक सामग्री का पर्याप्त भण्डारण रहना।	
5	**अग्निशमन विभाग**		• खोज एवं बचाव हेतु कर्मचारियों का प्रशिक्षण। • भवनों में अग्नि सुरक्षा का ऑडिट सुनिश्चित करना।	• भूकंप के दौरान घटित अग्निकांडों से निपटने के लिए अग्निशमन संयत्रों एवं वाहनों तथा प्रशिक्षित कार्यबल को सदैव तैयार तथा तत्पर रखना।
6	**एन.डी.आर.एफ/ एस.डी.आर.एफ/रेड क्रॉस/सिविल डिफेन्स**		• मॉकड्रिल के माध्यम से जनजागरूकता एवं जन प्रशिक्षण करना। • समुदाय क्षमता निर्माण कराना तथा स्वयं भी खोज एवं बचाव के लिए तत्पर एवं तैयार रहना।	
7	**शिक्षा विभाग**	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि॰ तथा अन्य संस्थाओं द्वारा बनाये जाने वाले स्कूल भवनों का भूकंप रोधी निर्माण सुनिश्चित करना।	• विद्यालयों में प्रति वर्ष भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन। • स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजना बनाने को सुनिश्चित करना।	• राहत शिविर स्थापित करने हेतु स्कूल के खेल मैदान को चिन्हित कर के रखना तथा इन शिविरों में शरणार्थी बच्चों की पढ़ाई–लिखाई हेतु अध्यापकों का प्रतिनियोजन। • जन–जागरूकता द्वारा निषेधात्मक दायित्वों का ज्ञान कराना। प्रत्येक स्कूल में भूंकप के दौरान अपने आपको सुरक्षित करने हेतु समय–समय पर मॉकड्रिल कराना। • प्रत्येक स्कूल में भूकंप आपदा प्रत्युत्तर दल जैसे –प्राथमिक चिकित्सा दल, राहत एवं शरण स्थल निगरानी दल, आपात्कालीन अलार्म दल, निकासी दल, खोज एवं बचाव दल, इत्यादि का गठन तथा इनको नियमित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना ।

7. सड़क/रेल सुरक्षा

क्र0	विभाग/संभाग का नाम	रोकथाम के कार्य	न्यूनीकरण के कार्य	पूर्व तैयारी
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	जिला प्रशासन/ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	• Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। • हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह (9–15 जनवरी) का आयोजन। एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं की वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम आयोजित करना। • चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना/संबद्धता प्रदान करना।		• Blackspot को चिन्हित कर दुर्घटना के कारणों का निराकरण करना। • हर वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह (9–15 जनवरी) का आयोजन। एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्कूली बच्चों एवं युवाओं की वृहद भागीदारी सुनिश्चित करने के कार्यक्रम आयोजित करना। • चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना /संबद्धता प्रदान करना।
	परिवहन	• मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन। • वाहन चलाने के समय मोबाईल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाना। • परिवहन विभाग, बिहार सरकार, द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 2017 को निम्न आशय के निर्गत आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करना– ➢ गाड़ियां 80 कि॰मी॰/घंटा की अधिकतम गति से ज्यादा की नहीं होगी। ➢ सभी स्कूल बसों में उपयोग होने वाली चार पहिया गाड़ियों में 40 किलोमीटर अधिकतम गति हेतु ''गति नियंत्रक'' लगाने की बाध्यता होगी। ➢ दुपहिया, तिपहिया, अग्निशमक, पुलिस यान, एम्बूलेंस, आदि को गति नियंत्रक लगाने की बाध्यता नहीं होगी। ➢ डम्पर, टैंकर, माल वाहक या अन्य भारी वाहन को अधिकतम 60	• वाहनों की नियत समय पर फिटनेस की जाँच तथा चालकों का समय–समय पर स्वास्थ्य एवं दृष्टि दोष की जाँच कर अनुपयुक्त वाहनों एवं अस्वस्थ चालकों को प्रतिबंधित करना। • सीट बेल्ट/हेलमेट का प्रयोग निश्चित रूप से हो, इसे सुनिश्चित करना। • सड़क सुरक्षा के संबंध में जन–जागरूकता अभियान चलाना।	• सरकारी/गैर सरकारी वाहनो में प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ इसमें लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

		कि॰मी॰/घंटा का गति नियंत्रक लगाना होगा। ● परिवहन विभाग, बिहार द्वारा दिनांक 24.08. 2016 को निम्न आदेश के संदर्भ में निर्गत अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना – ➢ बढ़ती हुई सड़क दुर्घटना के दृष्टिगत रात्रिकालीन परिवहन को सुदृश्य बनाने हेतु समस्त परिवहन यानों में निर्धारित मानक एवं डिजाईन के ''रिफ्लेक्टीव टेप'' (परावर्तक टेप) लगाया जाना है। इसमें ट्रेलर भी सम्मिलित हैं। अनुलग्नक– पर संलग्न है।		

अध्याय 6– क्षमतावर्द्धन और प्रशिक्षण

(Capacity Building and Training)

6.1 संस्थागत क्षमता निर्माण

क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं एवं उनसे जुड़े लोगों को भी शामिल किया जायेगा। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इससे जुड़े पदाधिकारी, बिहार प्रशासनिक सेवा से जुड़े पदाधिकारी, अंचलाधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अन्य लाइन विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण 'बिपार्ड' में करवाया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी स्तरों यथा– अनुमंडल, जिला एवं राज्य के पदाधिकारियों को आपदा प्रबंधन के अवधारणा परिवर्तन के पश्चात् नवजनित आयामों यथा– रोकथाम, न्यूनीकरण, त्वरित रिस्पॉन्स, पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण आदि के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाय। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य की बहु–आपदा प्रवणता, आपदा प्रबंधन से संबंधित संस्थागत ढाँचों, अधिनियम नीतियों राज्य आपदा प्रबंधन योजना, बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप तथा विभिन्न आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्मित मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनका आपदा प्रबंधन हेतु उन्मुखीकरण एवं क्षमता वर्धन किया जाय। इस प्रशिक्षण से यह लाभ होगा कि आपदाओं के न्यूनीकरण एवं रेस्पॉस में गति आयेगी एवं किसी प्रकार की दुविधा की स्थिति से बचा जा सकेगा। आपदा से प्रभावित होने वाले समुदायों का बचाव, आपदा के जोखिम का न्यूनीकरण तथा आपदा पीड़ितों को ससमय साहाय्य उपलब्ध कराने में सहूलियत हो।

बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, फुलवारीशरीफ, पटना के सहयोग से विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। प्रशिक्षित बिहार प्रशासानिक सेवा, अंचलाधिकारी, बी.डी.ओ. आदि पदाधिकारियों की सूची बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) पर देखा जा सकता है।

6.1.1 विभिन्न स्तरों के सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी, पंचायती राज संस्था, नगर निकाय में कार्यरत लोग एवं सामुदायिक संगठनों को आपदा विषयक मुद्दे पर बिहार या देश के अन्य राज्यों में उनके क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण दिलाया जा सकता है। इनके अलावे नीचे स्तर के कर्मचारी यथा आंगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम., किसान सलाहकार इत्यादि भी प्रशिक्षित किये जायेंगें। क्षमतावर्द्धन संस्थागत एवं गैर संस्थागत हो सकते है। उपरोक्त के अलावे गैर संस्थागत में जिला आपदा नियंत्रण केन्द्र में मशीनी एवं यांत्रिक सुविधा बढ़ाकर संचार व्यवस्था तथा आपदा से संबंधित जानकारियाँ हासिल कर सचेत रहने में मदद पाया जा सकता है।

6.2 समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं सहित :–

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में सुरक्षित गाँव के घटक के अंतर्गत पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है और ग्राम स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है और पंचायते ही उसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इन्हीं कारणों से पंचायतों का आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण होना है और इसके रिस्पॉन्स हेतु समुदाय की सहभागिता महत्वपूर्ण है। चूँकि पंचायत के गाँवों और वार्ड सदस्यों को 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के रूप में देखा गया है इसलिए उन्हें बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक पंचायत से दस–दस युवाओं को सामुदायिक प्रशिक्षण (आपदा मित्र) के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि ये प्रशिक्षित हो कर जिले

के सभी पंचायतों में प्रशिक्षण का काम अनवरत चलाते रहेंगे। इसी प्रकार गैर सरकारी संस्थायें जो सामुदायिक स्तर पर काम करती है। उन्हें भी उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इस संबंध में बि.रा.आ.प्र.प्रा. द्वारा तैयार, ''मुखिया, सरपंच एवं अन्य प्रतिनिधियों एवं सामुदायिक सदस्यों को प्रशिक्षण की हस्त पुस्तिका'', भी उपलब्ध कराया गया है।

6.3 पेशेवर विशेषज्ञ

इस संदर्भ में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अबतक राज्य स्तरीय तथा जिला स्तरीय अभियंताओं को राज मिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण व्यापक पैमाने पर दिया गया है। सुरक्षित स्कूल, अस्पताल सुरक्षा तथा अग्नि सुरक्षा के संबंध में शिक्षकों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया है। नाविक तथा गोताखोरों का भी विशेष प्रशिक्षण किया गया है। साथ हीं प्रशिक्षित लोगों में से ही 'मास्टर ट्रेनर' तैयार किये जा रहे हैं ताकि प्रशिक्षण का काम सुचारू रूप से चलता रहे। प्रशिक्षुओं द्वारा समाज को इस विषय के प्रति जागरूकता बरतने संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त सभी पेशेवर लोगों की सूची विस्तार से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट (www.bsdma.org) पर देखी जा सकती है।

भविष्य में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक प्रखंड तथा पंचायत में उपलब्ध हितभागियों को तथा सहयोगी संस्थानों/व्यक्तियों को इस प्रकार का प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

6.4 प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सुविधा

आपदा विषय की व्यापकता को देखते हुए यह जरूरी है कि उन प्रशिक्षण संस्थाओं को चिह्नित किया जायेगा जहाँ लोगों को गुणवता पूर्ण प्रशिक्षण दिया जा सके। जिला स्वास्थ्य समिति, शिक्षा विभाग एवं कल्याण विभाग द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में आपदा संबंधित विषयों को भी शामिल किया जाये।

क्र.सं.	राज्य/जिला स्तर	राष्ट्रीय स्तर
1	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट
2	बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान	नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी
3	नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टिच्यूट (नीनी), गायघाट, पटना	नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद
4	नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एन.डी.आर. एफ.) बिहटा	इन्ड्रियन स्पेश रिसर्च ऑर्गेनाईजेशन, पूणे
5	स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, (एस.डी.आर. एफ.)	नेशनल अकादमी फॉर फायर सेफ्टी, नागपुर, महाराष्ट्र
6	जिला अग्निशमन इकाई	गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद

इस प्रबंधन योजना में पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तर के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कर्मियों के प्रशिक्षण का विषय निम्नांकित है–

6.4.1 पंचायत स्तरः

पंचायत स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पंचायत तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले वार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्षमतावर्द्धन हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के प्रस्तावित विषयः

पंचायत स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमः

क्र0	पंचायत स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) मुखिया (ख) वार्ड सदस्य (ग) सामुदायिक संगठन (घ) स्वंय सहायता समूह (ड़) सेवा निवृत आर्मी परसन, पुलिस कर्मी आदि	1. पंचायत स्तरीय खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का चित्रण। बाढ़, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, तूफान, ठनका, नाव दुर्घटना आदि पर विशेष बल। 2. पंचायत की विकास योजना में पंचायत स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 3. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए पंचायतस्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 4. खोज, बचाव, प्राथमिक चिकित्सा इत्यादि। 5. आपदा प्रबंधन के अंतगर्त पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 6. आपदारोधी भवन निर्माण एवं अगलगी की रोकथाम संबंधी मुख्य जानकारी।
02	स्कूल शिक्षक, छात्र एवं अन्य	1. शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से स्कूल सुरक्षा (भूकंप, आगजनी) एवं घरेलू आग (गैस चुल्हा, परम्परागत चुल्हा, ढिबरी, लालटेन इत्यादि से जनित) से बचाव। 2. छात्र/छात्रा को नियमित आपदा से बचाव के टिप्स तथा स्कूल सुरक्षा सप्ताह में किये जाने वाले कार्य का प्रशिक्षण। 3. सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम का संचालन। (डायरिया, निमोनिया, पेयजल एवं स्वच्छता, सर्पदंश, मस्तिष्क ज्वर आदि से बचाव की जानकारी।
03	(क) आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका (ख) आशा कार्यकर्त्ता	1. बच्चों का कुपोषण से बचाव। 2. महिलाओं का स्वास्थ्य सुरक्षा एवं एनेमिया से बचाव। 3. आपदा के दौरान कैम्प संचालन।
04	स्थानीय राज मिस्त्री/ शेटरींग मिस्त्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

6.4.2 प्रखण्ड स्तरः प्रखंड स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रखंड तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले पंचायतों के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

क्र0	प्रखण्ड स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) प्रखंड विकास पदाधिकारी (ख) अंचल अधिकारी (ग) राजस्व अधिकारी (घ) प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी (ड) प्राथमिक सहकारिता साख समिति (पैक्स) (च) कृषि सलाहकार	1. जलवायु परिवर्तन की जानकारी। 2. मौसम विज्ञान की जानकारी। 3. सूखे के आगाज की पहचान। 4. मौसमीय खेती एवं वैकल्पिक कृषि कार्य। 5. पंचायत स्तर पर वर्षापात आंकड़ा का संकलन। 6. फसल सुरक्षा/बीमा की जानकारी। 7. आपदा की दृष्टि से खेती की जाने वाली फसल की पहचान एवं प्रचार–प्रसार।
02	(क) पंचायत सचिव (ख) विकास मित्र	1. पंचायत स्तर के विभिन्न आपदीय एवं संसाधन के आंकड़े जुटाना। 2. आंकड़ों का संधारण, नजरी नक्शा/जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन एटलस का निर्माण। 3. लेखा संधारण।
03	ग्राम कचहरी/न्याय मित्र	गाँव के गरीब तबकों को आपदा से प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के साथ सहायता दिलाने संबंधित

		प्रशिक्षण।
04	स्थानीय राज मिस्त्री/ शेटरींग मिस्त्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन निर्माण का प्रशिक्षण ।

6.4.3 अनुमंडल स्तरः अनुमंडल स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमंडल तथा इसके प्रक्षेत्र में पड़ने वाले प्रखण्ड/अंचल के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

अनुमंडल स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम :

क्र0	अनुमंडल स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अनुमंडल पदाधिकारी (ख) अनुमंडल स्तरीय पदाधिकारीगण	1. पंचायत समिति की विकास योजना में प्रखंड स्तरीय आपदा प्रबंधन गतिविधियों का समायोजन। 2. आपदा प्रबंधन योजना की सफलता के लिए प्रखंड स्तरीय संवैधानिक स्थायी समितियों की उपयोगिता। 3. प्रखंड स्तरीय बहु–आपदा खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता, संसाधन (भौतिक एवं प्राकृतिक) का मानचित्रण। 4. आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पुनर्स्थापन कार्यों में मनरेगा योजना अथवा अन्य किसी रोजगारोन्मुखी योजना के साथ संबद्धता। 5. भूम्कप रोधी भवन निर्माण संबंधी मुख्य जानकारी। 6. अनुमंडल में आने वाले प्रखंडों की मजबूती एवं कमजोरियों की पहचान। 7. सभी प्रकार के प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, कम्प्यूटरीकरण एवं संधारण।
02	(क) अंचल निरीक्षक (ख) कम्प्यूटर ऑपरेटर	नक्शे एवं आंकड़ों की आवश्यकता एवं संवेदनशील जनसंख्या के पहचान के तरीके।
03	प्रखंड प्रमुख एवं पंचायत समिति सदस्य	1. प्रखंड प्रमुख एवं समिति सदस्यों को लेकर प्रखंड स्तरीय स्थायी समितियों का गठन एवं इसका दायित्व। 2. पंचायतों के आंकड़ों को प्रखंड स्तर पर समेकित कराना (योजना की दृष्टि से)।
04	अभियंता/स्थानीय संवेदक/स्थानीय राज मिस्त्री/शेटरींग मिस्त्री/मेठ	भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।

6.4.4 जिला स्तरः जिला स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला स्तर पर कार्यरत सभी लाईन विभाग के पदाधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया जाएगा।

जिला स्तरीय क्षमतावर्द्धन कार्यक्रमः

क्र0	जिला स्तर के हितधारक	प्रशिक्षण का विषय
01	(क) अपर समाहर्त्ता (ख) वरीय उप समाहर्त्ता (ग) सभी लाइन विभाग	1. आपदा प्रबंधन अधिनियम–2005 एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का दायित्व एवं अधिकार। 2. इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम। 3. आपदा प्रबंधन के विभिन्न आयाम – बहु–आपदा, खतरा, जोखिम, संवेदनशीलता एवं क्षमता विश्लेषण। (HRVCA) 4. आपदा पूर्व तैयारी शमन, न्यूनीकरण, क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण के विषय। 5. संचार माध्यम। 6. राज्य एवं केन्द्रस्तरीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं

		एन.डी.आर.एफ. / एस.डी.आर.एफ., पड़ोसी जिले आदि के साथ समन्वय। 7. नाव परिचालन रूल्स, बिल्डिंग बायलॉज, फॉयर सेफटी रूल्स, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आदि के संबंध में।
02	अभियंता / स्थानीय संवेदक तथा सभी अभियंता लाईन विभाग के / राज मिस्त्री / शेटरींग मिस्त्री / मेठ एवं जिला स्तरीय संवेदक	भूकंप रोधी भवन–निर्माण तकनीक एवं बिल्डिंग वायलॉज।
	नगर निगम एवं नगर पंचायत	
03	(क) मेयर (ख) नगर आयुक्त (ग) कार्यपालक पदा० (घ) सिटी मैनेजर (ड) वार्ड पार्षद	1. बिल्डिंग बायलॉज। 2. नगर योजना। 3. आपदा प्रबंधन। 4. अग्नि सुरक्षा। 5. भीड़ प्रबंधन। 6. अवशिष्ट प्रबंधन। 7. भूकंप रोधी भवन–निर्माण का प्रशिक्षण।
04	कम्प्यूटर प्रशिक्षण (सभी स्तर पर प्रभारी अधिकारी द्वारा चयनित कर्मी)	सभी स्तरों के तथ्यों को संग्रहित करना तथा उपयुक्त जगहों पर प्रेषण प्रक्रिया का प्रशिक्षण।

नोट :– प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक स्तर पर तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप बदला जा सकता है।

6.5 जागरूकता

जागरूकता अभियान के द्वारा आपदा प्रबंधन के विभिन्न सहभागियों, समुदाय सहित को चिन्हित आपदा के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील बनाया जा सकता है। इस माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण बहुत सुलभ तरीके से संभव है। बिहार के संदर्भ में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्रों एवं शिक्षकों को विभिन्न आपदाओं के प्रति जागरूक बनाते हुए आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य बहुत व्यापक तरीके से किया गया है। जागरूकता अभियान विभिन्न आपदा के लिए तैयार आई०ई०सी० सामग्री, नुक्कड़ नाटक, विद्यार्थियों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता, अखबार, होर्डिंग, पैम्पलेट, इंटरनेट, वाट्सएप, रेडियो, चलचित्र आदि के माध्यम से चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य जोखिम यथा सड़क सुरक्षा, डूबने की घटना, अग्नि, शीतलहर, लू आदि से बचाव हेतु समय–समय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने लाईन विभाग के सहयोग से विभिन्न जागरूकता अभियान (एडवाईजरी) जारी करेंगे।

अध्याय 7– प्रत्युत्तर योजना
(Response Planning)

आपदा की शुरूआत होने पर इससे निबटने के लिए एक प्रभावी प्रत्युत्तर योजना का उपलब्ध रहना अत्यंत हितकारी तथा श्रेयस्कर होगा। इस प्रत्युत्तर योजना में ठोस प्रत्युत्तर के संभावित उपाय, क्रियाविधि, सहायक उपस्करो, प्रशिक्षित कर्मियों तथा समन्वित प्रयासो का, जो वास्तविकता के धरातल पर सफलता प्रदान करने वाले हो, स्पष्ट उल्लेख रहना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्युत्तरदाता संगठन के दायित्व तथा भूमिका का भी इस योजना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आपदा की पूर्व सूचना तथा इसकी तीव्रता तथा विस्तार का अनुमान होते ही आपदा मोचन तंत्र स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करे एवं पूर्व निर्धारित भूमिका अदा करने में सक्षम हो जाय, यह सुनिश्चित करना भी उतना ही जरूरी है। आपदा मोचन योजना में जिले में जिन आपदाओं की आशंका प्रबल हो उन सभी आपदाओं के लिए आपदावार सभी आवश्यक गतिविधियों तथा उनके प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पुनर्वापसी के समय का निर्धारण भी किया गया है ताकि कोई चूक न हो जाये।

7.1 प्रत्युत्तर प्रक्रिया

आपदा प्रत्युत्तर से सम्बन्धित कार्यों के संचालन की पूर्ण जबावदेही जिले के जिलाधिकारी को दी गई है। जिलाधिकारी हीं आपदा के नियंत्रण अधिकारी के रूप में कार्यरत होते है। घटना/हादसा से जुड़ी कोई भी गतिविधि वगैर जिलाधिकारी के पूर्वानुमति के आरम्भ नहीं किया जा सकता तथा समापन के उपरान्त मानव बल एवं सामग्री की सलामती की सूचना जिलाधिकारी अर्थात घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी को देकर ही घटना/हादसा क्षेत्र से बाहर जाना होता है।

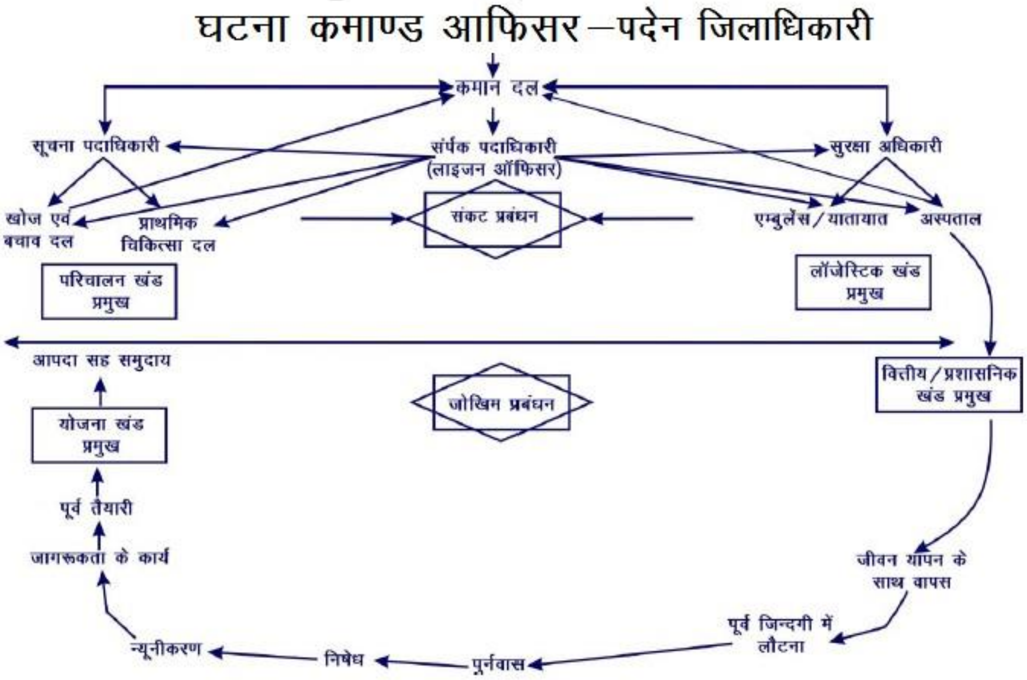

आवश्यकता के अनुरूप, यदि जिलाधिकारी जरूरी समझे तो, उनके द्वारा किसी वरीय समाहर्त्ता को हादसा कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। यदि जिले में आपदा कई जगह हो गयी है तो जिलाधिकारी जिले की गंभीरतम तथा सबसे ज्यादा क्षति वाले हादसा स्थल के कमान अधिकारी होंगे, जबकि अन्य वरीय समाहर्त्ता को दूसरे हादसा स्थल का कमान अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है।

7.1.1 घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी की भूमिका एवं उत्तरदायित्वः

- आपदा के दौरान अबाधित संचार प्रणाली एवं संचार प्रवाह को बनाये रखना तथा उसके एकीकरण की व्यवस्था को भी सुनिश्चित रखना,
- आपदा के सम्पूर्ण परिदृश्य को सामने रखते हुए, इसका पूर्ण प्रबंधन करना, सहयोगी एवं सहभागी इकाईयों के एकीकृत एवं समन्वित योजना का नियंत्रण करना एवं प्रतिवेदन की तैयारी,
- विभिन्न हितधारक विभागों/एजेन्सियों को वो चाहे जिला, राज्य या केन्द्र स्तर के ही क्यों न हो निर्धारित प्रोटोकॉल एवं मानक प्रक्रिया के अंतर्गत उन सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराना ताकि वे अपने कार्यों का निष्पादन सुविधानुरूप कर पाए,
- आपदाओं के दौरान सूचना तंत्र जिसके अंतर्गत सूचनाओं का आदान–प्रदान शामिल है को इस प्रकार दुरूस्त और नियमित रखना ताकि सभी प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त किया जा सके उन्हें रिकार्ड के तौर पर सुरक्षित रखा जा सके तथा इसके आधार पर स्वीकृति पत्र दिया जा सके,
- आपदा के दौरान खोज एवं बचाव दल को बुलाते हुए उनसे उनके प्रतिनियुक्ति एवं कार्य प्रगति पर सूचना प्राप्त करना,
- राहत शिविर एवं आश्रय स्थल के सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखना तथा समयानुसार दिशानिर्देश जारी करना,
- आपातकाल के दौरान समुदाय के प्रभावित लोगों के बीच उपलब्ध राहत सामग्रियों के वितरण हेतु प्रबंधन इस प्रकार करना ताकि जरूरतमन्दो तक यह सामग्री पहुँच जाए,
- आपदा के दौरान सभी प्रकार के सम्पादित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा आपदा के उपरांत भी सम्पन्न हुए कार्यों का अनुश्रवण करना तथा इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार रखना,
- घटना/हादसा कमाण्ड अधिकारी को स्थिति का जायजा लेने हेतु, आपदा प्रभावित क्षेत्र का आकलन करना/स्थिति की गंभीरता का अनुमान लगाना,
- प्रभावित क्षेत्र में जोखिम का भी पूर्वानुमान करना तथा प्रभावित होने वाले समुदाय को सूचित करना/संदेश देना,
- आपदाओं के वक्त समुदाय के लिए किए जाने वाली आवश्यक कार्यों की सूची बनाना ताकि आपदाओं का शमन पुरी तरह किया जा सके,
- आपदाओं के प्रत्युत्तर हेतु पर्याप्त आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु आदेश देना तथा उपरोक्त सूची संबंधी सूचना उपयुक्त एजेन्सी/व्यक्तियों को देना ताकि प्रत्युत्तर कारवाई की जा सके,
- तात्कालिक कार्ययोजना का निर्धारण कर आवश्यक तंत्रों को समुचित निर्देश देना,
- एक प्रारम्भिक तात्कालिक कोर कमिटी बनाना,
- आपदा शमन हेतु जो लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन प्रत्युत्तर योजनाओं का निर्धारण हुआ वह किस सीमा तक अपने उद्देश्यों में सफल रहा की समीक्षा, सुधार, बदलाव तथा आवश्यकतानुसार इसे जिले की कार्ययोजना में शामिल करना, एवं
- प्रत्युत्तर के कार्य समापन के उपरांत सभी संलग्न एजेन्सियों से कार्य समाप्ति एवं सलामती का संदेश प्राप्त कर कार्य समापन की अनुमति को स्वीकृति प्रदान करना।

7.1.2 जिले में हितधारक एवं इनकी कार्ययोजनाः हितधारकों को उनके कार्य के अनुसार तीन श्रेणीयों में रखा जा सकता है–सरकारी, सामुदायिक, निजी तथा स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन।

1. **सरकारी लाईन डिपार्टमेंटः** जिले के लिए निर्धारित सरकारी लाईन डिपार्टमेंट की इकाई जिले में है। जिले में कई योजनाएँ चलायी जाती है। ये योजनाएँ केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की होती है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के अन्तर्गत बनायी गयी पुस्तिकाओं में सभी सरकारी हितधारकों की कार्ययोजनाओं तथा दायित्वों को दर्शाया गया है, ये सरकारी हितधारक/सभी विभाग जिला प्रशासन के प्रति उत्तरदायी बनाए गए हैं।

2. **समुदाय आधारित समूहः** समुदाय का सीधा संबंध ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न टोलों या गाँव में बसे लोगों तथा शहरी क्षेत्रों में विभिन्न मुहल्लों में बसे लोगों से होता है। सामुदायिक समूह इस प्रकार ग्राम पंचायत के प्रति जबावदेह होते हैं जो सीधे जनता के प्रति जबावदेह होते हैं। चुँकि, ग्राम पंचायतें, पंचायत समिति से होती हुई जिला परिषद से जुड़ी होती है जो त्रिस्तरीय एकीकृत प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में स्थापित शहरी निकायों के प्रतिनिधि आपदा की रोकथाम के विभिन्न चरणों में सहयोगी हो सकते हैं।

3. **स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठनः** विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी हितधारक/स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिले के लोगों के आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक जीवन में उत्थान के लिए लगी हुई है। यह एजेन्सियाँ ग्राम पंचायत से लेकर समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों यथा शहरी/ग्रामीण, विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के हितों के प्रति सचेत रह कर क्रियाशील होती है। ऐसे कई ग्रुप, जो इस जिले में कार्यरत तो हैं, किन्तु अपने इण्टर समूह ग्रुप से एकीकृत नहीं है तथा सीधे जिले के सम्पर्क में है।

   व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व निर्माण में उपर वर्णित हितधारक अहम भूमिका निभाते हैं। उनके जीवन की गुणवता, उनकी गरिमाएँ उनका सामाजीकरण, राजनीतिकरण, आर्थिक विकास में काफी बदलाव आ जाता है। चुंकि सामाजिक आर्थिक घटकों को इसके अन्दर शामिल करने के फलस्वरूप संवेदनशीलता में कमी आती है, इस कारण भी सारे के सारे हितधारकों का जुड़ाव जोखिम न्यूनीकरण से स्वतः हो जाता है।

   आपदा से निपटने वाले लोगों का ऐसे समूहों से जुड़ाव होता है। जुड़ाव इस कारण हो जाता है क्योंकि ऐसे हितधारक समूह लोगों की क्षमता वृद्धि में ऐसे लोगों का प्रयोग करते है, अतः वे इनके सम्पर्क में होते हैं। इनसे आपदा न्यूनीकरण के साथ–साथ आपदा प्रत्युत्तर में भी मदद ली जा सकती है।

   ये हितधारक एजेन्सियाँ, आपदा प्रत्युत्तर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्स्थापन का प्रयास करती है। अतः उनके कार्यों की भी व्याख्या यहाँ की जाती है। हितधारक एजेन्सियों के लिए दिशा निर्देशिका है। यदि ये हितधारक चाहे तो इससे आगे जाकर भी काम कर सकते है, वहीं और वृहद विकास की योजनाएँ तैयार कर सकते है। वे चाहे तो तत्काल मौजूद आपदा प्रबंधन योजना अपनी जरूरत को ध्यान में रख कर बना सकते हैं।

   हितधारकों से अपेक्षा की जाती है कि उनके लिए निर्धारित आदेश के आलोक में वे अपनी कार्ययोजना बनाएँ तथा इसे समुदाय हित में लागू की जाए। जिला आपदा प्रबंधन मार्गनिर्देशिका सर्वसुलभ होनी चाहिए ताकि इसका सार्थक उपयोग हो सके। ऐसा करना इस लिए आवश्यक है क्योंकि समय अंतराल में नये हितधारक जिले में आते रहते है।

7.2 आपदा की स्थिति में सामान्य कार्य

उपरोक्त कथन के आलोक में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिये किसी भी आपदा में किए जाने वाले सामान्य कार्य निम्नवत् हो सकते है :–

- पूर्व चेतावनी मिलने पर/आपदा प्रभावित समुदाय से प्राप्त सूचना की स्थिति में जिला के इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा आपदा की तीव्रता का आकलन किया जायेगा। यदि स्थिति असामान्य है तो इससे विभिन्न विभागों एवं सामान्य लोगो को अवगत कराया जायेगा।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा प्रत्युत्तर कार्य हेतु आपदा संचालन मानक प्रक्रिया सक्रिय कर नियमित रूप से 24 घंटे कार्य करने वाले आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय किया जायेगा। इसके लिए तीन शिफ्ट में कार्य करने के लिए कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी।
- आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आपदा से संबंधित उसकी गंभीरता, स्थान, परिभाग आदि के संबंध में सूचना प्रसारित करेगा तथा संबंधित विभागों को इसकी जानकारी देगा। संबंधित विभाग का भी यह दायित्व होगा कि वह इस आशय की सूचना स्वयं से प्रयास कर आपात्कालीन संचालन केन्द्र से प्राप्त कर लें।
- यदि ऐसा प्रतीत हो कि आपदा की स्थिति अत्यधिक गंभीर है तो इससे संबंधित जानकारी प्रतिदिन दो बार से ज्यादा भी ली जा सकती है।
- यदि आपदा का संबंध पड़ोसी जिले/राज्य से है तो वहाँ से इस संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सम्पुष्ट कर लिया जायेगा।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा जिला आपदा प्रबंधन समिति (डी॰डी॰एम॰सी॰), आपात्कालीन समर्थक कार्य (इ॰एस॰एफ॰) में लगी टीम के प्रतिनिधि, आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (इ॰ओ॰सी॰) के अधिकारियों की संयुक्त बैठक बुलाकर स्थिति की गंभीरता की समीक्षा, अद्यतन स्थिति तथा आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी।
- आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में इंसिडेन्ट कमाण्ड दल और संबंधित अधिकारियों को तैयार रहने के लिए सचेत कर दिया जायेगा।
- प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन दल आपदा से प्रभावित होने वाले क्षेत्र में पूर्व सूचना, सलाह तथा चेतावनी का प्रचार–प्रसार करेंगे ताकि समुदाय मानसिक तौर पर तैयार हो सके।
- इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा खतरे की गंभीरता की समीक्षा करते हुए तत्काल आपात्कालीन परिचालन केन्द्र (ई॰ओ॰सी॰), आपदा प्रबंधन दल, प्रथम प्रत्युत्तर दल तथा आपात्कालीन सेवा कार्य आदि को सक्रिय कर दिया जायेगा।
- सभी प्रकार की आपदाओं में आपदा विशेष से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप राहत, खोज एवं बचाव कार्य, Slow Onset तथा Fast Onset दोनों प्रकार की आपदाओं में प्रारंभ किया जायेगा। Slow Onset में आपदा की शुरूआत (यथा सूखा, कीट संक्रमण, रोग महामारी आदि) धीमी गति से होता है परंतु उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। Fast Onset में आपदा (यथा फ्लैश फ्लड, भूकंप आदि) का आगमन अचानक होता है और उसमें तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है।
- **इंसिडेन्ट कमांडर द्वारा सूचना प्राप्त कर संतुष्ट हो लेने के बाद आपदा के तत्काल प्रत्युत्तर हेतु सक्षम एजेन्सियों/विभागों को सक्रिय किया जायेगा। इसके अंतर्गत –**
    - आपात्कालीन संचालन केन्द्र, राहत दल को तुरंत सक्रिय करना। समुदाय स्तर के राहत दल को तुरंत ही सक्रिय करना साथ ही ग्राम पंचायत को सक्रिय करना।
    - आपात्कालीन संचालन केन्द्र के दूरभाष एवं प्रभारी के दूरभाष की संख्या बताते हुए स्थानीय आपदा संबंधी सूचनाओं का संवाद शुरू करना ताकि प्रत्युत्तर बेहतर हो सके।
    - आपात्कालीन संचालन केन्द्र से सूचनाओं की जानकारी एवं निर्देश प्राप्त करना तथा इस क्रम में आपदा प्रबंधन टीम से भी समन्वय एवं संवाद बनाए रखना।
    - सूचनाओं का प्रवाह नीचे से ऊपर तक के पदाधिकारियों तक बनाए रखना।
    - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र द्वारा संयुक्त रूप से सभी सूचनाओं की प्राप्ति के बाद विश्लेषण करना तथा तय करना कि आपदा, ग्राम, प्रखण्ड, अनुमंडल या जिला स्तर का है। इससे आपदा की गंभीरता का आकलन हो पाएगा।

- **आपदा की गंभीरता एवं स्तर के निर्धारण के उपरातः**
    - प्रभावित अंचल के अंचलाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं आपात्कालीन संचालन केन्द्र के नियमित सम्पर्क में रहेंगे तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से समन्वय बनाते हुए प्रत्युत्तर के कार्य करेंगे।
    - यदि आपदा की प्रभावकता जिला स्तर की होगी तो :– जिला के वरीय उप समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन प्रभारी को आपदा प्रत्युत्तर के समन्वय की जबाबदेही होगी। प्रभारी दण्डाधिकारी, आपात्कालीन संचालन केन्द्र, आदि को समन्वित कर कार्य करेंगे।
- इस मौके पर एक संयुक्त समन्वय बैठक बुलाना जिसमें जिला इंटर एजेन्सी ग्रुप के सदस्य (यदि हो तो) तथा अनिवार्य सेवा कार्य दल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक आपदा प्रभावित इलाके में हो तो ज्यादा बेहतर होगा। इसमें जिले में कार्यरत इंटर एजेन्सी ग्रुप के लोग भी शामिल किए जायेंगे ताकि जमीनी हकीकत का पता चल सके। आवश्यकता पड़ने पर प्रान्तीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से आवश्यक संसाधन प्राप्त करने हेतु संपर्क किया जायेगा।
- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के बाहर की एजेन्सियों से प्राप्त होने वाली सहायता के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा तथा बाहर से वैसी ही राहत सामाग्रियाँ प्राप्त की जायेंगी जिनकी जरूरत महसूस हो। इन सामग्रियों का आवश्यकतानुरूप विवरण तैयार कर योजनाबद्ध वितरण एवं आपूर्त्ति की जायेगी।
- सभी आपदा सहायतार्थ इच्छुक एजेंसियां उस जिले के आपदा से संबंधित जरूरत की चीजों की जानकारी जिला प्रशासन से प्राप्त करेंगी तथा उसी अनुरूप सहायतार्थ सामान इस कार्य हेतु चिह्नित पदाधिकारी को सौंपेगी।

- **प्रत्युत्तर कार्यों का अनुश्रवण :**
    - इस बात की नियमित निगरानी करना कि समाज के दुर्बलतम समूह तक सहयोगी संस्थाओं की नजर जरूर हो तथा वे राहत सहायता से वंचित न रह जाए। यह भी सुनिश्चित करना कि प्रत्युत्तर कार्य सही दिशा में चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इंटर एजेन्सी समूह तथा अन्य हितधारकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों का मिलान एवं विश्लेषण कर इसका अभिलेख तैयार करेगा ताकि भविष्य में इसमें हुई खामियों को दूर किया जा सके।
    - कार्यक्रम का कार्यान्वयन, समय पालन तथा संसाधन का नियमित अनुश्रवण किया जाना।
    - हितधारी समूह, प्रभावित लोगों, प्रखण्ड पदाधिकारी आदि से सम्पर्क एवं परामर्श कर आपदा से संबंधित प्रत्युत्तर कार्य को बदलती हुई आपदा परिस्थिति के अनुरूप समन्वय करना।
    - प्रभावित समुदाय में किए गए कार्यों के दौरान अनुभवों को संग्रहित करना तथा उन्हें संयुक्त आकलन प्रपत्र में अंकित करना।
    - अनुश्रवण से प्राप्त प्रतिवेदन, अनुश्रवण के परिणाम, मूल्यांकन आदि के संबंध में सभी जानकारियाँ, सभी हितधारकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिए। इसे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वेबसाईट पर भी डाला जाना चाहिए ताकि परिणाम सार्थक हो।

7.3 प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक

सामान्यतः सभी आपदाओं के प्रत्युत्तर योजना के मुख्य घटक निम्नांकित होंगे :–

1. संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System)।
2. कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination)।
3. खोज, बचाव, राहत कार्य (Search, Rescue & Relief operation)।
4. चिकित्सीय प्रत्युत्तर (Medical Response)।
5. शव तथा मलवा का निपटान (Disposal of Dead Bodies & Debris)।

6. क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages and Losses)।
7. रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) ।
8. राहत शिविरों का संचालन (Relief Camp Operations)।
9. सहयोग एवं दान प्रबंधन (Donation Management)।
10. मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination)।

आपदाओं के दौरान प्रत्युत्तर कार्य के उपरोक्त सभी प्रमुख घटकों का उद्देश्य, उसके अंतर्गत आने वाली गतिविधि संचालन का दायित्व तथा उसको प्रारंभ करने, जारी रखने तथा पूरा करने में व्यतीत होने वाले समय की विवेचना नीचे की सारणी में विस्तार से दर्शाया गया है।

7.3.1 संचार एवं पूर्व चेतना प्रणाली (Communication & Early Warning System) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेंसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
➢ जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ➢ जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र/राज्य आपात्कालीन केन्द्र ➢ जिला पदाधिकारी के समन्वय से संबंधित विभाग। ➢ दूरसंचार निगम, ➢ आकाशवाणी, ➢ दूरदर्शन, ➢ पुलिस वायरलेस, ➢ हैम रेडियो, ➢ एच.एफ./भी.एच.एफ. ➢ मोबाईल सेवा प्रदाता/दूरभाष	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि, चक्रवात, भीड़– भगदड़, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	➢ आपदा की पूर्व सूचना का संज्ञान लेना तथा चेतावनी प्रसारित करना। ➢ संचार सुविधा की स्थापना तथा प्रबंधन। ➢ अस्थाई संचार की आवश्यकता के साथ समन्वय। ➢ मौसम विभाग से संपर्क।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्त होने के बाद यथाशीघ्र (आपदा घटित होने या टल जाने तक)।
	बाढ़	• बाढ़ आने की सूचना आम जन तक पहुँचाना। • तटबंधों के टूटने की सूचना राज्य सरकार को देना। • क्षतिग्रस्त संपर्क पथों को यथासंभव यथाशीघ्र चलायमान बनाने का कार्य। • बाढ़ के कारण ठप पड़ी विद्युत एंव दूरसंचार व्यवस्था का पुनर्स्थापन। • वर्ग एवं समूह चिह्नित करना जिनके माध्यमों से चेतावनी पहुँचाना है।	
• अग्निशमन सेवा • पुलिस • पंचायत	अग्नि	अग्निकांड में बचाव में लगे लोग तथा अन्य को जानकारी हासिल कराना तथा पूर्व की तैयारी हेतु बुनियादी काम हेतु	

		प्रयत्न करना।	
आपदा प्रबंधन विभाग/कृषि विभाग	सूखा	मानसून तथा मौसम संबंधी जानकारी।	

7.3.2 कार्यो का निदेशन तथा समन्वय (Operational Direction and Co-ordination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन, चक्रवात, आँधी, ओलावृष्टि, सड़क, रेल, नाव दुर्घटना	• आपात्कालीन संचालन केन्द्र को सक्रिय करना (24X7 कार्य करने वाले)। • जिला आपात्कालीन सेवा कार्य तथा आपात्कालीन संचालन केन्द्र के अधिकारियों/ नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आपदा की गंभीरता की समीक्षोपरान्त आवश्यक दिशा निर्देश देना। • आपदा से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया को सक्रिय करना। • नियंत्रण एवं समन्वय स्थापित करना।	आपदा की पूर्व सूचना प्राप्ति से प्रत्युत्तर कार्य जारी रहने तक।
अंचलाधिकारी, जिला के वरीय पदाधिकारी। • जिला पदाधिकारी के अनुरोध पर आपदा प्रबंधन विभाग। • जिलाधिकारी के अधियाचना तथा आपदा प्रबंधन विभाग/गृह विभाग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/गृह मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा। • राहत अनुश्रवण सह निगरानी समिति।	बाढ़	• हवाई सर्वेक्षण, फुड पैकेट गिराना, खोज एवं बचाव तथा निष्क्रमण हेतु एयरफोर्स का हवाई जहाज/ हेलीकॉप्टर की माँग। • हेलीकॉप्टर से फुड पैकेट बाढ़ पीड़ितों तक पहुँचाने की कार्रवाई का समन्वय एवं अनुश्रवण। • बाढ़ आपदा के संबंध में मिडिया में प्रकाशित खबरों का सघन अनुश्रवण तथा सत्यापन के उपरांत कार्रवाई। • राहत एवं बचाव कार्यो का जिला/प्रखंड/नगर/पंचायत स्तरीय बाढ़ राहत अनुश्रवण सह निगरानी। • बाढ़ की गंभीरता का आकलन। • बाढ़ क्षति का प्रारंभिक आकलन। • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। • सेना की माँग।	
	भूकंप	• भूकंप की गंभीरता का आकलन। • भूकंप क्षति का प्रारंभिक आकलन। • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल/राज्य आपदा मोचन दल की माँग। • सेना की माँग।	
• जिलाधिकारी। • पुलिस।	अग्नि	• भीषण अग्निकांड की स्थिति में जिलाधिकारी द्वारा स्वयं पहुँचकर	

		सहाय्य कार्य को निदेशित करना। • कंट्रोल रूम को चालू रखना। • अग्नि स्थल को घेरकर रखना तथा जाम एवं भीड़ को दूर रखना। • डिवाईडर वाली सड़कों पर, एक हिस्से से अप एवं डाउन गाड़ी को निर्बाध (unhindered) जारी रखना तथा दूसरे हिस्से से एम्बुलेंस एवं अधिकारियों के गाड़ी को तेज गति बनाये रखने की सुविधा देना।	
• जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण /जिला टास्क फोर्स/जिला कृषि कार्यालय • आपदा प्रबंधन विभाग	सूखा	• अनुश्रवण। • सूखा राहत कार्यों में व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र।	

7.3.3 खोज, बचाव, राहत कार्य (Search & Rescue Operation) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन, • अंचलाधिकारी, • अग्निशमन दल, • नागरिक सुरक्षा समिति, • पुलिस, • होमगार्ड • राज्य आपदा मोचन दल, • राष्ट्रीय आपदा मोचन दल, • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, • स्वयंसेवी संगठन	भूकंप, बाढ़, अग्नि, डुबान, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• खोज एवं निष्क्रमण करने की पूर्व योजनानुसार सभी उपकरणों के साथ निष्क्रमण दल की आपदा प्रभावित स्थल की ओर रवाना करना। • खतरों के बीच घिर गये व्यक्ति, समुदाय संपत्ति को खतरे के दायरे से बाहर निकालने का प्रयास करना। बच्चों, बुढ़ों, महिलाओं, दिव्यागों को प्राथमिकता प्रदान करना। सुरक्षित राहत शिविरों तक पहुँचाना। • जिनका निष्क्रमण संभव न हो उनकी जीवन रक्षा के लिए भोजन, पानी, दवा इत्यादि पहुँचाने की व्यवस्था करना। • अस्थाई राहत शिविरों की स्थापना। राहत शिविरों में रहने खाने, पीने का पानी तथा अन्य जीवन रक्षक सुविधा मुहैया कराना। • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नाव का नियोजन, नाव परिचालन पर नियंत्रण (बाढ़ आपदा के दौरान नाव–नाविकों को नियोजित करने संबंधी दिशा निर्देश (देखें परिवहन विभाग का वेबसाईट)	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक। (राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के प्रतिनियोजन संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया खंड–2 के अनुलग्नक 17 पर अंकित है।)

		• बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों से आबादी का निष्क्रमण राहत शिविरों तक स्थानान्तरण। राहत केन्द्रों का संचालन एवं प्रबंधन (खण्ड–2 में राहत केन्द्रों का संचालन के लिए राज्यादेश अनुलग्नक–38 पर संलग्न)। • बाढ़ पीड़ितों के बीच मुफ्त खाद्यान्न एवं नगद अनुदान के साथ आवश्यकतानुसार सूखा राशन, पॉलीथीन शीट का वितरण। खण्ड–2 में (विभागीय निदेश अनुलग्नक–39 पर संलग्न) • राहत शिविरों में अस्थाई शौचालय तथा शुद्ध पेयजल का प्रबंध। • तटबंधों के रिसाव या टूट से प्रभावित होने वाली आबादी का तुरंत निष्क्रमण तथा सुरक्षित स्थान पर स्थानान्तरण।	
• अपर समाहर्त्ता (आपदा प्रबंधन) • एस॰डी॰ओ॰ / अंचलाधिकारी • फायर ब्रिगेड	अग्नि	• राहत एवं बचाव कार्य में संलग्न होना। • मृतक एवं घायलों को अनुदान प्रदान करना। • अग्निकांड स्थल पर पहुँचना, राहत एवं बचाव कार्य। • सहायता केन्द्र स्थापित करना। • क्षतिग्रस्त संपत्ति की सूची बनाना। • अग्निशमन दल तथा उससे संबंधित लोग एवं पदाधिकारी का शीघ्र पहुँचना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।
• कृषि विभाग • आपदा प्रबंधन विभाग / कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • वित्त विभाग / कृषि विभाग • सहकारिता विभाग • पशु एवं मतस्य संसाधन विभाग • समाज कल्याण विभाग • शिक्षा विभाग / खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग • ग्रामीण विकास विभाग	सूखा	• आकस्मिक फसल योजना का युद्धस्तर पर क्रियान्वयन। • फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान वितरण। • सिचांई हेतु डीजल अनुदान देना। • फसल बीमा से आच्छादित फसलों के लिए बीमा लाभ भुगतान। • किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को ऋण का वितरण। • बैंक ऋणों का पुनर्निधारण। • पशु संसाधन की देखभाल • सामाजिक सुरक्षा • मध्याहन भोजन की व्यवस्था	

• आपदा प्रबंधन विभाग		• रोजगार सृजन। • मुफ्त सहायता।	

7.3.4 चिकित्सा प्रत्युत्तर (Medical Response) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला स्वास्थ्य समिति, • रेड क्रास सोसाईटी, • निजी नर्सिंग होम, • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशुपालन पदाधिकारी	भूकंप, बाढ़, अग्नि, सड़क, रेल दुर्घटना, पानी में डुबने, नाव दुर्घटना, भीड़–भगदड़	• चिकित्सा कर्मियों तथा पारामेडिकल कर्मियों को आवश्यक उपकरणों, मोबाईल चिकित्सा वाहन तथा दवा के साथ राहत शिविरों में नियोजन। • घायलों, बीमारों की चिकित्सा तथा गंभीर रूप से घायलों को एबुलेंस से बड़े अस्पतालों में स्थानान्तरित करना। • महामारी की रोकथाम के लिए स्वच्छता एवं सफाई तथा टीकाकरण की व्यवस्था करना। • नजदीकी ब्लड बैंक/ब्लड डोनर से संपर्क कर खून की कमी वाले घायलों की प्राण रक्षा की व्यवस्था करना।	आपदा घटित होने के तुंरत बाद से आपदा की समाप्ति तक।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं मोबाईल मेडिकल टीम।	बाढ़, भूकंप	• महिलाओं की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की देखभाल हेतु आयरन की गोली, सेनेटरी नैपकीन का वितरण, कुआँ/चापाकल में हैलोजन गोली डालने का कार्य, साँप काटने की चिकित्सा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना। • जल जनित रोग से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा एवं टीकाकरण। • गर्भवती माताओं/धातृ महिलाओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के साथ शरणस्थल/राहत शिविरों में प्रसव होने की स्थिति में जच्चा–बच्चा का स्वास्थ्य परीक्षण, नवजात शिशु का टीकाकरण, धातृ महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था।	
सिविल सर्जन	अग्नि	• चिकित्सक के दल को संदेश देकर तैयार रखना। • अस्पताल में शय्या उपलब्ध कराना।	
• स्वास्थ्य विभाग • समाज कल्याण विभाग/स्वास्थ्य विभाग	सूखा	• स्वास्थ्य सेवाएँ। • महामारी की रोकथाम। • महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल।	

7.3.5 शव एवं मलवा निपटान (Disposial of Dead Bodies & Debris) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला पुलिस • जिला पशु एवं मतस्य संसाधन पदाधिकारी।	बाढ़, भूकंप	• शवों का फोटो रखना। • मृत व्यक्तियों की पहचान कर संबंधियों को सौंपना। पहचान न होने पर जिम्मेदार कर्मी के देखरेख में धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं का पालन करते हुए शव का निपटान। • आपदा के कारण मृत पशुओं के शवों का निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार निपटान। (विभागीय निदेश खंड–2 में अनुलग्नक–167 पर संलग्न)	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।
• नगर निकाय • ग्राम पंचायत • पुलिस प्रशासन • रेड क्रॉस सोसाईटी • स्वयंसेवी संगठन • जिला पशु एवं मत्स्य संसाधन पदाधिकारी	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	आपदा से क्षतिग्रस्त मकान सड़क पुल–पुलिया, जमा ठोस तरल अपशिष्ट का निपटान।	शव के खोज समाप्ति तथा मलवा निपटान होने तक।

7.3.6 क्षति एवं हानि का आकलन एवं भरपाई (Assessing & Compensating Damages & Losses) :–

उत्तरदायी विभाग / एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • जिला स्वास्थ्य समिति (मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी) • जिला पुलिस बल • भवन निर्माण संभाग • पथ निर्माण संभाग • जल संसाधन प्रमंडल • लघु जल संसाधन प्रमंडल • पावर होल्डिंग कम्पनी • पशु पालन संभाग • कृषि विभाग • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना व आदि	• आपदा के कारण मृत / घायलों की सूची तैयार करना। • क्षतिग्रस्त मकानों की सूची तथा क्षति का ब्योरा संकलन। • क्षतिग्रस्त सड़क, पुल– पुलिया, नहर बाँध का ब्योरा संकलित करना। • क्षतिग्रस्त विद्युत संचार संरचना का विवरण संकलित करना। • पशुधन क्षति / फसल क्षति का ब्योरा एकत्रित करना। • तटबंधो में रिसाव व टूट की आकलन एवं मरम्मति। • बाढ़ से क्षतिग्रस्त चापाकलों की मरम्मति। • कृषि क्षति का आकलन करना। • मृतकों के आश्रितों को सरकार द्वारा	स्थिति सामान्य होने तथा विश्लेषण के उपरांत।

		निर्धारित मानदर के अनुसार अनुदान का वितरण। (विभागीय निदेश खंड–2 में अनुलग्नक–36 पर देखें)	

7.3.7 रसद व्यवस्था (Logistic Arrangement) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिला प्रशासन • खाद्य एंव आपूर्ति संभाग • अंचल/प्रखंड कार्यालय • स्वयंसेवी संगठन • लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल • फायर ब्रिगेड • सिविल सर्जन	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना एवं आदि	• राहत शिविरों में तथा खतरों से घिरे लोगों तक रसद पहुँचाने के लिए प्र्याप्त मात्रा में रसद–पानी का संग्रहण करना। • राहत शिविरों में सामुदायिक रसोई की स्थापना तथा भोजन पकाने एवं वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करना। • राहत शिविरों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराना। • अग्निशमन गाड़ियाँ चालू हालत में रखना। • अग्निशमन दल में प्रशिक्षित कर्मी का होना। • अग्निकांड स्थल पर एम्बुलेन्स भेजना	• सामान्य स्थिति बहाल होने तक। • अनिवार्यता का आकलन करने के पश्चात्।

7.3.8 राहत कार्य (Relief Work) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• जिलाधिकारी • आपदा प्रबंधन प्रभाग • जिला आपदा संचालन केन्द्र • गृह/पुलिस • आपूर्ति संभाग • सहकारिता संभाग • रेड क्रॉस सोसाईटी • नागरिक सुरक्षा • जिला नागरिक परिषद् • एन.सी.सी./स्काउट गाईड • स्वंयसेवी संस्थाएँ (प्रशासन से आज्ञा लेकर)	**बड़े आपदाओं की स्थिति में जब राहत शिविर लगाने की जरूरत है।**	• स्थल पर राहत शिविर लगाना • निम्नांकित केन्द्रों का निर्माण– ○ राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र ○ सामग्रियों का पैकेजिंग केन्द्र ○ राहत सामग्री पैकेटों का सुरक्षित भंडारण एवं वितरण केन्द्र ○ स्वयंसेवक आवासन केन्द्र • राहत सामग्री संकलन केन्द्र पर प्राप्ति रसीद की व्यवस्था कर रखना। • राहत सामग्री प्राप्ति केन्द्र में मानक के अनुरूप सामग्रियाँ प्राप्त करना। • पैकेट/बंडल की तैयारी कराना तथा इन्हें भंडारित करना। • राहत सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई और किसे ये सामग्रियाँ दी गयी, इस बात	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

		का दस्तावेज तैयार कर रखना। • वितरण एवं अन्य कार्यों में स्वयंसेवकों को लगाना तथा उनकी आधारभूत जरूरतों यथा भोजन एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना।	
• जिलाधिकारी • विकास आयुक्त • अंचल/प्रखंड कार्यालय • शिक्षा संभाग • कल्याण विभाग (आई.सी.डी.एस.)	भूकंप, बाढ़, अग्नि दुर्घटना।	• राहत शिविरो में आपदा प्रभावित लोगों के पहुँचने पर उनका विवरण रजिस्टर में संधारित करना। • सहाय्य सामाग्रियों का भंडारण पंजीकरण, पैकेट निर्माण तथा वितरण सुव्यस्थित ढंग से करना। • स्थिति सामान्य होने पर राहत शिविरों में रह रहे लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचने की व्यवस्था करना। • महिलाओं, वृद्ध तथा बच्चों को चिह्नित करना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

7.3.10 मिडिया एवं सूचना प्रसारण (Media & Information Dessemination) :–

उत्तरदायी विभाग/एजेसी	आपदा का प्रकार	मुख्य गतिविधियाँ	पूर्ण करने का समय
1	2	3	4
• सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय • मिडिया–प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक • सोशल मिडिया (जिला व्हाट्स एप ग्रुप • एन.सी.सी./नहेरू युवा केन्द्र/एन.एस.एस. • स्वंयसेवी संस्थाएँ	बाढ़, भूकंप, भीषण अग्निकांड, बड़ी सड़क दुर्घटना एवं अन्य	• आपदा के दौरान एलर्ट मैसेज भेजना। • वरीय पदाधिकारी द्वारा प्रतिदिन नियमित समय में मिडिया ब्रीफिंग करना। • मिडिया से सूचना प्राप्त करना। • अफवाहों का रेडियो, टेलीविजन, जिला व्हाट्स एप के माध्यम से खंडन संदेश भेजना। • मृत, घायल, लापता एवं अन्य की सूची जारी करना। • राज्य स्तर के मिडिया का सहयोग प्राप्त करना। • टॉलफ्री सूचना केन्द्र को प्रचारित करना। • सूचना को प्रचारित करने हेतु एन.सी.सी., नेहरू युवा केन्द्र आदि का सहयोग लेना।	सामान्य स्थिति बहाल होने तक।

- क्षति आकलन बिहार सरकार के निर्धारित मानक प्रारूप प्रपत्रों में हो तथा प्रभावित प्रखंड, पंचायत, गाँव, जनसंख्या, जनहानि, पशुहानि तथा संरचनात्मक ढांचे के साथ फसल, बाग–बगीचे की हानियों को स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।
- पीड़ितो को राहत केन्द्र में रहते वक्त यह सुनिश्चित करना कि एक दण्डाधिकारी की नियुक्ति हो जो स्थिति पर तीक्ष्ण दृष्टि रखे और आवश्यक निर्देश दे ताकि सुचारू कानून व्यवस्था बनी रहे।

7.4 आपदा की स्थिति में समन्वय तंत्र

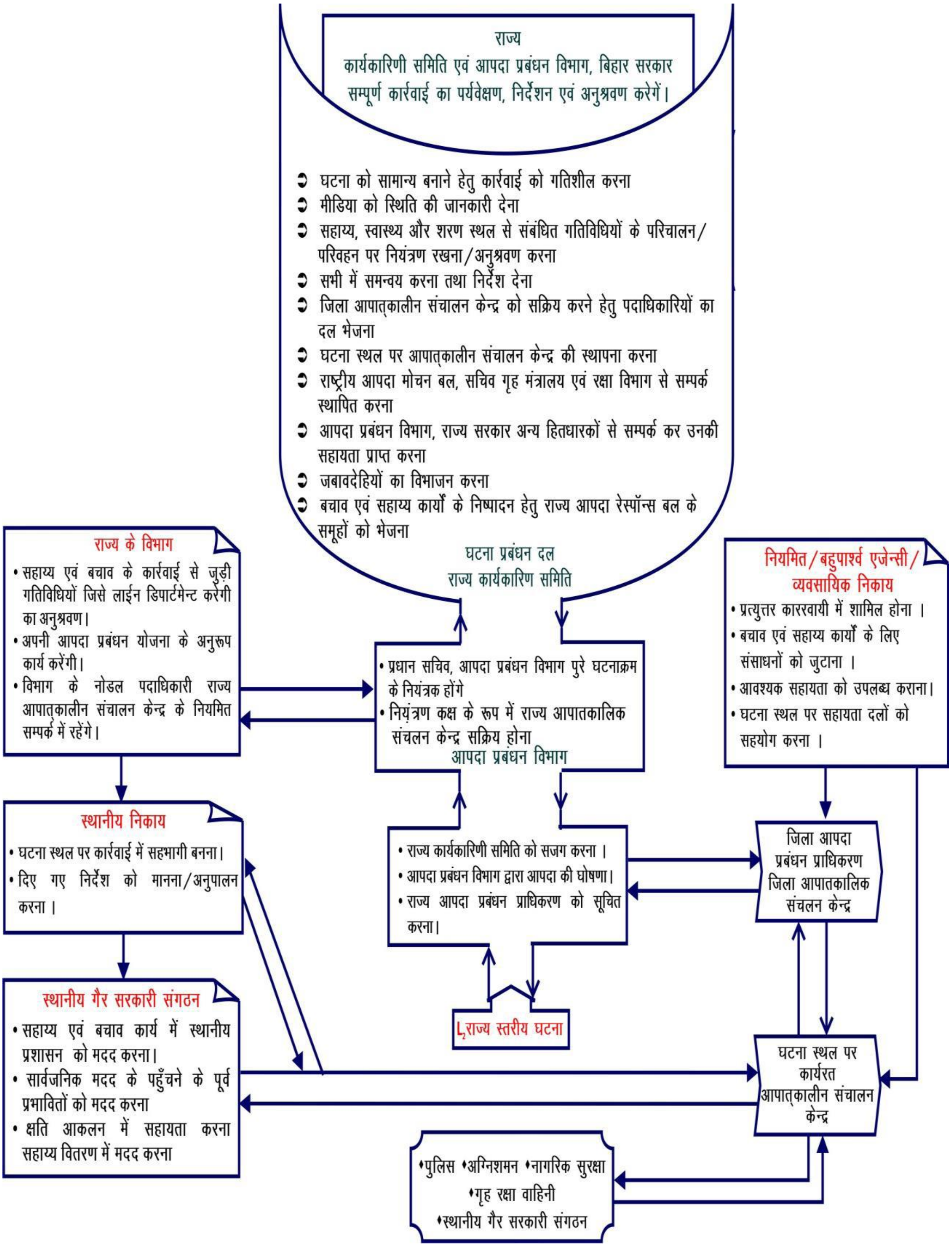

आदेश प्रवाह फ्लो चार्ट एल 2 लेवल डिजास्टर (0 से 6 घंटे)

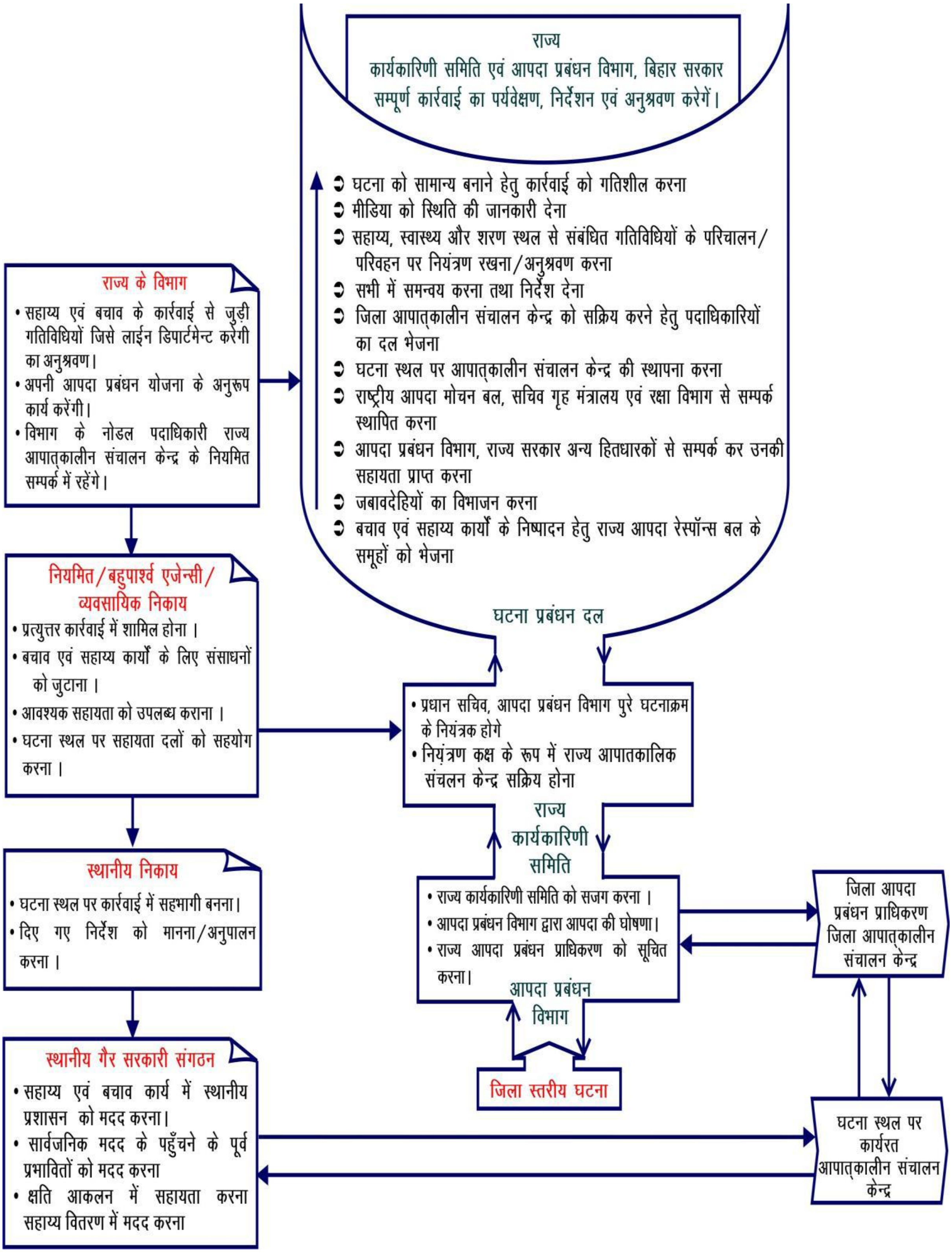

घटना प्रत्युत्तर फ्लो चार्ट एल 2 लेवल डिजास्टर (6 घंटे के पश्चात्)

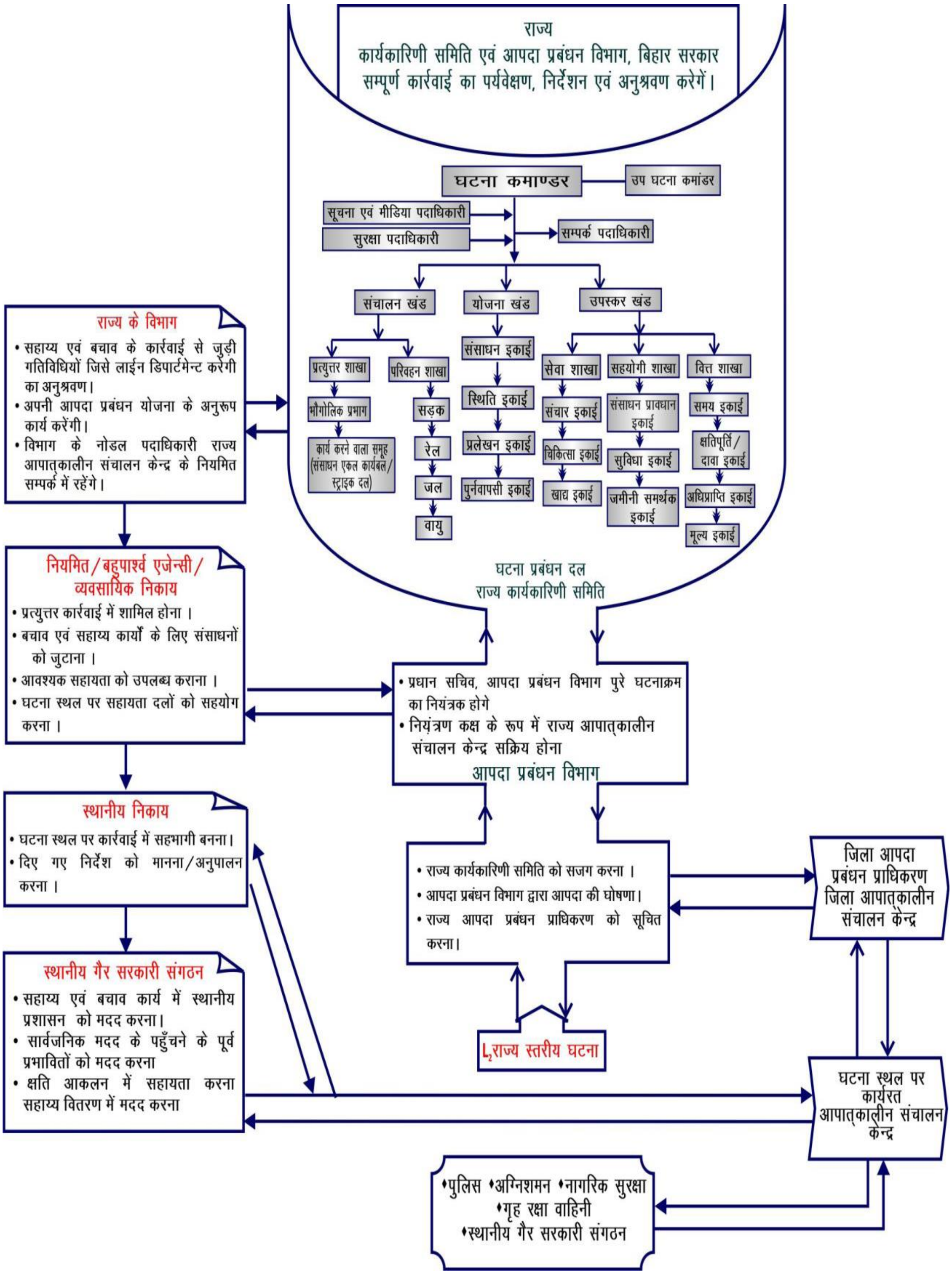

***

अध्याय 8—पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्प्राप्ति

(Reconstruction, Rehabilitation and Recovery)

पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण एवं रिकवरी एक व्यापक बहु—क्षेत्रीय कार्रवाई है, जिसका उद्देश्य आपदा से प्रभावित लोगों के मकान का पुनर्निर्माण, सामुदायिक सुविधा, आधारभूत संरचनाओं की पूर्ण व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं पारिस्थितिकी को कायम रखने की नीति पर आधारित जीविका समर्थन आदि तैयार किया जाना। विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं के बाद सभी प्रकार की रिकवरी के लिए पुनर्निर्माण के साथ—साथ पुनर्वास को अपनाने की आवश्यकता पहले से अधिक होती है। आपदा प्रभावित क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर **"पूर्व से बेहतर निर्माण"** की कार्रवाई/गतिविधियां अपनायी जायेंगी। आपदा के बाद पुनर्निर्माण, पुनर्वास एवं रिकवरी के निम्न उद्देश्य होंगे—

- भविष्य में आपदाओं को सफलतापूर्वक सामना करने के लिए, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना निर्माण में, सहयोग प्रदान करना
- प्रभावित क्षेत्रों की सार्वजनिक/निजी परिसम्पतियों का पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप करना;
- राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार उपयुक्त प्रावैधिकी के माध्यम से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के घरों तथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण करना जिसमें भवन निर्माण तथा रेट्रो फिटिंग भी शामिल है।
- आपदा के लिए प्रभावकारी ढंग से प्रत्युत्तर (Response) एवं विकास प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन में सम्मिलित कर परियोजनाओं का कार्यान्वयन।

आपदा के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रमों में तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की गतिविधियां शामिल हैं। तात्कालिक गतिविधियों में क्षतिग्रस्त ढांचों के सुधार, मरम्मत तथा मजबूती से सम्बन्धित गतिविधियां शामिल हैं, जबकि दीर्घकालिक निर्माणात्मक गतिविधियों में बहु—खतरा लचीला आवास निर्माण, स्थानान्तरण, बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान आदि के साथ ही मनोवैज्ञानिक, सामाजिक—आर्थिक, पर्यावरणीय एवं कृषिगत पुनर्वास सम्मिलित है।

पुनर्निर्माण चूंकि यह एक लम्बी प्रक्रिया है इसलिए यह उचित होगा कि तत्कालीन तथा मध्यकालीन/दीर्घकालीन प्रक्रिया अपनाया जाय। तत्कालीन क्रिया—कलाप में संबंधित दल सर्वप्रथम क्षति का आकलन करेगा। साथ हीं संबंधित ऐजेंसियों के माध्यम से राहत व्यवस्था सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिविल सर्जन तथा नगर पालिका के माध्यम से आपदा पश्चात् संभावित महामारी की रोकथाम के लिए सभी उपाय किये जायेंगे। अति आवश्यक क्षतिग्रस्त ढ़ांचों की मरम्मती हेतु भवन निर्माण विभाग तथा विभिन्न आधारभूत संरचना निकायों की मदद से मरम्मती का कार्य कराया जा सकेगा। इसके अलावा मध्यकालीन/दीर्घकालीन कार्य के तहत पक्का निर्माण, सामान्य सुविधा को पुनः बहाल करना, शिक्षण कार्य को बहाल करना, जल एवं स्वच्छता की इकाइयों का निर्माण तथा बिजली की अबाधगति को बहाल करना मुख्य कार्य होगा।

पुनर्स्थापन द्वारा पुनर्प्राप्ति के अन्तर्गत आपदा पश्चात् यह आवश्यक है कि लोगों को कैम्प या अन्य शरण स्थल से वापस उनके रहने के नियत स्थल पर वापस भेजा जा सके। इस कार्य हेतु जो कार्य योजना बनायी जायेगी उसमें प्रभावित लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जायेगा। जीविका के संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्य एवं केन्द्र सरकार की चालू योजनाओं का भी उपयोग किया जायेगा। आपदा में ट्रॉमा से ग्रसित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सक तथा सलाहकार की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह व्यक्ति हादसों से उबरने में सफल हो सके।

8.1 क्षति आकलन

आपदा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या–3601 दिनांक– 30.09.2014 के अनुसार "प्राकृतिक आपदा/गैर प्राकृतिक आपदा के मामले में क्षति आकलन हेतु विनिर्दिष्ट सक्षम पदाधिकारी एवं अनुदान स्वीकृति हेतु सक्षम पदाधिकारी का निर्णय जिला दण्डाधिकारी को ही करना है। जिला दण्डाधिकारी अपने अधीनस्थ के बीच 'शक्ति की जिम्मेवारी अधीनस्थ सक्षम अधिकारी को प्रदान कर सकते है।

आपदा के पश्चात् क्षति आकलन मुख्यतः संवेदनशील आबादी, अंतः–संरचना, संपत्ति तथा पर्यावरण की ओर केन्द्रित होनी चाहिये तथा प्रत्युत्तर एंव विकास कार्यो से संवेदनशीलता को क्रमशः घटाने में सहायक होना चाहिये। इसे मुख्यतः दो खंड़ों में विभक्त किया जा सकता है।

(क) स्थिति का आकलन
(ख) आवश्यकता का आकलन

स्थिति आकलन में आपदा की तीव्रता तथा प्रभावित आबादी/क्षेत्र पर इसके आघात का आकलन किया जाता है। वहीं आवश्यकता आकलन में प्रभावित आबादी/क्षेत्र के लिए कितना कुछ करना जरूरी है। इसे तय किया जाता है।

क्षति आकलन में आपदा की प्रकृति एवं विस्तार तथा प्रभावित समुदाय खासकर संवेदनशील समुदाय की इस संघात से उबरने के लिए आवश्यकता का आकलन किया जाना चाहिये। तात्कालिक क्षति तथा इसके दीर्घकालिक प्रभाव की भरपाई के लिए संवेदनशील आबादी को अनुदान एवं सार्वजनिक संपत्ति तथा पर्यावरण की क्षति की भरपाई टिकाउ विकास कार्यो द्वारा की जानी चाहिये। आपदा क्षति के विभिन्न आयामों में निम्नांकित प्रमुख है –

- मनुष्यों की मृत्यु एवं संपत्तियों का विनाश
- आवासीय भवन तथा सार्वजनिक संरचनाओं की क्षति
- फसल क्षति
- जीविका के संसाधनों की क्षति
- पर्यावरण को क्षति
- मनो–सामाजिक संघात
- मनुष्यों, पशुओं एवं कृषिगत फसलों में बीमारी

संभाग वार आपदा क्षति आकलन की पद्धति तथा उत्तरदायी एजेंसी –

क्र.सं.	प्रभावित संभाग	पद्धति	उत्तरदायी एजेंसी
1	2	3	4
1	मानव क्षति	• मृतको के शव की शिनाख्त करने के उपरांत नजदीकी संबंधियो को सौंपना। • अंतिम क्रिया के लिए निर्धारित मानक मानदर का भुगतान। • लावारिस शवों का सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा से अंतिम क्रिया।	समुदाय, ग्राम पंचायत मुखिया, वार्ड पार्षद, निकट संबंधी अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी जिला पुलिस द्वारा प्राधिकृत जिम्मेवार नागरिक
2	घायल	• घायलों को राहत शिविर स्थानीय विशिष्ट अस्पताल तक पहुँचाना। • घायलों की समुचित देखभाल तथा चिकित्सा।	पुलिस, चौकीदार, समुदाय, स्वयंसेवी संगठन जिला स्वास्थ्य समिति
3	आधारभूत संरचना	आपदा के उपरांत सरकारी भवनो में हुई क्षति की मापी भवन निर्माण प्रमंडल के अभियंता करेंगे तथा आवश्यक मरम्मती का प्राक्कलन के साथ जिलाधिकारी को समर्पित करेंगे।	भवन निर्माण प्रमंडल

4	जीवनदायी संरचनाओं का मरम्मत/ पुनर्निर्माण,	संबंधित विभाग के पदाधिकारी क्षति का फोटोग्राफ तथा मापी के साथ मरम्मति का प्राक्कलन जिलाधिकारी को समर्पित करेगें।	संबंधित विभाग
5	निजी मकान	निजी मकानो को उनकी बनावट तथा छत की प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत कर आंशिक क्षति या पूर्णक्षति का ब्योरा एकत्र करना।	अंचलाधिकारी/राजस्व अधिकारी
6	कृषि/ पशु संसाधन	• फसल की पूर्ण क्षति या आंशिक क्षति का आंकड़ा, रकबा एवं भू–मालिकों के ब्योरा का संकलन। • पीड़ित व्यक्तियों के पशुओं की क्षति की जानकारी हासिल कर आर्थिक मुल्यांकन करना।	जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, बीमा कम्पनी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी
7	मेडिकल (भौतिक, मनोवैज्ञानिक)	• चिकित्सा के क्षेत्र में मृतकों एवं घायलों की सूची तैयार कर उन्हें तथा उनके परिवार को समुचित सुविधा मुहैया कराई जायेगी। • आपदा के कारण मानसिक आघात से ग्रसित लोगों की पहचान करना तथा उन्हें मनोचिकित्सक से कांउसलिंग कराया जाए।	सिविल सर्जन, जिला स्वास्थ्य समिति

8.2 पीड़ितो को राहत

भूकंप, बाढ़, सुखाड़, अग्नि दहन आदि आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को दिये जाने वाले राहत के संदर्भ में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर मार्गदर्शन, स्पष्टीकरण तथा निर्देश निर्गत किये गये है इसका संक्षिप्त विवरण का नीचे उल्लेख करते हुये आपदा प्रबंधन विभाग का संदर्भित पत्र/अधिसूचना इस योजना के साथ अनुलग्नक है।

- वर्ष 2015–2020 तक के लिए दिनांक 01.04.2015 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (एस॰डी॰आर॰एफ॰ एवं एन॰डी॰आर॰एफ॰) द्वारा निर्धारित साहाय्य मानदर मुहैया कराने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1973 दिनांक 26.05.2015 को निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के द्वारा सभी प्रकार की आपदाओं के दौरान स्थापित किये जाने वाले राहत शिविरों में आपदा पीड़ितों के शरण स्थल, भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा एवं स्वच्छता के संबंध में राहत उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित न्यूनतम मापदंड़ों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं आपदा के दौरान विधवा और अनाथ हो गए लोगों की विशेष व्यवस्था करने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 1202 दिनांक 17.03.2016 को निर्गत दिशा–निर्देश के अनुसार कार्यवाई करना।
- राहत केन्द्र के सफल संचालन के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के पत्रांक 2493 दिनांक 05.09.2008 को निर्गत।
- पत्रांक 1418 दिनांक 17.04.15 के द्वारा वज्रपात (Lightning) लू (Heat Wave) अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) एवं असमय भारी वर्षा (बारिश के मौसम के बाद होने वाली भारी वर्षा), नाव दुर्घटना, नदियों/तालाबों/गड्ढ़ों में डूबने से होने वाली मृत्यु, मानव जनित दुर्घटना यथा– सड़क दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना, रेल दुर्घटना और गैस रिसाव जैसी प्राकृतिक एवं मानव जनित दुर्घटना को विशेष स्थानीय प्रकृति आपदा के रूप में अधिसूचित करने एवं इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति में दिनांक 20.03.15 से SDRF/NDRF द्वारा निर्धारित प्रक्रिया या मानदर के सदृश्य अनुग्रह अनुदान/अन्य अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

- पत्रांक 76 दिनांक 12.01.2009 के द्वारा प्राकृतिक आपदा के कारण मृतक का शव बरामद नहीं होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान की मान्यता की प्रक्रिया अधिसूचित की गई है।
- पत्रांक 1692 दिनांक 22.04.2016 द्वारा आपदा प्रभावित परिवारों के देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/c Payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किया गया है।

8.3 आधारभूत सरंचनाओं का पुनर्स्थापन

आधारभूत सरंचना यथा प्रशासनिक भवन, अस्पताल भवन, स्कूल भवन, विद्युत संचार, सड़क सम्पर्क, दूर संचार, पेयजल आपूर्ति इत्यादि से संबंधित आधारभूत संरचनाओं का पुनर्स्थापन प्राथमिकता के तौर पर किया जायेगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग संबंधित कार्यान्वयन एजेसिंयों को निधि उपलब्ध करायेगी तथा संबंधित एजेंसी युद्ध स्तर पर इसका पुनर्स्थापन सुनिश्चित करेंगे।

8.4 जीवनदायी भवनों की मरम्मती तथा पुनर्निर्माण

बाढ़ एवं भूकंप से प्रभावित एवं क्षतिग्रस्त वैसे भवन जो किसी समुदाय अथवा समाज के दैनिक कार्य के लिए अति महत्वपूर्ण हो यथा उन भवनों को यथाशीघ्र मरम्मति कर उपयोग में लाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। आपात्कालीन संचालन केन्द्र, अस्पताल तथा राहत शिविरों के लिए उपयोगी भवनों की मरम्मति युद्ध स्तर पर सुनिश्चित की जायेगी।

अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति/पुनर्निर्माणः अन्य क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मति तथा पुनर्निर्माण इस प्रकार से की जायेगी की वे भविष्य में किसी आपदा के दौरान जोखिम से सुरक्षित हो।

जीविका का पुनर्स्थापनः आपदा के दायरे में पड़ने वाले क्षेत्र के निवासियों के जीविका साधन भी नष्ट या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। फसल मारी जाती है। पशुपालन के व्यवसाय पर कुप्रभाव पड़ता है। आवागमन प्रभावित होते है। आर्थिक गतिविधियाँ ठप पड़ जाती हैं। ऊर्जा की समस्या कुटीर उद्योग का उत्पादन प्रभावित करती है। इस तरह की कई समस्यायें वहाँ के समुदाय अथवा समाज की जीविका पर आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे पुनः पूर्ववत स्थिति में लाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जाने चाहिये तथा प्रभावितों को अनुदान कर्ज, बीमा इत्यादि उपलब्ध कराकर उनके जीविका के साधन को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया में वर्तमान में राज्य सरकार के कृषि विभाग, समाज कल्याण, पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में तरजीह दी जा सकती है।

स्वास्थ्य सेवायें एवं सुविधाओं का पुनर्स्थापनः आपदा के चपेट में आने से घायल व्यक्ति के जल्द से जल्द स्वस्थ्य होने के लिए हर प्रकार की चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। कभी–कभी इन हादसो के प्रत्यक्षदर्शी शारीरिक रूप से घायल न भी हो तो भी उन्हें गहरा मानसिक आघात लगता है जिसके चपेट में आने के उपरांत उनका व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। वे सामान्य काम–काज करने से असमर्थ पाये जाते हैं। इन मनो–सामाजिक संघातो से पीड़ित व्यक्तियों के लिए मनोचिकित्सा का भी समुचित प्रबंध किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

दीर्घकालिक पुनर्वापसीः बहु–आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विगत आपदाओं के दौरान हुई व्यापक क्षति की भरपाई अल्पकालीन पुनर्स्थापन एवं पुनर्निर्माण के कार्यो से करना संभव नहीं है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए दीर्घकालीन पुनर्वापसी की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जायेगा। बड़ी आपदा झेलने के बाद विशेषकर महिलाएँ तथा बच्चे मानसिक त्रासदी से गुजर रहे होते है। ऐसी परिस्थिति में समुदायों को चिह्नित कर मनोवैज्ञानिक 'कॉउसेलिंग' करने की आवश्यकता होगी ताकि उनकी पीड़ा को कम किया जा सके।

***

अध्याय 9– बजट एवं वित्तीय संसाधन

(Budget and Financial Resources)

आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसके वित्तीय पक्ष का सर्वाधिक महत्व होता है, अतः इसको भी ध्यान में रखते हुए समस्त योजना तैयार की जाती है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना में शामिल की गयी गतिविधियों/क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था एक आवश्यक अंग है। आपदा प्रबन्धन योजना हेतु निम्नांकित वित्तीय प्रबन्धों का प्रावधान किया गया है–

9.1 राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला सभी स्तरों पर आपदा रिस्पॉन्स फण्ड और आपदा न्यूनीकरण फण्ड उपलब्ध कराता है। अधिनियम की धारा 46 (1) एवं धारा 48 (1) के अनुसार गृह मंत्रालय के आपदा प्रबन्धन विभाग ने वर्ष 2010 में पत्रांक सं0 323/2010–एनडीएम–1 दिनांक 28 सितम्बर, 2010 के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फण्ड एवं राज्य आपदा रिस्पॉन्स फण्ड का गठन किया। इसी अधिसूचना के माध्यम से आपदा राहत कोष को राज्य आपदा राहत कोष में बदल दिया गया।

9.2 राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष

13 वें वित्तीय आयोग के अन्तर्गत राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी। राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष का उद्देश्य विशेष रूप से न्यूनीकरण के उपायों के लिए फण्डिंग करना है।

9.3 क्षमता निर्माण कोष

गम्भीर परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा प्रभावी एवं त्वरित ढंग से आपदा प्रत्युत्तर को क्रियान्वित करने के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, ताकि मानव जीवन एवं सम्पत्ति पर आपदा के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके लिए आवश्यक है कि आपदा के प्रति रिस्पॉन्स करने वाले समुदायों/लोगों के बीच नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संचालित किया जाये। राज्य स्तर पर क्षमता निर्माण के मद में प्रत्येक वर्ष कुल राज्य आपदा रिस्पॉन्स कोष का 10 प्रतिशत प्राप्त होता है। जिले की मांग पर इस क्षमता विकास अभ्यास को जिला स्तर पर किया जाता है और इस हेतु आवश्यक कोष राज्य स्तर से निर्गत होता है।

9.4 प्रधानमंत्री राहत कोष

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हृदय शल्य चिकित्सा, गुर्दा प्रत्यारोपण, कैंसर आदि के उपचार के लिए भी इस कोष से सहायता दी जाती है। यह कोष केवल जनता के अंशदान से बना है और इसे कोई भी बजटीय सहायता नहीं मिलती है। कोष की धनराशि बैंकों में जमा खातों में रखी जाती है। कोष से धनराशि प्रधान मंत्री के अनुमोदन से वितरित की जाती है।

सामान्यतः, धनराशि या तो तत्काल वितरित कर दी जाती है अथवा उन्हें विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियत कर दिया जाता है। शेषधन राशि को दीर्घावधि तक सुरक्षित रखने के लिए समुचित रूप से उसका निवेश किया जाता है। अधिकतम सुरक्षित धन वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की राशि का निवेश बैंकों में आवधिक जमा योजनाओं में किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर, किसी भी आपदा की स्थिति में तत्काल राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जनता के सहयोग से हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की स्थापना की गयी है। इस कोष के पीछे निम्न उद्देश्य हैं –

- पीड़ित एवं उसके परिजनों को तत्काल वित्तीय सहयोग प्रदान करने हेतु।
- खोज एवं बचाव में सहयोग करने हेतु।

- पीड़ितों को स्वास्थ्य देख–भाल पहुंचाने हेतु।
- पीड़ितों को शरणालय, भोजन, पेयजल एवं साफ–सफाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु।
- सड़कों, पुलों, संचार सुविधाओं एवं परिवहन के अस्थाई बहाली हेतु।
- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की तत्काल बहाली हेतु।

9.5 मुख्यमंत्री सहायता कोष

मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत मुख्यमंत्री सहायता कोष स्थापित है। जिसमें विभिन्न माध्यमों से अर्थात शासकीय, अशासकीय व्यक्ति अथवा संस्था या कार्यालय द्वारा दी गई दान स्वरूप राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जाती है। इस कोष के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने विवेक के अनुसार बाढ़, अग्नि दुर्घटना, सूखा या अन्य विपत्तियों से ग्रस्त या औद्योगिक एवं अन्य दुर्घटनाओं के शिकार या उक्त पीड़ित लोगों को राहत पहुँचाने के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है। गंभीर बीमारियों से ग्रस्त एवं साधनहीन ऐसे लोगों को भी जिन्हें तत्काल सहायता देना आवश्यक प्रतीत होता है, इस कोष से सहायता दी जाती है। यह दान राशि नगद, मनीआर्डर, चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भी प्राप्त होती है। यह सहायता प्रभावित व्यक्तियों या उनके परिवार के लोगों को सीधे अथवा संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

9.6 सांसद राहत कोष

किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं के कारण प्रभावित लोगों/संसाधनों को पुनः अपनी पुरानी अवस्था में वापस लाने के लिए, खोज, बचाव, पुनर्निर्माण आदि के कामों में स्थानीय सांसद रू0 10 लाख तक की राशि आपदा प्रबन्धन के कामों में खर्च कर सकता है।

9.7 अधिनियम में प्रावधान :

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के धारा–48 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निधियों की स्थापना की जायेगी। धारा–48(1) के अनुसार राज्य सरकार, "जिला प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिसूचनाओं के जारी किये जाने के ठीक पश्चात्, निम्नलिखित निधियों की स्थापना करेगी"– (ख) जिला आपदा मोचन निधि; (घ) जिला आपदा शमन निधि। उसी प्रकार धारा–48(2) में वर्णन है कि उपधारा–(1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन स्थापित निधियाँ जिला प्राधिकरण को उपलब्ध है।

9.1 आपदा जोखिम न्यूनीकरण समर्थित योजनाएँ/कार्यक्रम

विभिन्न प्रकार की आमजन योजनाओं जैसे मनरेगा आदि के माध्यम से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को निश्चित आर्थिक सहायता मिलती है। इन योजनाओं से जुड़ाव के माध्यम से वे आपदा के बाद आसानी से राहत कार्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए राहत कार्यों के लिए अन्य स्थानों से कोष तक अपनी पहुंच बढ़ा सकते हैं। आपदा से प्रभावितों को आपदा के बाद पुनर्निर्माण के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक दूसरी प्रभावी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना का 10 प्रतिशत इस उद्देश्य हेतु रेखांकित होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में मीड–डे–मिल एक ऐसी ही योजना है। बाढ़ एवं सूखाड़ दोनों परिस्थितियों के भूखमरी से प्रभावित लक्षित वर्ग के लिए शताब्दी अन्न कलश योजना का प्रावधान है। विशेषकर बंटाईदार किसानों के लिए बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना 2015 से जुड़ाव किया जा सकता हैं।

9.2 केन्द्रीय/राज्य योजना एवं गैर योजना कार्यक्रम

क्र. सं.	संपोषित योजना का नाम	आपदा शमनीकरण कार्य में उपयोग होने वाली राशि	लागू करने वाल विभाग/संभाग/एजेंसी
1	2	3	4
1	कृषि रोड मैप	इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के चलते होने वाली फसलों पर असर तथा उसमें लाये जाने वाली बदलाव के कार्य को बढ़ावा दिया जा सकता है।	कृषि विभाग
2	मनरेगा	• पंचायत स्तर तक आधारभूत संरचना खड़ी करना एवं विभिन्न विभागों के काम का अभिमुखीकरण (Convergence)। इस निधि से पुर्ननिर्माण, पुनस्थापन आदि गतिविधियों के कार्य किये जा सकते है। • सामाजिक वानिकी।	ग्रामीण विकास एंव पर्यावरण एवं वन
3	सात निश्चय कार्यक्रम	गली–नाली की स्थापना एवं हर घर नल का जल अंतर्गत पाईप से पानी की आपूर्त्ति।	ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल एवं स्वच्छता
4	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	फसल क्षति होने पर किसान कुछ विनित राशि देकर क्षतिपूर्ति पा सकते हैं।	कृषि विभाग
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना	20 प्रतिशत या उससे अधिक फसल क्षति होने पर किसानों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि।	सहकारिता
6	शताब्दी अन्न कलश योजना– 2011	निर्धन, बुढ़े, विधवा, निराश्रित को सहायता।	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आपूर्ति)
7	बिहार संकटग्रस्त किसान सहायता योजना	आपदा की स्थिति में फसल के बर्बाद होने के कारण छोटे किसानों या बटाईदारों द्वारा मानसिक दबाव में आकर आत्महत्या करने पर उनके परिवारों को अनुग्रह अनुदान एवं अन्य लाभ प्रदान करना।	आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार
8	दीनदयाल अंत्योदय योजना – जीविका	महिला सशक्तिकरण। स्वयं सहायता समूह के द्वारा लोगों को संबल बनाना।	ग्रामीण विकास विभाग (रूरल लाईवलीहुड मिशन)
9	आंगनवाड़ी	इस माध्यम से छोटे बच्चे को तथा गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना।	कल्याण विभाग–आई. सी.डी.एस.
10	लोहिया स्वच्छ बिहार योजना	इस योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में सामूहिक व्यवहार परिवर्तन तथा स्वच्छता विषयक सुरक्षित आचार्य सुनिश्चित करने हेतु समुदाय स्तर पर प्रयत्न।	ग्रामीण विकास विभाग
11	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल	पंचायत स्तर तक शुद्ध पेयजल हेतु	पेयजल एवं स्वच्छता

	कार्यक्रम	संरचना निर्माण का स्थापन।	
12	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	चिकित्सालयों का निर्माण।	जिला स्वास्थ्य समिति
13	मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम	शिक्षक, स्कूली बच्चों आदि को आपदा जोखिम के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित करना।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
14	सर्व शिक्षा अभियान	स्कूल तथा उसमें शौचालय एंव चापाकल स्थापन।	शिक्षा विभाग तथा बिहार शिक्षा परियोजना
15	प्रधानमंत्री सिंचाई योजना	सुखाड़ के दौरान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना।	जल संसाधन
16	जननी सुरक्षा	गर्भवती महिलाओं की पहचान एवं उनके स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय जरूरत पूरी करना।	जिला स्वास्थ्य समिति
17	मिड–डे–मील योजना	स्कूली बच्चों को मध्याहृन भोजन उपलब्ध कराना।	मिड–डे–मील जिला कार्यक्रम
18	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण	गरीबों के लिए (आपदा क्षति के तहत) आवास उपलब्ध कराना।	
19	सांसद आदर्श ग्राम योजना	सांसदों द्वारा अपने क्षेत्र के 3 गाँव को 2019 तक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना तथा 5 गाँवों का 2024 तक विकसित करना।	ग्रामीण विकास विभाग
20	सड़क सुरक्षा निधि	राज्य द्वारा विभिन्न वाहनों से कर/दंड शुल्क का कुछ अंश जिले में सड़क दुर्घटना के शमनीकरण हेतु उपयोग।	परिवहन विभाग
21	चौदहवी वित्त आयोग(2015–20)	प्राप्त निधि में से क्षमतावर्द्धन तथा स्थानीय आपदा हेतु क्षतिपूर्ति राशि उपलब्ध कराना।	आपदा प्रबंधन विभाग
22	पांचवी राज्य वित्त आयोग(2015–20)	पंचायत एवं स्थानीय निकाय के विकास हेतु उपलब्ध निधि से आपदा शमनीकरण का उपयोग।	पंचायती राज/नगर पालिका
23	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम	गरीबों को अनाज मुहैया कराना।	खाद्य एवं आपूर्ति

9.3 अन्य स्त्रोत

इसके अलावा जिला में किसी आपदा के समय प्रभावित समुदाय के सहायता हेतु अनेकों सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थायें अपनी स्वेच्छा से आती है। ये आपदा प्रबन्धन को ध्यान में रखते हुए अपनी–अपनी सुविधाओं के अनुसार समुदायिक क्षमता विकास एवं डिजास्टर रेजिलिएन्स प्रक्रिया विकसित करने हेतु बहुतायत परियोजनायें संचालित करती हैं। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण विभिन्न प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य प्राइवेट दानदाताओं से राहत से पुनर्स्थापन एवं अन्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण गतिविधियों से सहयोग ले सकता है।

***

अध्याय 10– अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं अद्यतनीकरण

(Monitoring, Evaluation and Updation of DDMP)

10.1 योजना का अनुश्रवण एंव मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शन

योजना का सतत् अनुश्रवण एवं आवर्ती मूल्यांकन के लिए निम्नांकित चरणवद्ध कार्रवाई की जायेगी

10.1.1 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धारायें :–

31 (4) – जिला योजना का वार्षिक पुनर्विलोकन (Review) किया जायेगा और अद्यतन (Update) किया जायेगा।

31 (5) – उपधारा(2) और उपधारा(4) में निदिंष्ट जिला योजना की प्रतियाँ जिले में सरकारी विभागों को उपलब्ध कराई जायेगी।

31 (6) – जिला प्राधिकरण जिला योजना की एक प्रति राज्य प्राधिकरण को भेजेगा जिसे यह राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

31 (7) – जिला प्राधिकरण समय–समय पर, योजना के कार्यान्वयन का पुर्नविलोकन करेगा और जिले में सरकार के विभिन्न विभागों को ऐसे अनुदेश जारी करेगा जिन्हें वह कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समझें।

धारा 32 – जिला स्तर पर भारत सरकार और राज्य सरकार का प्रत्येक कार्यालय और स्थानीय जिला पदाधिकारी जिला प्राधिकरण के अधीन रहते हुये–

(ग) योजना का नियमित रूप से पुनर्विलोकन (Review) करेंगे और उसे अद्यतन (Update) करेंगे।

10.1.2 योजना क्रियान्वयन का नियमित पुनर्विलोकनः– अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किसी भी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अनुश्रवण से यह जाना जा सकता है कि निर्धारित अनुदेशों का किस हद तक पालन हो रहा है अथवा उपेक्षा हो रही है। वहीं मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रम की सफलता तथा उसकी उपयोगिता की जानकारी होती है कुछ आपदाओं के घटित होने की संभावना वर्ष के किसी खास माह में प्रबल रूप से होती हैं और कुछ आपदायें बिना किसी पूर्व सूचना/आभास के अचानक घटित हो जाती है। दोनों तरह की आपदाओं की जोखिम आकलन, पूर्व तैयारी, मोचन, पुनर्प्राप्ति के लिए पूर्व के अनुभव तथा क्षति ब्योरा का सहारा लिया जाता है। भूतकाल के अच्छे प्रयासों को पुनः दुहराया जाता है तथा अप्रभावी प्रयासों को तिरस्कृत किया जाता है।

प्रत्येक घटित आपदा से उबर जाने के पश्चात् इसका दस्तावेजीकरण करते समय प्रभावी तथा निष्प्रभावी दोनो तरह के प्रयासो की विवेचना की जानी चाहिये। इन समीक्षा दस्तावेजों के आलोक में प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में योजना का पुनर्मूल्यांकन तथा अद्यतनीकरण किया जाना श्रेयस्कर होगा।

10.1.3 भीषण आपदा के समय योजना की प्रभावशीलता की जाँचः– प्रभावशीलता (Effectiveness) किसी कार्यक्रम की सफलता की दर होती है, जबकि कार्यक्रम की प्रभावशीलता तथा प्रयासो (Efforts) का अनुपात सक्षमता (Efficiency) का संकेत देता है। प्रत्येक प्रचंड आपदा से निबटने के उपरांत आपदा विशेष से निबटने हेतु योजना में किये गये प्रावधानों की प्रभावशीलता का गहन मूल्यांकन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इस मूल्यांकन से यह जाना जा सकता है कि कौन से उपाय, उपस्कर या कार्यविधि आपदा मोचन, पुनर्प्राप्ति या पुनर्स्थापन कार्यो में अधिक सक्षम एवं कारगर साबित हुयें है।

भविष्य की आपदा प्रबंधन योजना में इन अनुभवों को बेहिचक दुहराया जा सकता है अथवा अन्य किसी आपदा प्रभावित समतुल्य स्थल पर भी इन्हें दोहराया जा सकता है। ठीक इसी तरह यदि कोई उपाय उपस्कर या क्रियाविधि कारगर साबित नहीं होते है या आपदा की विभिषिका को घटाने की बजाय बढ़ा देते है तो भविष्य के लिए या समतुल्य अन्य स्थल के लिए आपदा प्रबंधन योजना में उसे प्रतिबंधित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

10.1.4 जिला स्तर पर उपलब्ध संसाधन (निजी, सार्वजनिक, सामुदायिक तथा अन्य) सूची को अद्यतन करना :— जिला अंतर्गत कार्यरत राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अन्य औद्योगिक, सैन्य एवं असैनिक प्रतिष्ठानों के कर्मठ कर्मी एवं पदाधिकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र—छात्रा तथा शिक्षक—प्राध्यापक, अस्पतालों एवं निजी नर्सिंग होम में कार्यरत चिकित्सा कर्मी और पारा मेडिकल कर्मी इत्यादि के बीच से ही आपदा के दौरान सहायता करने के लिए प्रथम प्रत्युत्तरदाता (First Responder) तैयार किये जा सकते हैं। इनमें से चुने हुये कर्मियों/स्वयसेवकों को आपदा मोचन की विभिन्न कार्यो में सहयोग हेतु प्रशिक्षित कर उनकी सूची योजना के परिशिष्टों में उपलब्ध रहनी चाहिये। इसी प्रकार आपदा मोचन में सहायक विभिन्न प्रकार के छोटे—बड़े उपस्करों की सूची भी योजना के परिशिष्ट पर संधारित रहनी चाहिये। समय—समय पर कर्मियों का स्थानान्तरण होने या सेवानिवृत होने के कारण पुराने प्रशिक्षित कर्मी की जगह नये पूर्व प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित कर्मी उनका स्थान ग्रहण करते हैं। उपस्करों में भी नये की खरीद तथा पुराने अनुपयोगी उपस्कर का निपटान किया जाता है। अतः इस संसाधन सूची को भी नियमित रूप से अद्यतन करना जरूरी है।

10.1.5 नियमित मॉकड्रील तथा प्रयास द्वारा योजना की प्रभावकता की जाँचः— योजना में परिकल्पित परिस्थिति विशेष में प्रभावी उपायों/उपस्करों की वास्तविक प्रभावकता वास्तविक आपदा के दौरान अक्षुण बनी रहे इस उद्देश्य से यह जरूरी है कि वास्तविक आपदा घटित होने के पूर्व एक परिकल्पित आपदा की परिस्थितियों में सभी हितभागियों के लिए निर्धारित उत्तरदायित्वों के बीच समन्वय हासिल करने को एक या अधिक बार मॉकड्रील तथा पूर्वाभ्यास किया जाय। इस पूर्वाभ्यास के दौरान समन्वय में तथा उपस्करों की प्रभावकता में त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर इसे दूर करने का प्रयास सफलतापुर्वक किया जा सकता है तथा पुर्वाभ्यास की पुनरावृति कर इसके प्रभावकता की पुनः जाँच भी कर ली जा सकती है। ऐसा करते रहने से आकस्मिक आपदा के दौरान उससे निबटने के लिए ट्रिगर मेकेनिज्म तथा परस्पर निर्भर उत्तरदायित्वों का समन्वय सर्वोत्तम तरीके से कार्य करता है। योजना की सफलता की गांरटी सुनिश्चित करता है।

10.1.6 योजना क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों का नियमित उन्मुखीकरण तथा प्रशिक्षण :— जिलान्तर्गत आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी सरकारी तथा गैर सरकारी पदाधिकारियों का नियमित रूप से प्रत्येक तिमाही में एक उन्मुखीकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

10.1.7 योजना का अद्यतनीकरन (Updation of Plan) :— जिला आपात्कालीन संचालन केन्द्र आपदा संबंधी सभी प्रकार की सूचनाओं का संकलन, संधारण तथा विश्लेषण का कार्य करेगी। भीषण आपदाओं के दौरान कार्यान्वित आपदा प्रबंधन योजना की प्रभावशीलत तथा प्रयासो की सक्षमता का मूल्यांकन दस्तावेज (Documentation) के आधार पर सबसे अधिक सक्षम आपदा मोचन एवं शमनीकरण कार्यक्रमों जिसमे लागत के रूप में कम से कम धन, समय, मानव संसाधन आदि लगाना पड़ा हो, उसे प्राथमिकता प्रदान करते हुये योजना को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

10.1.8 योजना की प्रतियों का वितरण (Circulation) :— सभी हितधारकों को योजना के प्रति उपलब्ध कराते हुये उन्हें उनके उत्तरदायित्वों तथा भूमिका के संबंध में जागरूक करने का कार्य सतत् जारी रखा जायेगा। पंचायत, प्रखंड तथा जिला स्तर पर सक्रिय हितभागियों के लिए समय—समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त दूरसंचार माध्यमों के सहारे भी आपदा के पूर्व सूचना के साथ क्या करें और क्या न करें इस बात की जानकारी प्रसारित की जायेगी।

अंग्रेजी संकेत शब्दों के अर्थ

BDO	Block Development Officer	प्रखंड विकास पदाधिकारी
BRGF	Backward Regions Grant Fund	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
BSDMA	Bihar State Disaster Management Authority	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
BSDRN	Bihar State Disaster Resource Network	बिहार राज्य आपदा संसाधन तंत्र
BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited	भारत संचार निगम लिमिटेड
CBO	Community Based Organizations	सामुदायिक संगठन
CE	Chief Engineer	मुख्य अभियंता
CEO	Chief Executive Officer	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
CMG	Crisis Management Group	संकट प्रबंधन दल
CS	Civil Surgeon	असैनिक शल्य–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
CSO	Civil Society Organization	नागरिक संगठन
CO	Circle Officer	अंचलाधिकारी
CWC	Central Water Commission	केन्द्रीय जल आयोग
DDMA	District Disaster Management Authority	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDMP	District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
DM	District Magistrate	जिला पदाधिकारी (जिला समाहर्त्ता)
DMD	Disaster Management Department	आपदा प्रबंधन विभाग
DRR	Disaster Risk Reduction	आपदा जोखिम न्यूनीकरण
DEOC	District Emergency Operation Center	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ESF	Emergency Support Function	आवश्यक सेवा कार्य
EWS	Early Warning System	पूर्व चेतावनी प्रणाली
FRT	First Response Team	प्रथम प्रत्युत्तर दल
GIS	Geographic Information System	भौगोलिक सूचना प्रणाली
GP	Gram Panchayat	ग्राम पंचायत
HRVCA	Hazard Risk Vulnerability Capacity Analysis	खतरा जोखिम संवेदनशीलता क्षमता विश्लेषण
IRS	Incident Response System	घटना प्रत्युत्तर प्रणाली
ICDS	Integrated Child Development Services	समेकित बाल विकास सेवायें
IDRN	India Disaster Resource Network	भारतीय आपदा संसाधन तंत्र
IEC	Information, Education and Communication	जानकारी, शिक्षण एवं संप्रेषण
IMD	India Meteriological Department	भारत मौसम विभाग
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
MLA	Member of Legislative Assembly	विधान सभा सदस्य
MNREGA	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

MPLADS	Member of Parliament Local Area Development Schemes	सांसद क्षेत्रीय विकास योजना
NDMA	National Disaster Management Authority	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NDRF	National Disaster Response Force/Relief Fund	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल/राहत कोष
NGOs	Non- Government Organizations	गैर–सरकारी संगठन
NSS	National Service Scheme	राष्ट्रीय सेवा योजना
PDS	Public Distribution System	जन वितरण प्रणाली
PHC	Primary Health Center	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
PHED	Public Health Engineering Department	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
PMRF	Prime Minister Relief Fund	प्रधानमंत्री राहत कोष
QMRT	Quick Medical Response Team	त्वरित चिकित्सा प्रत्युत्तर टीम
RVS	Rapid Visual Screening	रैपिड वीजुअल स्क्रीनिंग
SDMA	State Disaster Management Authority	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
SDMP	State Disaster Management Plan	राज्य आपदा प्रबंधन योजना
SDRF	State Disaster Response Force/Relief Fund	राज्य आपदा प्रत्युत्तर बल/राहत कोष
SDO	Sub Divisional Officer	अनुमंडल पदाधिकारी
SHG	Self Help Group	स्वयं सहायता समूह
SME	Small and Medium Enterprise	लघु एवं मध्यम उद्योग/ उपक्रम
SOP	Standard Operating Procedure	मानक संचालन पद्धति
SEC	State Executive Committee	राज्य कार्य कारिणी समिति
SEOC	State Emergency Operation Centere	राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र
ULBs	Urban Local Bodies	शहरी स्थानीय निकाय
URS	Unified Response Strategy	एकीकृत प्रत्युत्तर रणनीति
VDMC	Village Disaster Management Committees	ग्रामीण आपदा प्रबंधन समूह

***